तृतीय माला, खण्ड १७—अंक ४४

बुधवार, १७ अप्रैल, १९६३
२७ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

DATE

3rd Lok Sabha

(खण्ड १७ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित* प्रश्न संख्या ८९९ से ९०१, ९०३ से ९०९ और ९१२ से ९१४ ४४१३—३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांक्ति प्रश्न संख्या ९०२, ९११ और ९१५ से ९१९ . ४४३५–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९७८ से २०२८ और २०३० से २०३७ . ४४३८—६०

अनुदानों की मांगें--

वित्त मंत्रालय . . ४४६०—४५०३

श्री प्रभात कार ४४६०–६१

श्री राधेलाल व्यास . . . . . ४४६१—६५

श्री हरि विष्णु कामत . . . ४४६५–६६

श्री यशपाल सिंह . . . ४४६७—७२

श्री मलाईछामी ४४७२–७३

श्री अन्सार हरवानी . . . . . ४४७३—७९

श्री बड़े ४४७९

श्रीमती शारदा मुकर्जी ४४७९–८०

श्री बालगोविन्द वर्मा . . ४४८०—८२

श्री याज्ञिक . ४४८२—८४

श्री मा० नि० पटल . . ४४८४—८७

श्री किशन पटनायक ४४८७–८८

श्री सुब्बरामन ४४८८–८९

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ४४८९–९०

श्री जसवन्त . . . . ४४९०—९२

श्री ज्योति स्वरूप . . . ४४९२—९५

श्री फ० गो० सेन . . . ४४९५–९६

श्री मोरारजी देसाई . . .४४९६--४५०३

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर . . . . . ४४०४—०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना . . ४५०५–०६

सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों का कथित अपहरण

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख्य पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

बुधवार, १७ अप्रैल, १९६३

२७ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाइपों द्वारा कोयले का परिवहन

+

†*८९९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका और पोलैण्ड में पाइपों द्वारा ठोस कोयले के परिवहन के नवीनतम तरीकों का अध्ययन किया है ;

(ख) कोयला परिषद् की समस्या का समाधान करने के लिये इसी तरीके के भारत में आरंभ किये जाने की संभावनाओं की कहां तक जांच की गई है ; और

(ग) योजना के कहां आरंभ किये जाने का विचार है ?

†**खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) :** (क), (ख) और (ग). सरकार पाइप लाइन द्वारा कोयले का वहन किये जाने की नवीनतम पद्धतियों, के विषय में, जो अमरीका और कुछ अन्य राष्ट्रों में विकसित की गई हैं, जानती है । यहां लागू करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना है कि क्या यहां की परिस्थितियों में यह पद्धतियां प्रयुक्त की जा सकती हैं । इन पद्धतियों की व्यवहार्यता का अध्ययन किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या विश्व बैंक द्वारा बिहार और अन्य क्षत्रों से कोयले का वहन किये जाने के विषय में अर्थोपाय खोजने के लिये नियुक्त विशेषज्ञों का दल भी इस नई पद्धति के लागू किये जाने के प्रश्न का अध्ययन करेगा ?

†**श्री तिम्मय्या :** केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने यह सुझाव दिया था कि व्यवाहर्यता के अध्ययन के उद्देश्य से कुछ विशेषज्ञों को पाइपलाइन द्वारा कोयले के वहन की पद्धति का अध्ययन करने के लिये अन्य देशों को भेजा जाये । दूसरी ओर केन्द्रीय ईंधन गवषणा संस्थान का सुझाव यह था कि व्यवहार्यता का अध्ययन भारत में ही किसी प्रायोगिक विद्युत केन्द्र में किया जाये । किया जाने वाला अध्ययन अब भी सरकार के विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस पद्धति को लागू किये जाने के व्यय संबंधी प्रारम्भिक प्राक्कलन के आंकड़े बताये जा सकत हैं जिससे यह मालूम किया जा सके कि सड़क परिवहन के परिव्यय की तुलना में यह कितना लाभप्रद है ।

†श्री तिम्मय्या : व्यवहार्यता का अध्ययन किये जाने के पश्चात् ही हम यह बता सकते हैं कि परिवहन की अन्य पद्धतियों की तुलना में इस पद्धति के गुणदोष कैसे हैं ।

†श्री पें० वेंकटासुब्बया : यह कोयला पाइम लाइनों द्वारा किस प्रकार, और किस प्रयोजन के लिये, भेजा जाता है ?

†श्री तिम्मय्या : इस प्रकार से कोयला भेजे जाने की पद्धति तापीय बिजली घरों की भट्टियों तक कोयला पहुंचाने के लिये उपयुक्त है । कोयला पहले पूर्व निर्धारित अनुपात में, कूट कर, पानी में मिलाया जाता है और फिर दबाव द्वारा पाइपों में पहुंचा दिया जाता है । भट्टियों की रचना इस प्रकार की होती है कि इस घोल का अपने कार्य के लिये प्रयोग कर सकें ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : चूंकि पाइपलाइन से कोयला ढोने का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है इस लिये कोयले की जो इतनी ज्यादा कठिनाई है उस को दूर करने के लिये और दूसरे कौन से उपाय काम में लाय जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बाकी उपाय तो हर वक्त सोचते हैं ।

दिल्ली में मद्य-निषेध

†*९०० { श्री महेश्वर नायक :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन को उसकी मद्य-निषेध की क्रमिक कार्यान्वित की नीति के अधीन आगे कोई और कदम उठाने के लिये कहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय आयव्ययक में दिल्ली प्रशासन के मद्यनिषेध अनुदानों के लिये गत वर्षों के समान कोई उपबन्ध नहीं किया गया है ; और

(ग) मद्य-निषेध के सम्बन्ध में इस 'धीरे चलो' नीति से देहली प्रशासन को क्या वित्तीय लाभ होगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) दिल्ली प्रशासन को यह परामर्श दिया गया है कि वह अभी, दिल्ली में, मद्य-निषेध के संबंध में आगे और कोई कदम न उठायें ।

(ख) बजट में कोई विशेष प्राविधान करना आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि अपेक्षित राशि अधिक न होने के कारण, आवश्यकता पड़ने पर पुर्नविनियोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है ।

(ग) अनुमानतः ३० लाख रुपये की उत्पादन शुल्क राजस्व में और २ लाख रुपये की प्रवर्तन व्यय में बचत होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या दिल्ली प्रशासन के संबंध में उठाय गये कदमों से सरकार का यह अभिप्राय प्रकट होता है कि यह नीति अन्य राज्यों में भी लागू की जायेगी ?

†**श्री हजरनवीस :** हर राज्य की अपनी-अपनी समस्यायें हैं और इसको सुलझाने के अलग-अलग तरीके हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इसका यह अभिप्राय है कि सरकार का विचार इस नीति को अन्य राज्यों में लागू करने का है ?

†**श्री हजरनवीस :** अन्य राज्य हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं । इस बारे में निर्णय लेना उन्हीं का कार्य है ।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या यह सच है कि केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति की इच्छा यह है कि आपातकाल में मद्य-निषेध सम्बन्धी कार्यक्रमों में तेजी लाने के स्थान पर उन्हें धीरे-धीरे कार्यान्वित किया जाये ?

†**श्री हजरनवीस :** केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति ने स्वयं कोई सिफारिशें नहीं दी हैं । हम परस्पर मिले हैं और इस विषय पर चर्चा की है । हमने यही निश्चय किया है कि जो कदम अभी तक हमने उठाये हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करते रहें और इससे आगे अभी कोई कदम न उठायें ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, दिल्ली में मद्य निषेध के कार्य को चालू करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक फेज्ड प्रोग्राम तैयार किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ, और जब तक दूसरी कमेटी, जिसके बारे में अभी विचार किया जा रहा है, नियुक्त नहीं की जाती तब तक क्या सारा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : इस के स्थगित करने की बात तो यह है कि अगर कोई प्रदेश सरकार या दिल्ली शासन अपने यहां किसी ऐसे कार्यक्रम को चलाना चाहता है या बढ़ाना चाहता है तो हम उस के रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे । बात इतनी है सिर्फ कि चूंकि चीफ मिनिस्टर मिले और उन लोगों ने कहा कि इस में कुछ दोष हैं, खराबियां हैं इस लिये यह कहा गया कि अगर आप इसको बढ़ाना नहीं चाहते तो न बढ़ायें, लेकिन घटायें नहीं । आम तौर पर यह राय थी । दिल्ली के बारे में भी जो फेज्ड प्रोग्राम है उसकी तरह के बहुत से काम हो सकते हैं, टेम्पेरेन्स के, रोकने के या दूसरी तरह की रुकावटों की तरह पर, जैसे कि कल एक प्रोहिबिशन बोर्ड के सदस्य मुझ से मिले तो मैंने कहा कि इस स्कीम को चलाने में जो भी खर्च उनका पड़ेगा वह मैं भारत सरकार की ओर से दूंगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों की बैठक के फलस्वरूप, जिसमें मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में मद्य निषेध नीति के सफलतापूर्वक कार्य करने के विषय में सन्देह व्यक्त किया था, सरकार ने सारे देश में मद्य निषेध के कार्य की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है, और यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं और निर्देश पद क्या हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** इस प्रकार की एक औपचारिक समिति की नियुक्ति की जानी है । एक या दो सदस्यों का चुनाव किया जायेगा, जो इस समस्या का अध्ययन करेंगे । प्रमुख समस्या

†मूल अंग्रेजी में

मद्य निषेध कार्यक्रम की कार्यान्विति में कमजोरियों के विषय में है, इसलिये यह सुझाव दिया गया है कि एक या दो सुयोग्य व्यक्ति इस समस्या का अध्ययन करके यह सुझाव दें कि किस प्रकार इस योजना की कार्यान्विति के कार्यक्रम में आये हुए दोषों को दूर किया जाये। इस प्रयोजनक के लिये अध्ययन किया जाने का सुझाव दिया गया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** और यदि उन्हें दूर नहीं किया जा सका ?

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि योजना मंत्री श्री नन्दा ने एक बैठक में यह कहा था कि नैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से देखते हुए पूर्ण मद्य निषेध एक सुदृढ़ उपाय है और इस नीति को त्याग देने से देश की भारी क्षति होगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** गृह-कार्य मंत्री भी इससे सहमत हो गये थे। क्या वह कुछ कहना चाहते हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि नैतिक दृष्टिकोण से मैं उनसे १०० प्रतिशत सहमत हूं। जहां तक आर्थिक दृष्टिकोण का प्रश्न है इस विषय में वह ही विशेषज्ञ हैं।

श्री विभूति मिश्र: क्या यह सही है कि जहां जहां पर पार्शल प्रोहिबिशन किया गया वह सफलीभूत नहीं हुआ ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं, माननीय सदस्य मद्रास के मुख्य मंत्री और होम मिनिस्टर श्री भक्तवत्सलम जी से बात करने के कब्ल इस के बारे में अपनी राय कायम न करें।

श्री यशपाल सिंह : जैसे कि पहले भी शराबबन्दी के सिलसिले में सदन में कई दफे जिक्र आया, जब तक शराब बेचने वाले और पीने वाले दोनों को जेल में नहीं डाला जायेगा तब तक क्या प्रोहिबिशन सफल हो सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक राय है।

पेन्शन

*९०१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या गृह-कार्य मंत्री १४ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी करने तथा उन्हें अन्य सुविधायें देने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) : सरकार ने इस विषय पर आगे विचार करना स्थगित कर दिया है क्योंकि पेंशन पाने वालों ने स्वयं आकर गृह मंत्री जी को यह कहा है कि वे संकट कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्तावों की पैरवी नहीं करना चाहते।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या कुछ अन्दाजा माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि कितने दिनों तक इस प्रश्न को स्थगित रक्खा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : वह तो बढ़ाना नहीं चाहते फिर भी आप पैरवी करना चाहते हैं ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मेरा मतलब यह है कि आखिर कोई अन्दाजा है कि कितने दिनों के बाद इस पर विचार किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका फैसला तो वही करेंगे जिन लोगों की दरख्वास्त है और जिन की ऐसी इच्छा थी, आप क्यों कर रहे हैं ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, सरकार को भी तो बतलाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह प्रश्न पर जोर देना चाहते हैं ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैंने तो प्रश्न पूछ लिया, अब तो मैं उत्तर मिलने की आशा करता हूं ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह तो पेंशनर्स समाज के लिये बड़ी प्रशंसा की बात है कि उन्होंने असाधारण स्थिति की वजह से यह तय किया कि वे अपनी मांग को आगे न बढ़ायें। जहां तक पेंशन बढ़ाने की बात है उस में तो अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन और जो बातें उन की हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं। बल्कि प्रदेश सरकारों को लिखा गया है, जैसे कि मिसाल के लिये लिखा है प्रदेश की सरकारों को, कि सरकारी काम करने वालों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में जो सुविधायें हैं या सहूलियतें दी गई हैं, वह उन को भी दी जायें। यह उन की मांग थी और उस को हम-ने प्रदेश की सरकारों को लिखा है। दूसरे यह कि दिल्ली में उन के दवा दर्पण के ख्याल से भी हम ने कहा कि किस तरह अपनी स्कीम में उनको हैल्थ मिनिस्ट्री सम्मिलित कर सकती है। इस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी किया जाय।

श्री शिव नारायण : क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि जिन लोगों की पेंशन में हिसाब को कुछ गड़बड़ी है उसको जांच करके ठीक करने का प्रयत्न सरकार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : हिसाब तो हर वक्त किया जा सकता है। अगर गड़बड़ी है तो लिखें। उसमें पालिसी की तो कोई बात नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** सेवानिवृत व्यक्तियों की ३ मांगें हैं, ५०० रु० से कम निवृत्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों को महंगाई भत्ता दिया जाये, कम्यूटेशन के कारण जितनी राशि कम कर दी गई थी उसे फिर से निवृत्ति वेतन में जोड़ दिया जाये ; तीसरी मांग चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के बारे में है। गृह-कार्य मंत्रालय ने इसकी कार्यान्विति के विषय में वित्त मंत्रालय के पास कौन सी विशिष्ट सिफारिशें भेजी हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हमने वित्त मंत्रालय को निवृत्ति-वेतन बढ़ाने के संबंध में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का विषय भी हमने ले लिया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** उनका निवृत्ति वेतन बढ़ाये जाने तक उन्हें महंगाई भत्ता दिये जाने के संबंध में क्या किया ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जैसा कि मैंने कहा हम इस विषय में वित्त मंत्रालय से वार्ता कर रहे हैं। फिलहाल हमने इसे स्थगित ही कर दिया है। मुझे सेवा निवृत्त व्यक्तियों की सराहना करनी चाहिये क्योंकि जैसा कि मैंने श्री भक्त दर्शन को उत्तर देते समय कहा था, उन्होंने स्वयं यह

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुभव किया कि हम फिलहाल इस विषय को स्थगित कर सकते हैं। इसलिये महंगाई भत्ते और निवृत्ति वेतन में वृद्धि के विषय अभी वैसे ही पड़े हुए हैं और हम इन पर उपयुक्त समय पर विचार करेंगे। चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के विषय में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि उनके बच्चों की शिक्षा आदि की सहूलियत दी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सहूलियत उन लोगों को भी दी जायेगी जो कि घर के खुशहाल हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अब यों तो सरकारी अफसर भी सब बिल्कुल एक तरह के नहीं हैं, कुछ उनम भी खुशहाल हैं, लेकिन नियम तो सब के लिये एक ही हैं। इसलिये पेंशनर्स के लिये भी नियम एक ही है।

†**श्री त्यागी :** माननीय मंत्री ने अभी यह कहा है कि वह सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की चिकित्सा संबंधी सुविधायें दिये जाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। उत्तर के तुरन्त पश्चात् मैंने देखा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने 'विरोधस्वरूप फुसफुसाकर उनसे कुछ कहा। क्या यह घोषणा किये जाने के पूर्व उनकी सम्मति ले ली गई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। कानाफूसी सभा के वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाती।

अनाथों के लिये 'आश्रय ग्राम'

+

†*९०३. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनाथों की उचित देखभाल करने के लिये भारत में 'आश्रय ग्राम' बनाये जाने वाले हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** ऐसे गांवों के बच्चों को कौन सी सुविधायें दी जायेंगी ? क्या इस विषय में कोई विशेष परियोजना तैयार की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जब प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं है तो मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दे सकता हूं ?

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या स्विटजरलैण्ड के कुछ विशेषज्ञ भारत आये हैं और क्या उन्होंने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री से परामर्श किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कुछ प्रतिनिधि भारत आये थे, मुझ से मिले थे और बताया था कि आस्ट्रिया और कुछ दूसरे यूरोपीय देशों में किस प्रकार यह आन्दोलन अच्छा कार्य कर रहा है। किन्तु हमारी वार्ता उस के वर्णन तक ही सीमित रही; कोई अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

†**श्री महेश्वर नायक :** इस योजना का नाम एस० ओ० एस० क्यों रखा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: यह आन्दोलन आस्ट्रिया में आरम्भ हो कर स्कैन्डेवियन और यूरोप के अन्य देशों में फैल गया। वह सामाजिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को विशेष सुविधायें देते हैं। उन्हें गांवों में रखा जाता है और घर के समान ही उनकी देखभाल की जाती है। सामान्यतः एक गांव में १५–२० झोंपड़ियां बनाई जाती हैं और उन्हें घर जैसा ही वातावरण उपलब्ध हो जाता है।

†**श्री यशपाल सिंह** : बजाय इसके कि सरकार और खर्चा उठाये क्या यह संभव नहीं है कि अभी जितने अनाथालय बने हुए हैं उनको कोई आर्थिक सहायता दे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इस मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होने वाले सारे प्रश्न अर्थ-हीन हैं, यदि मैं ऐसा कह सकूं। इस ससमय सरकार के सम्मुख ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री हेडा** : योजना अच्छी हो सकती है। किन्तु इसका नाम बुरा क्यों रखा गया है ? अच्छा क्यों नहीं रखा गया ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार की कोई योजना नहीं है। इस आन्दोलन का श्रीगणेश आस्ट्रिया में हुआ है। यह संस्थापक यहां आये और आकर इस विषय में मुझ से वार्ता की। हमने नाम भी नहीं रखा। इस आन्दोलन से हमारा कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बच्चे के जन्मने के पहले ही उस का नामकरण किया जा रहा है। अगला प्रश्न।

जल विज्ञान-संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

*९०४. **श्री तन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'यूनेस्को' की जनरल कान्फ्रेन्स ने अपने १२वें अधिवेशन में जल विज्ञान सम्बन्धी दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार उस कार्यक्रम में भाग लेने का है ; और

(ग) प्रस्तावित कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) जल विज्ञान सम्बन्धी दीर्घकालीन कार्यक्रम १९६५ से कार्यान्वित किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये दीर्घकालीन कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने के लिये यूनेस्को द्वारा मई १९६३ में एक प्रारम्भिक अधिवेशन आयोजित किया जायेगा। यूनेस्को ने प्रारम्भिक अधिवेशन में विशेषज्ञ और परामर्शदाता भेजने का निमंत्रण सरकार को दिया है और यह जल विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रमों के सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। सरकार के दीर्घ-कालीन कार्यक्रम में भाग लेने के प्रश्न पर उचित समय पर निर्णय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रस्तावित कार्यक्रम का सर्वोपरि ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा जल विज्ञान की उन्नति करके जल संसाधनों के प्रयोग और संरक्षण के विषय में मानव को अधिक क्षमताशील करना है ।

श्री तन सिंह : क्या यह सही है कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का निश्चय करने के लिए मई के महीने में कोई कानफरेंस हो रही है, और यदि यह सही है तो क्या सरकार अपने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष सुझाव वहां भेजने जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसका जवाब तो उस स्टेटमेंट में दे दिया गया है जोकि टेबिल पर रखा गया है ।

†**डा० क० ल० राव** : क्योंकि जल-विज्ञान का प्रयोग भारत में पहले ही किया जा रहा है और केवल इसके विस्तार की ही आवश्यकता है, क्या सरकार इस पर खर्च उसी समय करेगी जब पूरे प्रस्ताव उपलब्ध हो जायेंगे और भारत के परामर्शदाताओं के अधिवेशन में भाग लेने के परिणामस्वरूप कोई फायदा होने की आशा होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस का उत्तर सभा पटल पर रखे गये विवरण में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह कार्य के लिए सुझाव ही है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : विवरण को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि १९६५ तक जा कर इस कार्यक्रम को चालू करने की स्थिति आयगी । उसके पहले क्या इस देश में इस किस्म का कोई कार्यक्रम हो रहा है, और यदि हो रहा है तो क्या उसमें सरकार की तरफ से कोई सहायता दी जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस विषय पर यूनेस्को ही विचार करेगा । यह सारी योजना यूनेस्को की ही है और उन्होंने हमें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : यूनेस्को के बारहवें अधिवेशन के सम्मुख प्रस्तुत की गई जल विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं में से कितनी समस्यायें अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने के योग्य हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य सभा पटल पर रखे गये विवरण को देखें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में यह दिया गया है कि :

> "प्रस्तावित कार्यक्रम का सर्वोपरि ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा जल विज्ञान की उन्नति करके जल संसाधनों के प्रयोग और संरक्षण के विषय में मानव को अधिक क्षमताशील करना है ।"

मानव की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में यह सामान्य विवरण है । मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में, विशेष रूप से इस समस्या के सम्बन्ध में, कौनसे विशेष कदम उठाये गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसाकि माननीय सदस्य देखेंगे हमारे अथवा किसी अन्य देश में किसी भी प्रकार के विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं । यह एक नई चीज है जिसकी जांच की जा रही है और इस विषय में पहले यूनेस्को द्वारा ही की गई है । यह सच है कि कुछ प्रगतिशील राष्ट्रों में

---

†मूल अंग्रेजी में

किसी सीमा तक प्रारम्भिक कार्य किये गये हैं; किन्तु अब यूनेस्को इस बात की जांच कर रहा है कि दोनों देशों के सहयोग से इस विज्ञान की प्रगति कहां तक की जा सकती है।

डिजाइन और इंजीनियरिंग यूनिट

†*९०५. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री महानन्द : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विकसित की गई प्रक्रियाओं के मूल्यांकन में सहायता देने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में एक डिजाइन और इंजीनियरिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । ऐसा प्रस्ताव है किन्तु अभी ब्यौरा तैयार करना है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि सी० एस० आई० आर० और उससे सम्बन्धित जो लेबोरेटरीज़ हैं उनका काम संतोषजनक नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इस की जांच करने के लिये क्या सरकार कोई कदम उठा रही है ?

श्री हुमायून् कबिर : सवाल का पहला हिस्सा गलत है। इसका काम अच्छा हो रहा है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जिस इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग यूनिट के सम्बन्ध में अभी मंत्री जी ने बताया उसका विवरण क्या है और कब तक उस को कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस यूनिट के विषय में विस्तृत जानकारी देना कठिन है। इसका प्रमुख कार्य यह है कि प्रयोगशालाओं में तैयार की गई प्रक्रियाओं का आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करे। मैं समझता हूं कि पहले रसायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं और फिर मेकेनिकल इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जायेगा। जल्दी ही यूनिट की स्थापना की जायेगी।

श्री यशपाल सिंह : रुड़की यूनिवर्सिटी का रेकार्ड एशिया भर में सब से ऊंचा माना जाता है तो क्या सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि यह काम रुड़की यूनिवर्सिटी को सौंपा जाये।

श्री हुमायून् कबिर : रुड़की यूनिवर्सिटी एक आला दर्जे की युनिवर्सिटी है। इसी तरह से अन्य युनिवर्सिटियां भी आला दर्जे की हैं और हर एक युनिवर्सिटी में कुछ फैसेलिटीज़ हैं लेकिन वहां यह काम नहीं हो सकता है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या इस रूपांकन और इंजीनियरिंग यूनिट की प्रयोगशाला में स्थापना प्रयोग के लिए होगी, अथवा सैद्धांतिक आधार पर होगी या इस क्षेत्र में किये जाने वाले कार्य से इसको सम्बन्धित किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : विशेष प्रयोगशालाओं की विशेष समस्याओं के सम्बन्ध में कार्य करने वाले यूनिट पहले से ही प्रयोगशाला में हैं। प्रस्तुत प्रस्ताव सामान्य समस्याओं के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये केन्द्रीय यूनिट की स्थापना के विषय में है। विशेष समस्याओं के सम्बन्ध में प्रयोगशालाओं में इसी प्रकार कार्य किया जायेगा जैसा कि इस समय किया जा रहा है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या सरकार का ध्यान आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है कि सरकार प्रयोगशालाओं में किये जाने वाले कार्य का मूल्यांकन करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : ऐसी प्रथा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् समय समय पर पुनर्विलोकन समितियां नियुक्त करती है। अब ऐसी समिति नियुक्त करने का समय आ गया है और इसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसी समिति नियुक्त करने का विचार है।

श्रीमती सावित्री निगम : इन प्रयोगशालाओं में कितने आविष्कार किये गये और १९६१–६२ में में कितनों को पेटेंट करवाया गया।

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं तुरन्त इसके आंकड़े नहीं दे सकता क्योंकि प्रयोगशालाओं की स्थापना किये जाने के बाद से अब तक इनकी संख्या सैंकड़ों के अंक तक पहुंच गयी होगी।

†**डा० क० ल० राव** : क्या यह यूनिट आरम्भ में मेकेनिकल इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं के साथ ही संलग्न कर दिया जायेगा जिससे कि प्रारम्भिक खर्च न करना पड़े।

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कुछ प्रयोगशालाओं में पहले से ही रूपांकन यूनिट है। मैकेनिकल गवेषणा संस्थान और राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशालाओं के अपने-अपने यूनिट हैं। अब सामान्य समस्याओं के लिये एक केन्द्रीय यूनिट की स्थापना करने का विचार है।

†**डा० क० ल० राव** : मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय प्रयोगशाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के साथ ही स्थापित की जाये।

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह सुझाव कार्य करने के लिये है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मन्त्री ने कहा था कि पुनर्विलोकन समिति की नियुक्ति की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं, कि इस समिति की रचना का रूप क्या होगा और क्या इसमें कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जायेंगे तथा इसके निर्देश पद क्या होंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इसके निर्देश पद में पहली पुनर्विलोकन समितियों के ही समान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् कार्य का पुनर्विलोकन करना और अपनी सिफारिशें देना सम्मिलित होगा। पहले के ही समान इस बार भी कुछ विदेशी वैज्ञानिक सम्मिलित करने का विचार है; किन्तु जब तक हमें उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम उनके नाम नहीं बता सकते।

मध्य प्रदेश में कोयले और बॉक्साइट के निक्षेप

†*९०६. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या खान और इंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कोयले और बॉक्साइट के निक्षेपों पर दिये जाने वाले

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वामिस्व (रायल्टी) को बढ़ा देने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

†**खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). सरकार का कोयले के सम्बन्ध में वर्तमान स्वामिस्व दरों में संशोधन करने का विचार नहीं है । बॉक्साइट के सम्बन्ध में वर्तमान स्वामिस्व दरों में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है । शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि मैंने उपमन्त्री या संसदीय सचिव—मुझे स्मरण नहीं कि वह वास्तव में क्या हैं—की बात ठीक ही सुनी है तो उन्होंने यह कहा है कि एक वस्तु के सम्बन्ध में सरकार का विचार देश में संशोधन करने का नहीं है जब कि दूसरी वस्तु के विषय में है । क्या यह ठीक है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस तरह की दोहरी नीति अपनाने का क्या कारण है ? इस भिन्न कार्य-पद्धति का, कि एक वस्तु में संशोधन करने का विचार है और दूसरी में नहीं, क्या कारण है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें दोहरी नीति का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री तिम्मय्या** : जहां तक कोयले के प्रश्न हैं, स्वामिस्व दरों में संशोधन नहीं किया जायेगा । इसका कारण यह है कि अधिकांश कोयला खनन दरों की मंजूरी २५-१०-४९ से पहले दी गई थी । इसलिये खान और खनिज अधिनियम के अनुसार स्वामिस्व की दरें अक्टूबर १९४९ से पूर्व मंजूर किये गये इन पट्टों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगी । दूसरे पट्टों के सम्बन्ध में हम स्वामिस्व दरों में इसलिये संशोधन करना नहीं चाहते कि इससे कोयले का मूल्य बढ़ जायेगा, जिसे हम वांछनीय नहीं समझते ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : दूसरे मामले के सम्बन्ध में, जो विचाराधीन है, क्या मध्य प्रदेश सरकार से वार्ता चल रही है और यदि हां तो क्या माननीय मंत्री स्पष्ट रूप से सभा को यह बताने की स्थिति में हैं कि आसाम तेल स्वामिस्व के समान यह मामला भी कहीं ऐसी विकट स्थिति में न पहुंच जाये जब कि हमारे भार-ग्रस्त प्रधान मंत्री को इतनी उम्र में उस विषय में मध्यस्थता करने का कार्य करना पड़ा था ।

†**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति । वह आगे होने वाली बातों के विषय में उल्लेख कर रहे हैं ।

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : सम्भवत: मेरे माननीय मित्र बॉक्साइट पर स्वामिस्व के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते हैं । हमारी मन्त्रालय मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों से सहमत हो गई है, और हमने भारत सरकार से सिफारिश की है कि वह भी उन प्रस्तावों को स्वीकार करले । हमारी धारणा है कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जायेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : केवल धारणा ही है ?

डा० गोविन्द दास : इस सम्बन्ध में क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या विशेष प्रस्ताव किया है और वह कितने दिन से केन्द्रीय सरकार के सम्मुख है और उसका निर्णय कब तक हो जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री के० दे० मालवीय : बात यह है कि रायल्टी की रेट्स बढ़ाने का प्रस्ताव सभी स्टेटों से आया है और हम लगभग डेढ़, दो साल से इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। कुछ प्रस्तावों को जो कि सरकारों से आये हैं, उनको हमने मान लिया है। बौक्साइट पर साढ़े सात परसैंट की रायल्टी देने का प्रस्ताव हम मुनासिब समझते हैं। दूसरी स्टेट्स से भी सलाह मशविरा करेंगे। कुछ सरकारें ज्यादा चाहती हैं तो कुछ कम चाहती हैं। आखिर में हम लोगों ने मुनासिब यह समझा कि मध्य प्रदेश का प्रस्ताव मुनासिब है और अब कैबिनेट के सामने जायगा और जाब्ते से मंजूर हो जायगा।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि दूसरी स्टेट्स में रायल्टी का जो रेट दिया जाता है वह रेट मध्य प्रदेश में नहीं दिया जाता है इस वास्ते मध्य प्रदेश ने रायल्टी के लिए ज्यादा रेट मांगी है ?

श्री के० दे० मालवीय : रायल्टी का रेट सब जगह एक ही जैसा रहता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रधान मन्त्री, मन्त्री महोदय के कान में कुछ कह रहे हैं। सम्भवतः ठीक उत्तर नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह उनकी अपनी बात है।

†श्री बड़े : दर एक समान नहीं है।

†**अध्यक्ष महोयय**: तब वह इस समय नहीं, किन्तु बाद में यह पता करेंगे कि यह ठीक है या नहीं।

न्यायापालिका को कार्यपालिका से अलग करना

†*९०७. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की योजना पूरी तरह लागू कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो अभी योजना किन राज्यों में लागू होनी बाकी है ; और

(ग) योजना को शीघ्र लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर और पश्चिमी बंगाल में न्यायपालिका कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक् कर दी गई है।

(ग) यह विषय मुख्यतः राज्य सरकारों के ही विचार के लिये है।

†**श्री अ० व० राघवन** : संघ राज्य क्षेत्र, विशेषतया लकादिव द्वीपों में, यह सुधार लागू करने के विषय में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री हजरनवीस** : अन्दमान, लकादिव, निकोबार और मिनिकोय द्वीपों में इस प्रकार पृथक्करण करने का अभी कोई विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० व० राघवन** : इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : क्योंकि वहां की परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं हैं मुझे वहां की वास्तविक परिस्थितियों का निर्देश करने की आवश्यकता नहीं, जिनके विषय में पहले ही इस सभा के माननीय सदस्य जानते हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की समस्या में दोनों से मन्त्रियों के दिन-प्रतिदिन के मनमाने हस्तक्षेप को पृथक करने की समस्या भी सम्मिलित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वारियर ।

†**श्री वारियर** : क्या सरकार न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के विषय में संविधान में दिये गये निदेशक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती ; यदि हां, तो क्या सरकार इसे कम से कम संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है ?

†**श्री हजरनवीस** : इसे स्वीकार कर लिया गया है, सर्वथा इसकी कार्यान्विति की जा रही है, और इस कार्य के पूर्ण करने में देरी नहीं की जायेगी । किन्तु ऐसी योजना कार्यान्वित करने के पूर्व परिस्थितियों का अध्ययन किये जाने की संभावना है ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : वह कौन से आधार हैं जिन पर कुछ राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं चाहते ।

†**श्री हजरनवीस** : किसी भी राज्य ने यह नहीं कहा कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक नहीं करेंगे ; किन्तु उनकी अपनी प्रशासनीय कठिनाइयां हैं और वह शनैः शनैः उन्हें दूर कर रहे हैं ।

†**श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या यह सच नहीं है कि अब भी मुंसिफों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां कार्यपालिका, केन्द्र अथवा राज्य के गृह-कार्य मंत्री द्वारा की जाती हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : इसका न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से कोई संबंध नहीं ।

†**श्री स्वैल** : श्रीमान्, मेरा प्रश्न डा० महिषी के प्रश्न के समान ही है, किन्तु मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया वह स्पष्ट नहीं है । शेष राज्यों में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पूर्णतः पृथक किये जाने के मार्ग में सामान्यतः कौन सी कठिनाइयां हैं ? कृपया स्पष्ट रूप में कहिये ?

†**श्री हजरनवीस** : जैसा कि मैंने कहा था यह कार्य एक दिन में ही नहीं किया जा सकता । प्रत्येक जिले में यह करना है जिन राज्यों में यह कार्य पूर्ण रूप से कर लिया गया है वहां यही पद्धति अपनाई गई है । जहां तक आसाम का संबंध है, सरकार ने वहां एक समिति नियुक्त की है । वह अपनी निजी समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन पूर्ण हो जाने के पश्चात् वह इसे लागू करेंगे ।

†**श्री स्वैल** : समस्यायें क्या हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : इसका निश्चय करना और पता लगाना समिति का ही कार्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स्वैल** : केन्द्र उन समस्याओं से अवश्य परिचित होगा ?

†**श्री हजरनवीस** : यह विषय पूर्णतः राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : जिन राज्यों ने कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक नहीं किया उनके सम्मुख कौन सी कठिनाइयां हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बार बार वही प्रश्न ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि अन्दमान परिषद ने एक संकल्प पारित करके गृह-कार्यमंत्री से कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने की प्रार्थना की है और क्या ऐसा ही संकल्प विधि जीवी संघ (Bar Association) ने भी पारित किया है ?

†**श्री हजरनवीस** : माननीय महिला सदस्य की जानकारी के लिये मैं कहना चाहता हूं कि २० सितम्बर, १९६२ को हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक में इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी। उस समय यह अनुभव किया गया था कि इस समय इस योजना को लागू करने की कोई सार्थकता नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : अभी तक कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें आपने एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी को सैपरेट कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने बता दिया है।

†**श्री त्यागी** : न्यायापालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की आवाज सब से पहले ब्रिटिश राज के समय उठाई गई। जब न्यायपालिका कार्यपालिका प्राधिकार के अधीन नहीं थी। इस विषय में कौन सी सावधानियां बरती गई हैं कि अन्य न्यायपालिका के पृथक हो जाने के पश्चात् वह राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्तियों के प्रभाव में नहीं रहेंगी ? क्या वह न्यायिक सेवा को एक केन्द्रीय सेवा बनाना चाहते हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, यह कार्य के लिये सुझाव है। मैं समझता हूं कि संविधान में इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि नागरिक के पक्षपात रहित और न्यायसंगत न्याय पाने के अधिकार में किसी भी अधिकारी द्वारा, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो हस्तक्षेप नहीं किया जाये।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : जिन राज्यों में अभी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक नहीं किया गया है उन्हें वर्तमान व्यवस्था चालू रखने और पृथक्करण का विरोध करने से कौनसी सुविधायें प्राप्त होती हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : मेरे विचार में वह वर्तमान व्यवस्था को सुविधापूर्ण नहीं समझते। वस्तुतः वह इस नई पद्धति को लागू करने में कठिनाइयां अनुभव करते हैं। इसलिये शनैः शनैः वह उन कठिनाइयों को दूर करने और इसको लागू करने का कार्य कर रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : कांग्रेस ने अपनी स्वाधीनता की लड़ाई की यात्रा में बराबर कहा है कि ज्यूडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सैपरेट किया जाना चाहिये। गांधी जी ने भी कहा था कि यह कांग्रेस का कमिटमेंट है और इसको पूरा किया जाना चाहिये । आज पन्द्रह बरस हो गये हैं, यह नहीं हो सका है। मैं जानना चाहता हूं क्यों इसको सैपेरेट आज तक नहीं किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं एक बात साफ कर देना चाहता था और वह यह है कि यह ख्याल कि प्रदेश की सरकारें ज्यूडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग नहीं करना चाहती हैं, ठीक नहीं है। अभी हमारे सहयोगी ने बताया है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर, वैस्ट बंगाल ऐसे प्रदेश हैं जहां बिल्कुल अलग हो गई है। यह समझना कि और जो प्रदेश हैं वहां बिल्कुल अलग नहीं हुई है, ऐसी बात नहीं है। अब चाहे बिहार को आप लें या मध्य प्रदेश को लें या उड़ीसा को लें या राज्जस्थान को लें, इन सब प्रदेशों में भी कहीं १७ जिलों में कहीं १८ जिलों में, कहीं २० जिलों में तो अलग हो गई है, ५ या ७ या अधिक में नहीं हुई है। बाकी में उसको लागू करना है, इम्प्लेमेंट करना है, इसकी देर है। एक जगह ऐसी भी है जैसे असम है, जहां एक कमेटी बैठी है। जहां तक यूनियन टैरिटरीज की बात है, उन में हम करना चाहते हैं। लकादीव आइलैंड, अन्डमान वगैरह में पहले और काम आगे बढ़े तब फिर हम सोच सकते हैं।

अशोधित तेल संवाहन संयंत्र[1]

†*९०८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहरकटिया में आयल इंडिया का अशोधित तेल संवाहन संयंत्र चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उस पर कितनी लागत आई है ; और

(ग) संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) जी हां।

(ख) २१-२-६३ को। संयंत्र की लागत लगभग १६५ लाख रुपया है।

(ग) ८,००० किलोमीटर प्रति दिन।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह संयंत्र दुनिया में अपनी किस्म का पहला समझा जाता है ? यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इसे कितने बनाया था ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** नहरकटिया के अशोधित तेल में बहुत चिकनाहट होती है और जाड़े में वह जम जाता है। आसाम आयल कम्पनी ने इस समस्या की छान-बीन की है और फिर यह संयंत्र स्थापित किया है। यह उसका अपना संयंत्र है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस संयंत्र का पूरी तौर से चलना बरौनी शोधक कारखाने के पूरे होने पर निर्भर है ? यदि हां, तो यह संयंत्र अब किस स्तर पर काम कर रहा है और बरौनी शोधक कारखाना कब तक उस दशा पर पहुंच जायगा जबकि यह संयंत्र पूरी तरह से चलने लगेगा।

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह सच है कि इस यंत्र की पूरी क्षमता का तभी उपयोग किया जायगा जबकि बरौनी शोधक कारखाना पूरी तौर से काम करेगा। अभी सिर्फ २५ प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Crude Conditioning Plant.

राजकोट के निकट प्रागैतिहासिक अवशेष

+

†*१०९ श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बं० ना० कुरील :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट गुजरात से ३४ मील दूर रोगड़ी गांव में २५,००० वर्ष पुराने दुर्लभ अवशेष मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनसे भारतीय इतिहास के संबंध में क्या जानकारी मिलती है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). गुजरात सरकार कुछ खुदाई करा रही है लेकिन भारत सरकार को उसके बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पुरातत्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को उस क्षेत्र में स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजा जा रहा है।

श्री रघुनाथ सिंह : यहां जो चीजें प्राप्त हुई हैं, मोहनगोदड़ों में जो चीजें प्राप्त हुई थीं उनके साथ क्या इनका कोई सम्बन्ध है ?

†डा० म० मो० दास : यह ठीक है और हो सकता है कि इस खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता पर कुछ और प्रकाश पड़े।

†श्री विश्वनाथ राय: इस खुदाई में भारत सरकार राज्य सरकार का कहां तक साथ दे रही है?

†डा० म० मो० दास : कानून के मुताबिक राज्य सरकार को खुदाई के लिए केन्द्रीय पुरातत्व विभाग से अनुमति मांगनी चाहिये। राज्य सरकार ने यह अनुमति मांगी है और यह दी गयी है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : खुदाई में जो चीज मिली हैं, उन को रखने के लिए संग्रहालय में सरकार ने क्या कोई उचित व्यवस्था पहले से की है या सारी चीज वहां के स्थानीय अधिकारियों के पास हैं ?

डा० म० मो० दास : इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता।

†डा० गोविन्द दास: अभी जो यह खुदाई राजकोट के चारों तरफ चल रही है, क्या गुजरात सरकार ने द्वारिका और द्वारिका के चारों तरफ खुदाई के सम्बन्ध में सरकार के सामने कोई प्रस्ताव रखा है ?

†डा० म० मो दास : मुझे इस प्रश्न के लिए सूचना चाहिये। लेकिन मैं माननीय सदस्य को इतना ही बता सकता हूं कि डेकन कालेज पोस्ट ग्रजुएट रिसर्च इंस्टिट्यूट के डा० सँखालिया ने द्वारिका के पास कुछ खुदाई की है

श्री रघुनाथ सिंह : ये जो चीजें यहां प्राप्त हुई हैं, इनकी एज क्या होगी, पचीस हजार साल पुरानी होंगी, तीस हजार साल पुरानी होंगी या कितनी पुरानी होंगी ?

†डा० म० मो० दास : अनुमान है कि जो चीजें मिली हैं वे ईसा से पहले लगभग २००० से २५०० साल के पहले सिन्धु घाटी सभ्यता की हैं। डा० सँखालिया को इस खास जगह के आस पास

†मूल अंग्रेजी में

के क्षेत्रों में पत्थर के कुछ पुराने औजार मिले हैं जिन्हें प्राचीन युग के आदमियों ने काम में लाया था ।

श्री शिव नारायण : जो ऐतिहासिक वस्तुयें प्राप्त हुई हैं, वे क्या क्या वस्तुयें हैं, क्या मैं जान सकता हूँ ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस खुदाई के बारे में हमें कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिली है

मैंगनीज तथा क्रोम अयस्क के लिए खनन पट्टे का दिया जाना

†*९१२. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री ३ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी' नामक फर्म को १९५६ के बाद मैंगनीज और क्रोम अयस्क के लिए खनन पट्टे दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म को कितने पट्टे दिये गये थे तथा किन वर्षों में ;

(ग) क्या यह फर्म उन पार्टियों में से एक है जिनके पट्टों का केन्द्रीय सरकार ने पुनरीक्षण किया था तथा क्या उड़ीसा सरकार ने उस पुनरीक्षण का विरोध किया था ; और

(घ) यदि हां, तो पुनरीक्षण की अनुमति किन कारणों से दी गई थी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत सरकार कोई खनन पट्टा नहीं देती । खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा ५(२) के अधीन राज्य सरकार को अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में खनन पट्टा देने के लिए पहले केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लेनी होती है । मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी को एक मैंगनीज के लिए और दूसरा क्रोमाइट के लिए खनन पट्टे दिये जाने के लिए १९५७ और १९५८ में एक-एक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उस पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति राज्य सरकार को सूचित कर दी गयी थी । केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार ने वास्तव में वे खनन पट्टे दिये या नहीं इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : औद्योगिक नीति संकल्प में, १९५६ के बाद ये खनन पट्टे दिये जाने पर साफ रोक लगा दी गयी है । क्या केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि इस मामले में राज्य सरकार से कोई सिफारिशें आने पर केन्द्रीय सरकार उन्हें अपने ही आप मंजूर कर लेगी ? क्या यह सच नहीं है कि मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी को छोड़ कर और किसी दूसरी गैर-सरकारी पार्टी को १९५९ के बाद क्रोम का खनन पट्टा नहीं दिया गया था ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : प्रश्न का उत्तरार्द्ध सही नहीं है । १९५६ से जबकि औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार विशिष्ट खनिजों का नियंत्रण सरकार को सौंप दिया गया, खान और ईंधन मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति के जरिये इस प्रश्न की छानबीन की और अनुसूची में 'क' के

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्गत उल्लिखित मुख्य-मुख्य खनिजों के सम्बन्ध में सँपूर्ण देश का सर्वेक्षण किया। कई ऐसे खनिज हैं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं लेकिन उनके सम्बन्ध में भी मैं यह जांच कर रहा हूँ कि उन के वितरण के लिए कौन कौन से विशिष्ट नियम या विनियम बनाये जा सकते हैं। जब विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार कर लीं और वे मुख्य मुख्य खनिज अयस्क निश्चित कर लिये जिनका नियँत्रण सरकारी क्षेत्र द्वारा या राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा, तब सारे देश में हजारों आवेदनपत्र पहुँचे। बाकी के क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। उन्हें दूसरे गैर अनुसूचित खनिज क्षेत्रों की तरह समझा जायगा और वे राज्य सरकारों को वापिस दे दिये गये। फिर हमारे मँत्रालय और योजना आयोग की राय के अनुसार, उन क्षेत्रों को गैर-सरकारी क्षत्र के लिए छोड़ देने की सलाह दी गयी। इस नीति के आधार पर देश के बाकी भागों से हजारों आवदनपत्र प्राप्त हुए। अनुसूचित खनिजों के सम्बन्ध में गैर सरकारी कम्पनियों को खनिज रियायतें दी जाने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए १९५६ से २६१८ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन में से २३८२ आवेदन पत्र मँजूर कर लिये गये हैं, २१८ अस्वीकृत किये गये और १८ अब भी विचाराधीन हैं।

जहां तक क्रोमाइट पट्टों का सम्बन्ध है, सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी को उड़ीसा से २ पट्टे दिये गये थे जिन में एक मैंगनीज़ के लिए और दूसरा क्रोम के लिए था। वे राज्य सरकार की ओर से उसकी सिफारिश पर दिये गये थे। हमारा काम केवल इतना ही था कि औपचारिक रूप से उन पर स्वीकृति दी जाये।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या यह विशिष्ट क्रोम अयस्क क्षेत्र वही है जिस के बारे में विशेषज्ञों ने अपनी राय दी थी।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं समझता हूँ कि मैं ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। लेकिन मैं फिर बताने का प्रयत्न करूँगा। जो क्षेत्र अलग थे उनके बारे में राज्य सरकारों से यह आशा की जाती थी कि वे उन्हें गैर-अनुसूचित सामान्य खनिज क्षेत्र समझगे; और वे अपनी सिफारिशें भेज सकते थे और हमें केवल औपचारिक स्वीकृति देनी होती थी। यह क्रोम क्षेत्र उन सुरक्षित क्षेत्रों में नहीं था। गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों से राज्य सरकारों को हमारे पास कोई सिफारिश नहीं भेजनी होती है और जब कभी राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्रों की सिफारिश करती हैं तब भारत सरकार इस बात की ओर विशेष ध्यान देती है कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए न खोल दिये जायें जब तक कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने अगले कुछ वर्षों में उस क्षेत्र से खनिज निकालने का निश्चय न किया हो। मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत अधिक क्षेत्र नहीं हैं जो सुरक्षित क्षेत्र से निकाल कर गैर सरकारी क्षेत्र के लिए रखे जा रहे हों

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि १९६२ में छः मामलों में खनन पट्टों में परिवर्तन किया गया था और १९५९ तथा १९६१ में बदले गये पट्टे १९५६ से पहले भारत सरकार से प्राप्त हुए थे और क्या १९५६ के बाद जारी किये गये खनन पट्टे भी उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुए थे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इन खास ब्यौरों के बारे में मुझे मालूम नहीं है। लेकिन श्री हेम बरुआ के प्रश्नों के उत्तर में दिये गये आश्वासन के तौर पर सारे कागजात सभा पटल पर रखे जायेंगे। १९५६ से १९६२ तक क्रोम खनन पट्टों के सम्बन्ध में, भारत सरकार ने एक भी मामले में अगुआपन नहीं किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : इस में अगुआपन का कोई प्रश्न नहीं है आप इस बात की आड़ न लें कि राज्य सरकार ने सिफारिश की

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं नहीं जानता कि वह १९५६ से पहले या बाद में था भारत सरकार ने कोई क्रोम खनन पट्टा नहीं दिया है। श्री हेम बरूआ के प्रश्न के उत्तर में जो ब्यौरे सभा पटल पर रखे जाने हैं उनसे माननीय सदस्यों को सँतोष हो जायेगा कि भारत सरकार ने कोई अगुआपन नहीं किया है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : वह एक बिलकुल अलग प्रश्न है। में ने पिछले प्रश्न के बारे में पूछा था। मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि एक १९५८ म, दूसरा १९५९ में, तीसरा १९६१ में और १९६२ में छै छै पट्टे जारी किये गये। जब मैं ने पूछा तब क्या आप पार्टियों के नाम नहीं बता सकते थे। उस पर आप ने कहा कि मैं जांच करूंगा यही मेरा प्रश्न था।

†**के० दे० मालवीय** : सभी ब्योरा विवरण में दिया जायेगा।

†**श्री हेम बरुआः** क्या यह सच है कि विनिमय के आधार पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए मंगायी जाने वाली मशीनों के बदले में मैंगनीज़ निर्यात करने के लिए मैंसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी से प्राप्त एक आवेदन पत्र २९ मार्च को, मैंसर्स सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले, खान और ईंधन मंत्रालय ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को भेजी थी और यदि हां तो किन विशेष बातों के कारण वह आवेदन पत्र वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को भेजा गया, क्योंकि वह फर्म पहले ही बदनाम थी और . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न संगत नहीं है। मूल प्रश्न मैंगनीज़ और क्रोम अयस्क के खनन पट्टे के सम्बन्ध में था। मैंसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी पर चर्चा नहीं हो रही है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी को दिये गये खनन पट्टे के बारे में प्रश्न (क) के उत्तर के सम्बन्ध में, क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने श्री सिराजुद्दीन के भाई या शमसुद्दीन को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए मशीनें मंगाने के लिए आयात लाइसेंस दिया था और साथ ही मगनीज़ निर्यात के लिए खनन पट्टा दिये जाने के लिए वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को सिफारिश की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक दूसरे रूप मैं वही प्रश्न है।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने जो कुछ कहा है वह गलत है। शमसुद्दीन या सिराजुद्दीन का कोई प्रस्ताव विनिमय के आधार पर लेन देन के लिए खान और ईंधन मंत्रालय ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को सिफारिश के लिए नहीं भेजा है।

तारांकित प्रश्न संख्या ९१० के बारे में

श्री यशपाल सिंह : मेरा सवाल नम्बर ९१० नहीं बुलाया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह २३ तारीख के लिए रख दिया गया है। आपको अपने कागजों मैं नोटिस मिला होगा। शायद आपने उसको पढ़ा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेला रोड दिल्ली में क्वार्टरों का गिराया जाना

+

*९१३. **श्री ओंकारलाल बेरला :**
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री अ० प्र० सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ अप्रैल, १९६३ को पुलिस ने बेला रोड के क्वार्टरों को गिराना शुरू कर दिया था ;

(ख) क्या पुलिस के लाठी चार्ज करने के फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों को चोटें आई थीं तथा कुछ व्यक्तियों को भारत रक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने क्वार्टरों को गिराने से पहले यह आश्वासन दिया था कि क्वार्टरों को गिराया नहीं जायेगा ; और

(घ) क्या मामले की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : ये जो क्वार्टर गिराये गये हैं, ये संकटकालीन स्थिति के पहले कितने गिराए गए और बाद में कितने गिराये गये ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इस कार्य में केवल १४८ मकान गिराये गये थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि संकट से पहले और बाद में कितने कितने मकान गिराये गये ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मूल प्रश्न में ५ अप्रैल, १९६३ तक का उल्लेख है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि जितने क्वार्टर गिराए गए हैं उन में रहने वालों के लिये सरकार ने रहने की अन्य व्यवस्था की है या नहीं ? कितनों को और जगह दी गयी है और कितनों को नहीं दी गयी ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब तो श्री मेहर चन्द खन्ना जी ने उस दिन दे दिया था ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : कहां दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : जब डिबेट हो रही थी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इस अवधि में लगभग ३८० स्थान दिये गये थे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या दिल्ली में क्वार्टर गिराने के लिए निगम अधिकारियों को पुलिस की मदद दी जाती है और यदि हां, तो क्या सरकार ने भविष्य में इस काम को निगम के अधिकारियों पर ही छोड़ देने और कोई पुलिस सहायता न देने का निश्चय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इस विशिष्ट क्षेत्र में, निगम का कोई हाथ नहीं होगा। दिल्ली विकास प्राधिकार ने ही ये क्वार्टर गिराने के लिए कार्यवाही की थी।

पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिये आर्थिक कसौटी

+

†*६१४
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री हेमराज :
श्री दे० जी० नायक :
श्री गो० महन्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने राज्यों को पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिए जाति की बजाय आर्थिक कसौटी लागू करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ सरकारों ने 'आर्थिक कसौटी' स्वीकार कर ली है जिस के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जिनकी आय १२०० रुपयों से अधिक नहीं है, छात्रवृत्तियां देने तथा ट्यूशन फीस के मामले में अन्य पिछड़े वर्गों में माना जायेगा ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार के पास उपलब्ध जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ११४६/६३]**

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में 'पिछड़े' शब्द को 'पिछड़े' और 'अधिक पिछड़े' शब्दों में बांट कर ८० प्रतिशत जनता को शामिल कर दिया गया है और यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हम राज्य सरकारों को यह सुझाव दे रहे हैं कि वे जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को कसौटी मानें। माननीय सदस्य का कथन कुछ राज्यों के सम्बन्ध में ठीक हो सकता है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : राज्य आर्थिक कसौटी को संभवतः कब तक अपनायेंगे ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमने यह आर्थिक कसौटी अपनाई है लेकिन हमें भी पूरी तौर से अपनाने में कुछ समय लगेगा। इसलिए राज्य अपने अपने प्रशासनों के अनुसार अपनी इच्छा से समय लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र: क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को यह निर्देश दिया है कि जिस की आमदनी १२०० रुपये साल से कम होगी उसको बैकवर्ड क्लास में गिना जायगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमने कुछ मामलों में १५०० को आर्थिक कसौटी माना है । कुछ मामलों में वह १५०० से २००० रु० के बीच में है और कुछ में वह २४०० रु० है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या यह आर्थिक कसौटी संविधान की भाषा और भाव के विरुद्ध नहीं है जिस में लोगों के शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन का ही उल्लेख है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इन सभी पर विचार किया जा चुका है ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या जो रिपोर्ट श्रीमान काका कालेलकर साहब ने बैकवर्ड क्लासेज के बारे में दी थी उस में कोई ऐसी कसौटी का जिक्र किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उसे देख लें और उस बारे में प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है ।

†**श्री स्वैल** : क्या यह आर्थिक कसौटी अनुसूचित जातियों पर लागू की जायगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जी नहीं । वे इस कसौटी के अधीन नहीं आते ।

श्री तुलशी दास जाधव : क्या गवर्नमैंट ने जो सजैशन दिया है उस पर प्रान्तों में अमल किया गया है ?

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : गुजरात, महाराट्र और मैसूर राज्यों ने कुछ कदम उठाये है और पंजाब कुछ कर रहा है । कुछ दूसरे राज्य भी इस प्रश्न पर विचार कर रहे है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : जिन की आमदनी १२०० रुपये सालाना से कम होगी अगर उन को बैकवर्ड माना जायगा तो क्या जितनी फैसिलिटीज आफ़िसेज वगैरह में मिलने वाली है वे उनको दी जायेंगी या नहीं दी जायेंगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य को इसमें कुछ भ्रम हो रहा है । यह जो १२००, या १५०० या २००० की आमदनी की बात रखी गई है यह केवल स्कालरशिप्स के लिए है । इसके यह मानी नहीं है कि जिनकी आमदनी १२०० या उस से कम है उनको बैकवर्ड क्लास मान लिया जायगा । इसका बैकवर्ड क्लास की परिभाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह बिल्कुल एक अलग चीज है और यह इसलिए रखा जा रहा है कि लोगों को किस आधार पर स्कालरशिप दिए जायें जिस में जाति पांत का झगड़ा न हो । शिड्यूल्ड ट्राइब्स को इस से अलग रखा गया है ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित कसौटी को सरकार कार्यान्वित कर रही है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमने आर्थिक कसौटी इसलिए अपनाई है कि जाति की कसौटी मानने पर कई जातियों पिछड़े वर्ग के अन्दर नहीं आयेंगी लेकिन आर्थिक दृष्टि से वे पिछड़ी हो सकती है । हम पिछड़े वर्गों की मदद करना चाहते हैं चाहे वह किसी जाति के हों लेकिन वे आर्थिक दृष्टि से अवश्य पिछड़े हों ।

†**डा० सरोजिनी महिषी**: क्या यह सच है कि पिछड़े वर्गों को जो सुविधाएं दी गयी हैं उन से उन्हें पिछड़ा बना रहने के लिए प्रोत्साहन मिलता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक राय है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार, तीन राज्य सिफारिश के अनुसार यह छात्रवृत्ति दे रहे हैं । क्या केन्द्रीय सरकार ने इन राज्यों को यह सुझाव कार्यान्वित करने के लिए कोई अनुदान दिया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर**: यह हमारा सुझाव कार्यान्वित करने की बात नहीं है । दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार मैट्रिक के बाद और मैट्रिक से पहले की छात्रवृत्तियां देने के लिए अनुदान दे रही है ।

†**श्री त्यागी** : माननीय मन्त्री ने पिछड़े वर्ग और अनुसूचित आदिम जातियों में भेदभाव किया है । मैं जानना चाहता हूं कि छात्रवृत्तियों आदि के लिए जन्म सिद्ध अधिकार को मान्यता क्यों दी जा रही है ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इसीलिये हम आर्थिक कसौटी का पालन कर रहे हैं और अनुसूचित आदिम जातियों का जहां तक सम्बन्ध है, उनके लिए संवैधानिक व्यवस्था रखी गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है और अब मैं सीधे वित्त मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान का विषय उठा रहा हूं । कार्यसूची में उल्लिखित सभी मद इन मांगों के बाद ५ म०प० तक लिये जायेंगे ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन् एक अल्पसूचना प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सब उसी वक्त लिये जायेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अधिकारियों की भर्ती

†*९०२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सेवाएं--श्रेणी १ के लिये अधिकारियों की भर्ती का क्या कार्यक्रम है ;

(ख) विभिन्न मन्त्रालयों में फालतू कर्मचारी होने का इस कार्यक्रम पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग से की गई मांग में फेर बदल की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतबीस)** : (क) सम्भवतया माननीय सदस्य १९६२ में हुए प्रतियोगी परीक्षा के कारण भरती का उल्लेख कर रहे हैं ? १९६२ की परीक्षा के आधार पर ९० अभ्यर्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में तथा १४६ अभ्यर्थियों को भारतीय वैदेशिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त करने का विचार है ।

(ख) और (ग) जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा का सम्बन्ध है केन्द्रीय मन्त्रालय में फालतू कर्मचारियों के होने के कारण भरती कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं होगा । इसी में गृह मन्त्रालय का

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भेजा गया आदेश, पुनरीक्षित कर दिया गया है। श्रेणी प्रथम की केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में आयोग को आदेश तभी मन्त्रालय द्वारा सीधे दे दिए गये थे जब परीक्षा का परिणाम अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ था।

पेट्रोलियम-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम

†*९११. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक** कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विश्वविद्यालयों में पैट्रोलियम इंजीनियरिंग पाठयक्रम शुरू कर दिया गया है ;

(ख) क्या गुजरात में मिले तेल को ध्यान में रखते हुए गुजरात में किसी विश्वविद्यालय में पैट्रोलियम-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) इन कालेजों में इस समय कितने विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं तथा भविष्य के लिये योजना क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्यमंत्री (श्री हिमायून कबिर)** : (क) इस समय दो संस्थायें पैट्रोलियम टैक्नालाजी का पाठ्यक्रम पढ़ा रही हैं।

(ख) गुजरात के दो विश्वविद्यालयों ने इस सम्बन्ध में पाठ्यक्रमों की योजनायें पश की ।

(ग) पैट्रोलियम टैक्नालाजी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाली संस्थाओं की प्रवेश क्षमता वार्षिक २८ है। प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने का नये केन्द्र आरम्भ करने के प्रश्न पर विशेषज्ञ समिति विचार कर रही है।

दिल्ली में यातायात के समस्या

†*९१५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दुर्घटनाओं के बढ़ जाने की यातायात समयास्त्रों पर विचार करने के लिए उनके द्वारा स्थापित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों के काम की दशा

*९१६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री १४ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंग जिसमें यह बताया गया हो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कार्य की दशा सुधारने के बारे में अन्तर्विभागीय समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-काय मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० ११४७/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों के लिये राज सहायता

†*६१७. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में कलकत्ता में हुई भारतीय खनन संस्था की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रतिकूल दशाओं में काम कर रही कोयला खानों को राज सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में दिए गए सुझाव की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रवैया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां। यह निर्देश भारतीय खनन संस्था के सभापति द्वारा २२-३-६३ को कलकत्ता में आम बैठक में दिए गए वक्तव्य की ओर है कि उनको बता दिया गया है कि दर नहीं बढ़ सकती हैं क्योंकि उपकर से आय अपर्याप्त है। सरकार ने मामले की जांच कर ली है तथा उपयुक्त मामलों में सहायता को उदार बना दिया गया है। सरकार की राय है कि सहायता में और वृद्धि करने की कोई गुंजाइश नहीं है तथा इसी लिए उपकर से अपर्याप्त आय का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोयले की कीमत

*६१८. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री ओंकारलाल बैरवा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कीमत बढ़ाने का विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में रेलवे मन्त्रालय और योजना आयोग का दृष्टिकोण जानने की कोशिश की गई है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). विषय सरकार के विचाराधीन है।

रेंड बांध

*६१९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री २७ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेंड बांध से प्राप्त बिजली तथा पानी के उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मध्य वितरण के प्रश्न की जांच के लिये जो विशेष समिति नियुक्त की गई थी उसने किस तरह की सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उन सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). समिति ने अभी तक अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में छात्रवृत्तियां

†१९७८. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में मैट्रिक के बाद के अध्ययन के लिए आन्ध्र प्रदेश के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ; और

(ख) प्रत्येक विद्यार्थी को इस छात्रवृत्ति की कितनी रकम दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

(क) अनुसूचित जातियां ३३७७

अनुसूचित आदिम जातियां १८४

(ख) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या ५,ल० टी० ११४८।६३]**

उड़ीसा में हिन्दी का विकास

†१९७९. **श्री रामचन्द्र मलिक**: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना अवधि में पहले दो वर्षों में उड़ीसा सरकार तथा निजी संगठनों को उस राज्य में हिन्दी के विकास के लिए कितना धन दिया गया?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९६१-६२ में हिन्दी के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए योजना के अधीन उड़ीसा सरकार को ११,०८४ रुपये दिए गए थ ।

१९६२-६३ में तत्काल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा सभा, कटक को मासिक पत्रिका, की २०० प्रतियों के भुगतान के अंश के रूप में ३०० रुपए दिए गए थे ।

भारत सेवक समाज को दी गई सहायता

१९८०. **श्री रणंजय सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) भारत सेवक समाज को विभिन्न शिविरों को चलाने के लिए १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि दी गयी ;

(ख) १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष में कितनी राशि दी गई; और

(ग) क्या ग्रामीण युवक शिविरों तथा छात्र शिविरों की धनराशि अब कम कर दी गयी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ६,९७,०००·०० रुपये विभिन्न प्रकार के श्रम और समाज सेवा शिविरों के संचालत के लिए ।

(ख) ५,५०,०४२·००० रुपये ।

(ग) जी हां ।

उत्कल विश्वविद्यालय को सहायता

†१९८१. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ तथा १९६३-६४ वर्ष में उत्कल विश्वविद्यालय (उड़ीसा) को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

१९६१–६२	. . .	१६,८४,१४३ रुपये ८९ नये पैसे
१९६३–६४ (अब तक)	.	कुछ नहीं ।

विभागों में छंटनी

१९८२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपातकालीन स्थिति के कारण उनका मंत्रालय कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है और इससे कितनी राशि की बचत होगी; और

(ग) इन कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) तक . मंत्रालय में कार्य प्रणाली और क्रियाविधि को सरलत बनाने तथा कार्य के मूल्यांक और संगठनात्मक विश्लेषण सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन १९६१–६२ में आरम्भ कर १९६२–६३ में पूरा किया गया । मुख्यत: इस अध्ययन के फलस्वरूप और संकटकालीन स्थिति के दौरान बचत की आवश्यकता को देखते हुए ४० पद कम करने का निश्चय किया गया जिसके फलस्वरूप १९६३–६४ के दौरान लगभग १,९४,७२४ रुपये की बचत हो सकेगी । वर्गानुसार निम्नांकित पद कम किये गये हैं :—

१	अनु सचिव
४	सहायक शिक्षा सलाहकार
३	शिक्षा अधिकारी
५	अनुभाग अधिकारी
२०	सहायक
७	तकनीकी सहायक

पेंशन पाने वालों के बच्चों को शिक्षा रियायत

†१९८३. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से हाल में ही कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को ट्यूशन फीस में दी जाने वाली रियायत पेंशन वालों को भी दी जाये ' और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्त्री शिक्षा के लिये धन

१९८४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने १९६१–६२ और १९६२–६३ में स्त्री शिक्षा

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिए निर्धारित राशि को अन्य कार्यों में लगा दिया है या उस में कटौती कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार विवरण क्या है ; और

(ग) स्थिति को पूर्ववत् कायम रखने के लिए क्या कदम उठाये गये और उसके प्रति किस राज्य की क्या प्रतिक्रिया रही ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) तक। विवरण संलग्न है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ११४९/६३)**

रूस से इस्पात का आयात

†१९८५. **श्री यलमंदा रेड्डी :**
श्री इलयापेरुमाल :

क्या **खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मद्रास राज्य में नेवेली में तापीय विद्युत् केन्द्र के विस्तार के लिए रूस से इस्पात का आयात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितना आयात किया जा रहा है ;

(ग) इसको किस दर पर आयात किया जा रहा है ; और

(घ) करार की अन्य शर्तें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन नीवेली तापीय विस्तार योजना की ५० एम० डब्ल्यू० यूनिट (छठी यूनिट) के लिए रूस से ११७४ मीट्रिक टन इस्पात का आयात कर रहा है।

(ग) मद्रास पत्तन पर लागत बीमा भाड़ा समेत लगभग ११५.२० रूबल अथवा ६०९.२० रुपये।

(घ) इस्पात सितम्बर, १९५९ में ३३७५ लाख रूबल रूसी ऋण के अधीन किया जा रहा है तथा १९६३ की पहली छमाही में दे दिया जायेगा। १०० एम० डब्ल्यू० यूनिट (सातवीं यूनिट) के लिए इस्पात के संभरण की शर्तें योजना के विस्तार के लिए परियोजना प्रतिवेदन मिलने के बाद निगम तथा रूसी संगठन में तय होंगी।

गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा गठित समिति

†१९८६. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित कौन कौन सी विभिन्न विषयों की समितियां हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ११५०/६३]**

भूमिगत जल खोज प्रशिक्षण

†१९८७. **श्री तर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २६ मार्च से २० अप्रैल, १९६२ तक लाहौर में आयोजित भूमिगत जल खोज प्रशिक्ष में भारत के कितने प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण लिया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आंशिक रूप में भारत सरकार तथा युनस्को ने कितना व्यय उठाया;

(ग) क्या सरकार इन प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करती है ; और

(घ) यदि हां, तो किस स्थान पर और किस अवस्था में उपयोग करती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) छः ।

(ख) सरकार ने कोई व्यय नहीं किया क्योंकि क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों का यात्रा तथा पोषण व्यय युनेस्को उठाता है ।

(ग) तथा (घ). प्रशिक्षणार्थी आन्ध्र, बड़ौदा और नागपुर विश्वविद्यालयों तथा भारतीय शिल्प संस्था, खड़गपुर के भू-तत्व या भू-भौतिकी विभागों के लेक्चरर थे ।

आशा है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सम्बन्धी उनका अनुभव उन्हें अपने कार्य में सहायक सिद्ध हुआ होगा ।

उत्कल विश्वविद्यालय का महिला छात्रावास

†१९८८. **श्री उलाका** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल विश्वविद्यालय (उड़ीसा) को महिला छात्रावास स्थापित करने और सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करने के लिए १९५९ से अद्यतन कोई केन्द्रीय अनुदान दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). १९६१–६२ में अन्तर-कालेज युवक समारोह के लिए १७२३.०० रु० का अनुदान दिया गया ।

महिला विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

उड़ीसा में स्कूल छात्रावासों के लिए अनुदान

†१९८९. **श्री उलाका** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को १९६२–६३ में स्कूल छात्रावासों के निर्माण के लिए कोई ऋण या अनुदान दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†१९९०. **श्री उलाका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य तथा केन्द्र द्वारा चलाई गई अनुसूचित जातियों

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की योजनाओं के अन्तर्गत १९६१–६२ में व्यय न हुई कोई राशि लौटाई; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). जानकारी निम्न है :—

पिछड़े वर्ग की श्रेणी	अनोपयुक्त केन्द्रीय सहायता		
	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	योग
		लाख रुपयों म	
(क) अनुसूचित आदिम जातियां . .	३.१५	शून्य	३.१५
(ख) अनुसूचित जातियां . .	—	०.०३	०.०३
योग . . .	३.१५	०.०३	३.१८

उड़िया भाषा का विकास

†१९९१. **श्री उलाका** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६२–६३ में उड़िया भाषा के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने दो योजनायें, अर्थात् (१) सरल महाभारत और (२) विश्व-कोष के प्रकाशन की दो योजनायें, जिनकी क्रमानुसार लागत ४७,००० रु० और २५,००० रु० थी, आरम्भ की थी । भारत सरकार ने १९६२–६३ में कुल आशातीत व्यय का ५० प्रतिशत अर्थात् ३६,००० रुपये दिये ।

उत्कल विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह

†१९९२. **श्री उलाका** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में सांस्कृतिक समारोहों के आयोजन के लिए उत्कल विश्व-विद्यालय (उड़ीसा) को कोई केन्द्रीय अनुदान दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). १९६१–६२ में हुए अन्तर कालेज युवक समारोह के लिए १९६२–६३ में १७२३.०० रु० का अनुदान दिया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें

१९९३. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वेतन आयोग ने इस आशय की सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार के निम्नवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये विभागीय परीक्षायें आयोजित की जानी चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक केन्द्रीय सचिवालय में ऐसी कितनी परीक्षायें आयोजित की गयी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) तथा (ख). दूसरे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के निम्न वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये **सामान्य रूप** में विभागीय परीक्षाएं लेने की सिफारिश नहीं की थी, परन्तु केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में अपर डिवीज़न क्लर्कों के ग्रेड की सीधी भरती समाप्त करने की सिफारिश करते हुए आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इस ग्रेड के रिक्त स्थानों का कुछ भाग, जिसकी भरती पहले सीधी भरती द्वारा की जा रही थी, लोअर डिवीज़न क्लर्कों के लिये खुली सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा, भरा जाय । केन्द्रीय सचिवालय क्लैरीकल सेवा के अपर डिवीज़न ग्रेड में ५० प्रतिशत रिक्तियों का उपरोक्त ढंग से भरने का निश्चय किया गया है, तथा इस उद्देश्य से एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा लेने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

इराक में भारतीय तेल-टेक्निशियनों का प्रशिक्षण

†१९९४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल टैक्नीशियनों का पैट्रोलियन उद्योग की अनेक शाखाओं में उच्च प्रशिक्षण के लिए इराक भेजा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और प्रशिक्षण की क्या अवधि है ; और

(ग) इन व्यक्तियों का चुनाव किस आधार पर किया जायेगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय मद्य निषेध समिति

†१९९५. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की मद्यषेध के क्षेत्रों से मिली हुई एक दस मील की मद्य निषेध पट्टी बनाने संबंधी सिफारिश सभी राज्यों ने स्वीकार कर ली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: विभिन्न राज्यों में मद्य निषेध वाली पट्टी की स्थापना सम्बन्धी जानकारी सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ११५१/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

टेक्निकल योग्यता

†१९९६. श्री ई० मधुसूदन राव : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को मानव शास्त्रों तथा शुद्ध विज्ञान की टैक्निकल योग्यताओं को मान्यता देने के लिए, जिन्हें केन्द्रीय सरकार पहिले ही मान्यता दे चुकी परन्तु रोजगार के लिए उन्होंने मान्यता नहीं दी है, मनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : केन्द्रीय सरकार के अधीन रोजगार के लिए विश्वविद्यालयों या माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्डों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा दी गई योग्यताओं की मान्यता के मामले में विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों से वैसी ही मान्यता देने के लिए नहीं कहा जाता। फिर भी, यदि कोई केन्द्रीय सरकार का विभाग डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देता है, तो रोजगार के लिए इसकी मान्यता का प्रश्न राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है।

यह प्रत्येक राज्य सरकार का काम है कि वह अपने अधीन मदों तथा सेवाओं में भर्ती के लिए शिक्षा योग्यता को मान्यता के मामले अपनी नीति स्वयं बनाये।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विस्थापित व्यक्ति

†१९९७. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में दिसम्बर, १९६२ तक पूर्वी पाकिस्तान के कितने विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाया गया ; और

(ख) उन्हें प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तरों पर बंगला के माध्यम से शिक्षा देने की क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) १०,०२१।

(ख) प्रारम्भिक स्तर पर बंगला भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था पहिले से ही है। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या है, उसमें माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त सुविधा की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद

†१९९८. श्री प्र० र० चक्रवर्ती : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद द्वारा दिये गये डिप्लोमा को एम० एस० सी० उपाधि के समान माना गया है ;

(ख) क्या स्कूल के डिप्लोमा धारियों को बिहार या रांची विश्वविद्यालय अब बी० एस० सी० की उपाधि दे रहा है ;

(ग) क्या सरकार इस असमानता को दूर करना आवश्यक समझती है ; और

(घ) क्या स्कूल को स्वायत्तशासी, स्वाधीन विश्वविद्यालय के अधिकारों का प्रयोग करने वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी म

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी, नहीं। संस्था का केवल व्यावहारिक भू-तत्व विज्ञान में एसोसियेटशिप डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालयों की भू-तत्व विज्ञान की एम० एस सी० उपाधि के समान माना जाता है।

(ख) जी, नहीं। केवल वे विद्यार्थी जो रांची विश्वविद्यालय में अपना पंजीयन करा कर विश्व-विद्यालय के नियमानुसार निश्चित विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में सफल होते हैं, विश्वविद्यालय की निम्न उपाधियां प्राप्त करते हैं:—

(१) ४ वर्ष के अध्ययन के बाद खान इंजीनियरी में बी० एस० सी० (आनर्स) ;

(२) ४ वर्ष के अध्ययन के बाद पैट्रोलियम प्रोद्योगिकी में बी० एस० सी (आनर्स)

(३) तीन वर्ष के अध्ययन के बाद व्यावहारिक भू-तत्व विज्ञान में बी० एस० सी (आनर्स);

(४) व्यावहारिक भू-तत्व विज्ञान का स्नातकोत्तर (आनर्स) स्तर पर एक वर्ष अध्ययन करने के बाद व्यावहारिक भूतत्व विज्ञान में एम० एस० सी०;

(५) ३ वर्ष के अध्ययन के बाद व्यावहारिक भू-भौतिकी में बी० एस० सी० (आनर्स);

(६) भू-भौतिकी का स्नातकोत्तर (आनर्स) स्तर पर एक वर्ष अध्ययन करने के बाद व्यावहारिक भू-भौतिकी में एम० एस सी०।

(ग) असमानता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां। १८६० के संस्था पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत स्कूल का पंजीयन कराने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के आधार पर शिक्षा अवार्ड देने का उसे अधिकार देने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कोयला उत्पादक संघ

०१९९९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खान तथा इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२ के अन्त तक सरकार द्वारा कितने तथा किन किन कोयला उत्पादक संघों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे०मालवीय)** : १९६२ के अन्त तक निम्न कोयला उत्पादन संघों को मान्यता दी गई है :—

१. भारतीय खनन संघ, कलकत्ता।
२. भारतीय खनन संघान, कलकत्ता।
३. भारतीय कोयला खान मालिक संघ, धनबाद।
४. मध्य प्रदेश तथा विदर्भ खनन संघ, नागपुर।

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अफसर

†२०००. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मन्त्रालय में आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अफसर कितने हैं और उनमें

†मूल अंग्रेजी में।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोग हैं; और

(ख) इस वर्ष कितने आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अफसरों को भरती की जाने की सम्भावना है और अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये कितने पद आरक्षित हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : ।

(क) सेवा	गृह-कार्य मंत्रालय को प्रत्यावेदन पर अफसरों की संख्या			
	अ० जा०	अनु० आ जा०	अन्य	कुल
आई० ए० एस०	—	१	३६	३७
आई० पी० एस०	—	२	१२१	१२३

(ख) सेवा	कुल भरती आरक्षित पदों की संख्या	
	अनु० जा०	अनु० आ० जा०
आई० ए० एस०	९०	११ ४
आई० पी० एस०	७२	१६ ४

तृतीय श्रेणी के पदों की नई भरती का रोका जाना

†२००१. श्री सुबोध हंसदा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ समय के लिये केन्द्रीय सरकार की तीसरी श्रेणी की सेवाओं की नई भरती को रोकने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आदेश जारी किया गया है ; और

(ग) यह आदेश कितनी देर जारी रहेगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ग) तक. इस प्रश्न पर अभी सचिवों की समिति द्वारा नियुक्त मिव्ययता दल द्वारा विचार किया जा रहा है और अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

अमेरिका में भारतीय विद्यार्थी

२००२. श्री विश्व नाथ पाण्डेय : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका के विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में कितने भारतीय विद्यार्थी (जिनसे उनके मन्त्रालय का सम्बन्ध है) अध्ययन कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने अमेरिका से छात्रवृत्तियां पाते हैं ; और

(ग) वे वहां किन विशेष विषयों का अध्ययन कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) २२८७ (यह संख्या केवल उन छात्रों की है, जिन्होंने शिक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित विषय लिए हैं)

(ख) ४४५ ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) समाज विज्ञान, भाषा, समाज-शास्त्र, लोक-प्रशासन, गणित और सांख्यिकी, धर्म तथा धर्म दर्शन, प्राकृतिक विज्ञान, शिक्षा, ललित कला, पुस्तकालय विज्ञान तथा पत्रकारिता ।

दिल्ली के स्कूलों के विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा

†२००३. **श्री बाल्मीकी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता वाले मिडल और उच्च माध्यमिक स्कूलों के सभी विद्यार्थियों की वर्ष में एक या दो बार डाक्टरी परीक्षा नहीं होती ;

(ख) क्या यह भी सही है कि इन स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने दिल्ली के विविध स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा कम से कम तीन महीने में या छः महीनों में एक बार योजना योग्यता प्राप्त डाक्टर द्वारा सभी विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा करवाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी नहीं, निगम के स्कूलों के अतिरिक्त सब स्कूलों में नियमित रूप से डाक्टरी परीक्षा होती है ।

(ख) जी नहीं, शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ग) निगम के स्कूलों के विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा को छोड़ कर, जिस के लिए निगम ने अपनी स्कूल स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक अग्रिम परियोजना आरम्भ की है, प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्यार्थियों क आदान-प्रदान की योजना

†२००४. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय से सम्बन्ध रखने वाली विद्यार्थियों के आदान-प्रदान की योजना के अन्तर्गत कितने विद्यार्थी विदेश भेजे गये हैं और किन-किन देशों को ;

(ख) इस समय इस योजना के अधीन भारत में कितने विदेशी विद्यार्थी हैं ; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत सरकार का कितना व्यय होता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) रूस १०, रूमानिया २, संयुक्त अरब गणराज्य ८ ।

(ख) रूस ६, रूमानिया २, संयुक्त अरब गणराज्य १ ।

(ग) सरकार रूमानिया को भेजे गये भारतीय विद्यार्थियों की विमान द्वारा वापिसी का व्यय देती है । रूस तथा संयुक्त अरब गणराज्य को भेजे गये विद्यार्थियों पर कोई व्यय नहीं होता । रूस और रूमानिया के विद्यार्थियों को २५०) मासिक तथा संयुक्त अरब गणराज्य से ३००) मासिक का निर्वाह भत्ता दिया जाता है । इस के अतिरिक्त, इन सब विद्यार्थियों को शिक्षा तथा परीक्षा का शुल्क, अध्ययन दौरों तथा छुट्टी एवं युवक कल्याण शिविरों की यात्रा का व्यय मिलता है ।

मध्य प्रदेश में पथारखेड़ा कोयला खानें

†२००५. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने मध्य प्रदेश में पथारखेड़ा कोयला खानों का

---

†मूल अंग्रेजी में

काम आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब आरम्भ की जायेंगी ; और

(ग) इस खान से प्रतिवर्ष उत्पादन का प्रस्तावित लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की कब पूर्ति होनी की संभावना है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग) मध्य प्रदेश में पथारखेड़ा कोयला खान के विकास की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और सरकार द्वारा अनुमोदित हो गई है । ४.५ लाख टन प्रतिवर्ष का अन्तिम उत्पादन लक्ष्य १९६८-६९ में प्राप्त होने की आशा है जबकि चालू योजना के अन्तिम वर्ष १९६५-६६ में ३ लाख टन होगी । इस खान के विकास का प्रारम्भिक काम निगम द्वारा आरम्भ किया गया है ।

अनुसूचित जातियों के अफसर

†२००६. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में अवर सचिव तथा उप सचिव की पदालियों में नियुक्तियों के लिये पृथक् पथक् कितने व्यक्ति चुने गये; और

(ख) प्रत्येक संवर्ग के अनुसूचित जातियों के लिए कितने अफसर चुने गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) :

अवर सचिव	३५
उप सचिव	४०

(ख) कोई नहीं ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों का कल्याण

†२००७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याण के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) उस में से अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क)

अनुसूचित जातियां	४,०५,००० रुपये ।
अनुसूचित आदिम जातियां . . .	कोई नहीं ।

(ख) ४,६६,८९६ रुपये (अतिरिक्त व्यय क्षेत्रीय मांग के अन्तर्गत पुनर्प्रत्यायोजन द्वारा पूरा किया गया था) ।

आदिम जाति की स्त्रियों का अनैतिक पण्य

†२००८. **श्री कृ० च० सोय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिम जाति की स्त्री श्रमिकों का अनैतिक पण्य बहुत बड़े पैमाने

†मूल अंग्रेजी में

पर भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में होता है ; और

(ख) क्या इस समस्या का कोई विशेष अध्ययन किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेत्तर)**: (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली और नई दिल्ली में बस्तियां

†२००९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में कितनी बस्तियां हैं, जो अनुमोदित स्थानों के बिना बनाई गई थीं और बाद में १९६२ में अनुमोदित कर दी गई थीं और कितनी अस्वीकार कर दी गई हैं तथा गिरा दी गई हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). सूचना सम्बद्ध प्राधिकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कुतुब मीनार, दिल्ली

२०१०. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसे कोई अभिलेख हैं जिन से पता लगता है कि कुतुब मीनार का नाम पहिले विष्णुध्वज था ; और

(ख) क्या कुतुब के पास जो लोह-स्तम्भ है वह भी चन्द्र गुप्त द्वितीय ने बनवाया था ?

वैज्ञानिक अनसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं । ऐसा कोई पुरातत्वीय या अभिलेख संबंधी साक्ष्य नहीं है जिस से इस दृष्टिकोण का समर्थन होता हो ।

(ख) महरौली के लौह स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख राजा चंद्र के हैं जिसे विद्वान्, चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य मानते हैं ।

मनीपुर के लिये संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति

†२०११. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के लिए १९६२ में प्रयोगात्मक आधार पर संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ नियुक्तियां कीं ;

(ख) यदि हां, तो उन नियुक्तियों के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अखिल भारतीय सेवाओं तथा अन्य राज्यों के मामले में नियुक्तियां की गई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सेवा तथा अखिल भारतीय सेवा में उन पदों की संख्या क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां, कई बार ऐसी नियुक्तियों की सिफारिश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उन के विवेक पर की जाती है ।

(ख) सीमान्त मामलों में आयोग से भी सिफारिशें की जाती हैं ।

(ग) और (घ). संघ लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं के लिए किसी नियुक्ति की सिफारिश नहीं करता और केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं कि क्या राज्यों के लोक सेवा आयोगों ने प्रयोग के आधार पर किसी नियुक्ति की सिफारिश की । अखिल भारतीय सेवा के लिए प्रयोगात्मक आधार पर कोई नियुक्ति नहीं हुई ।

पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रविधिक संस्थायें

†२०१२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ प्रविधिक संस्थायें प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थल सहित उन के क्या ब्यौरे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत् इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये हमीरपुर, जिला कांगड़ा, में एक पोलीटेकनिक स्थापित करने का विचार है ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये छात्रावास

†२०१३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में पंजाब राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये कितने छात्रावास खोले गये हैं ; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने उनके कार्य संचालन के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मंगवाई गयी है । जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) जी, हां ।

पंजाब में पैट्रोलियम उत्पादों का उपभोग

†२०१४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में पंजाब के पैट्रोलियम उत्पादों का कितना उपभोग हुआ था ; और

(ख) क्या इससे पंजाब राज्य की आवश्यकतायें पूरी तरह से पूरी हो जाती हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १९६२-६३ में पंजाब में हुये पैट्रोलियम उत्पादों के उपभोग के संबंध में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि १९६२–६३ में पंजाब में पैट्रोलियम उत्पादों का उपभोग २ लाख ३० हजार से लेकर २ लाख ८० हजार मैट्रिक टन के बीच था।

(ख) राज्य की पैट्रोलियम उत्पादों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई अनुभव हुई प्रतीत नहीं होती है।

गृहरक्षकों के लिये अनिवार्य बीमा

२०१५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की जन सम्पर्क समिति का यह सुझाव विचाराधीन था कि होमगार्डों को प्रोत्साहन देने के लिये अनिवार्य बीमा योजना आरम्भ की जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) इस योजना को लागू करने पर कुल कितना खर्च पड़ेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हाँ।

(ख) होम गार्ड रूल्ज में एक अनिवार्य धारा है जिसमें होमगार्डों को प्रशिक्षण अथवा कार्य-अवधि में जन धन की हानि की प्रतिपूर्ति करने का प्रबन्ध है। होमगार्डों को व्यक्तिगत हानि (आपातकालीन व्यवस्था) योजना १९६२ के अन्तर्गत लाभ दिलाने का प्रबन्ध किया जा रहा है जिससे वर्तमान आपातकाल में होमगार्डों को शारीरिक क्षति पहुंचने पर प्रारम्भिक सहायता मिल सके। इसे दृष्टि में रखते हुये जन-सम्पर्क समिति के सुझाव पर आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खनन संघ

†२०१६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पट्टाधारियों तथा उप-पट्टाधारियों के स्वामित्व प्राप्त करने के अधिकारों को समाप्त करने के संबंध में भारतीय खनन संघ तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहे विवाद का निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय यह मामला किस प्रक्रम पर है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : (क) और (ख). भारतीय खनन संघ तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहा विवाद कलकत्ता के उच्च न्यायालय के सम्मुख लम्बित है।

खनन उद्योग के लिये विस्फोटकों की कमी

†२०१७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय खनन संघ की उस शिकायत की ओर दिलाया गया है जो कि कलकत्ता में उनकी हाल ही में हुई सामान्य वार्षिक सभा में की गई थी और जिसमें यह

---

†मूल अंग्रेजी में

संकेत किया गया था कि विस्फोटकों की पर्याप्त मात्रा के अभाव में खनन उद्योग को हानि उठानी पड़ रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो १९६१ तथा १९६२ में इस उद्योग की विस्फोटकों के लिये कितनी माँग थी तथा वह कहाँ तक पूरी की गई थी ; और

(ग) १९६३ के दौरान संभरणों में सुधार करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हाँ।

(ख) १९६१ तथा १९६२ में कोयला उद्योग की विस्फोटकों के लिये निम्नलिखित माँग थी :

	१९६१	१९६२
(१) अनुमति प्राप्त विस्फोटक	१,८०० टन	२,१५० टन
(२) अनुमति प्राप्त विस्फोटक	२,५०० टन	३,८०० टन
(३) विद्युत् प्रस्फोटक (मान्यता प्राप्त)	१ करोड़ ५ लाख की संख्या में	१ करोड़ २० लाख की संख्या में ।
(४) साधारण प्रस्फोटक	१ करोड़ ८ लाख की संख्या में	१ करोड़ २५ लाख की संख्या में

जुलाई १९६२ में हुई एक अस्थायी कमी के अतिरिक्त, उक्त दो वर्षों में उद्योग की माँग पूरी कर दी गई थी।

(ग) खनन उद्योग के लिये विस्फोटकों की माँग तथा संभरण की स्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जा रही है।

अपर डिवीजन क्लर्कों को स्थायी बनाना

†२०१८. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लर्क सेवा योजना के पदक्रम १ (अपर डिवीजन क्लर्क) में १९५४ में नियुक्त किये गये सभी व्यक्ति अब तक अपने अपने पदों पर स्थायी कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो जो व्यक्ति अभी तक स्थायी नहीं बनाये गये हैं उनकी संख्या कितनी है तथा उनके स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). जो जानकारी माँगी गई है उससे अनेक मंत्रालय तथा विभाग संबंधित हैं। अतएव, जानकारी तत्काल ही उपलब्ध नहीं है। तथापि, पदक्रम १ (अपर डिवीजन क्लर्क) के व्यक्तियों को स्थायी बनाये जाने के संबंध में स्थिति सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ११५२/६३]

†मूल अंग्रेजी में

नाहन में राजकीय डिग्री कालेज

२०१९. श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्रताप सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री ६ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन स्थान पर एक राजकीय डिग्री कालेज खोलने के संबंध में क्या निश्चय किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि नाहन में ही एक प्राइवेट सहायता प्राप्त डिग्री कालेज कुछ वर्षों से चलता आ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) के बारे में अन्तिम निश्चय करते समय उस पहिले वाले कालेज के भाग्य का क्या फैसला किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन का नाहन में एक राजकीय डिग्री कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी हाँ ।

(ग) नाहन के वर्तमान कालेज की प्रबन्धक समिति ने अगले शैक्षणिक वर्ष (१९६३-६४) से संस्था को बन्द करने का निश्चय किया है।

अखिल भारतीय सेवाओं में विभागीय उम्मीदवार

२०२०. श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री १० नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने वाले द्वितीय श्रेणी के विभागीय उम्मीदवारों को नियुक्तियों में बराबरी की सुविधायें देने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस): संभवतः सदस्य महोदय का आशय प्रथम श्रेणी की नियुक्तियों से है। इस प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से विचार किया गया था तथा उन्हें प्रथम श्रेणी की सेवाओं में नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि वे द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में नियुक्ति के लिये ही पात्र हैं तथा संघ लोक सेवा आयोग ने उनको केवल ऐसे पदों के लिये ही योग्य बताया था ।

सीमेंट की जगह काम आने वाली वस्तु

२०२१. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने सीमेंट की जगह उपयोग में आने लायक एक दूसरी वस्तु का अनुसंधान कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) अब तक की प्रगति का विवरण क्या है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) यह पता चला है कि चूने के साथ मिली सुधरी हुई अभिक्रियाशील सुर्खी का उपयोग राजगीरी के काम में सीमेंट की जगह किया जा सकता है ।

(ख) और (ग). जी नहीं । उसके उत्पादन में रुचि लेने वाली पार्टियों को तकनीकी सलाह और मदद दी गयी है ।

हायर सैकेंडरी स्कूल, मालवीय नगर

†२०२२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री २१ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लड़कों के हायर सैकेंडरी स्कूल, मालवीय नगर, नई दिल्ली में इमारत को बढ़ाने और उसमें बिजली लगाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) देर होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) लड़कों के हायर सैकेंडरी स्कूल, मालवीय नगर की इमारत को बढ़ाने की योजना रद्द कर दी गई है । इस की बजाय स्कूल के आहते ही में एक नई इमारत बनाने की योजना है, जिसमें दो स्कूल, दो पारियों में चलाये जा सकेंगे । वर्तमान इमारत को गिरा कर इसके स्थान पर स्कूल के लिये खेल कूद का मैदान बनाया जायेगा ।

(ख) उपरोक्त परिस्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता ।

'ऐशिया सीन' मैगजीन

†२०२३. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नवम्बर, १९६२ की अंग्रेजी भाषा की जापानी पत्रिका "एशिया सीन" की ओर गया है जिसके सम्पादकीय लेख में चीन-भारत विवाद का पूर्णरूपेण विकृत तथा एकपक्षीय रूप प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह पत्रिका भारत में जापानी वाणिज्य दूत तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सरकारी रूप से वितरित की जा रही है ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस ओर जापानी प्राधिकारियों का ध्यान दिलाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) जी, हां, इस प्रकार का एक लेख (सम्पादकीय नहीं) सरकार के ध्यान में आया है ।

(ख) जापानी दूतावास ने पत्रिका की दस प्रतियां वितरित की थीं ।

(ग) जापानी दूतावास का ध्यान लेख की ओर दिलाया गया था और उन्होंने भारत सरकार को यह सूचित किया है कि उस लेख में व्यक्त किये गये विचार जापानी सरकार के विचार नहीं थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

साहित्य अकादमी पुरस्कार

†२०२४. **श्री गो० महन्ती** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी के पुरस्कारों के दिये जाने के हेतु उत्कृष्ट कोटि की पुस्तकों के विख्यात लेखकों को चुनने के लिये क्या प्रणाली अपनाई गई है ;

(ख) क्या पुरस्कारों का मूल्य श्रेष्ठता के अनुसार भिन्न भिन्न होता है ; और

(ग) यदि हां, तो चुनी गई पुस्तकों की श्रेष्ठता को निर्णीत करने के लिये क्या पद्धति अपनायी जाती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) साहित्य अकादमी के १९६२ के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ १०–११ पर उप-शीर्षक 'पुरस्कार' के अन्तर्गत जानकारी दी गई है। इस प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में ऐस्बेस्टास

†२०२५. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र संबंधी अध्ययन करने के लिये आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले के शैलमय क्षेत्र[1] में ऐस्बेस्टॉसकी शिखाओं[2] का एक बुनियादी नक्शा तैयार कर लिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण रोडेशिया के प्रविधिक विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस ऐस्बेस्टॉस क्षेत्र का दौरा किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐस्बेस्टॉस खनन के विकास तथा कच्चे चलचित्रों के तृतीय योजना काल में उत्पादन के संबंध में इन विशेषज्ञों ने कोई सुझाव दिये थे ; और

(घ) उन सुझावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या राय है तथा इसमें कितनी वित्तीय लागत अन्तर्ग्रस्त है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) रोडेशिया के विशेषज्ञों तथा ऐस्बेस्टॉस के संबंध में भारतीय समिति को मिलाकर गठित किये गये क्षेत्रीय दल द्वारा दिये गये संयुक्त प्रतिवेदन में कड़प्पा में मिलने वाले एस्बेस्टॉस को खोज निकालने के लिये एक कार्यक्रम की सिफारिश की गई थी। "कच्चे रेशों" के उत्पादन के संबंध में प्रतिवेदन में कहा गया है "यदि लाभकारी क्षेत्रों का पता लग जाता है, तो एक खान को उत्पादन प्रारम्भ करने की स्थिति तक लाने में बहुत समय लगेगा। दक्षिणी रोडेशिया में हुये अनुभव के आधार पर, यह संभव है कि "डायमन्ड ड्रिल" के लिये, खनिज निकालने के लिये एक अयस्क निकाय तैयार करने तथा एक मिल व अन्य सेवायें स्थापित करने के लिये ४ से लेकर ५ वर्ष तक का समय लगना आवश्यक हो"।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Rocky area.

[2] Veins.

(घ) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था खोज कार्यक्रम की पहली अवस्था का कार्य करती रही है अर्थात् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार लाभदायक क्षेत्रों का पता लगाने के लिये विस्तृत भूवैज्ञानिक नक्शे तैयार करती रही है। क्योंकि इसका व्यय भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के आयव्ययक अनुदानों से ही पूरा किया जाता है अतः इस कार्यक्रम के लिये पथक रूप से लागत का अनुमान नहीं लगाया गया है।

बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल का विक्रय

†२०२६. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कम्पनी द्वारा १९६०–६१, १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में कितनी कितनी मात्रा में बढ़िया किस्म के मिट्टी का तेल बेचा गया था;

(ख) सहकारी संस्थाओं द्वारा १९६०–६१, १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में कितनी कितनी मात्रा में बढ़िया किस्म का मिट्टी का तेल बेचा गया था; और

(ग) इंडियन आयल कम्पनी तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा उपर्युलिखित विभिन्न वर्षों में की गई बिक्रियों के अनुपात में भिन्नतायें होने के क्या कारण हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). इंडियन आयल कम्पनी का बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल का सहकारी संस्थाओं द्वारा किया गया विक्रय तथा कुल विक्रय निम्नलिखित है :—

(आंकड़े किलो लिटर में)

अवधि	कुल विक्रय	सहकारी संस्थाओं द्वारा किया गया विक्रय
१९६०–६१	२२,१००	१०,६००
१९६१–६२	१,४८,७००	९४,१००
१९६२–६३	३,०३,०००	१,६४,००० (अस्थायी)

(ग) कम्पनी के अनुसार, इसका मुख्य कारण यह है कि सहकारी संस्थायें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के तेल का विक्रय करने के लिये समस्त देश में एक रुप से संगठित नहीं हैं और संगठित सहकारी संस्थायें भी अपने मिट्टी के तेल के विक्रय में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकी हैं, जब कि वैयक्तिक व्यापारियों द्वारा किये गये विक्रय में भी वृद्धि हुई है।

बस्तर जिले में पोलिटेकनिक

२०२७. **श्री लखमू भवानी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर जिले में एक पोलिटेकनिक खोलने के विषय में केन्द्र सरकार से कोई पत्र-व्यवहार किया है;

(ख) क्या इस विषय में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी मांगी गयी है; और

(ग) केन्द्रीय शासन ने क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते।

गैस ग्रिड्स की स्थापना

†२०२८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घनी जनसंख्या वाले और औद्योगिक दृष्टि से उन्नत प्रदेशों में गैस ग्रिड्स स्थापित करने की संभावना के सम्बन्ध में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान शाला छानबीन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मोटी रुपरेखा क्या है; और

(ग) क्या उत्तर पूर्वी प्रदेश में भी एक ग्रिड स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो कहां और उसकी क्षमता कितनी होगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी हां। यह शाला वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा स्थापित समिति की ओर से इस समस्या पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग). अभी तक कोई योजना तैयार नहीं की गयी है।

झरिया कोयला खान में रोपवे

२०३०. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री कछवाय :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झरिया कोयला खान में रोपवे बनाने का कार्यक्रम चालू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस में सरकार का कितना रुपया व्यय होगा; और

(ग) यह कार्य कब तक चालू करने की संभावना है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे०मालवीय) : (क) कोयला खानों में रेत-भरण के लिए रेत की सप्लाई के लिए कोयला बोर्ड ने झरिया-कोयला क्षेत्र में तीन रज्जुपथों (एक युग्म रज्जुपथ को शामिल करते हुए) और रानीगंज-कोयला क्षेत्र में तीन रज्जुपथों के स्थापना-कार्य को अपने हाथों में लिया है।

(ख) इस परियोजना पर लगभग २२ करोड़ रुपये के व्यय के होने की सम्भावना है।

(ग) झरिया में पहले रज्जुपथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रानीगंज में तीन रज्जुपथों के लिए एक ठेके पर हस्ताक्षर किये गये हैं और इन रज्जुपथों के लिए कार्य शुरु हो गया है। झरिया में दूसरे रज्जुपथ से सम्बन्धित ठेके के ब्यौरे को अन्तिम रुप दिया जा रहा है। सभी राज्जुपथों के तीसरी योजना काल में पूरे होने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस से मिट्टी के तेल का आयात

†२०३१. **श्री याज्ञिक** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में रुस से सभी किस्मों का कितना मिट्टी का तेल भारत में मंगाया गया है;

(ख) इस आयात से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई; और

(ग) १९६३–६४ में सरकार कितना मिट्टी का तेल रुस से आयात करने वाली है और इस आयात से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पिछले तीन वर्षों (१९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३) में इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड ने ऊंची किस्म का ४,३५,२२९ मेट्रिक टन मिट्टी का तेल (ए टी एफ सहित) आयात किया है। और किसी दूसरी किस्म का मिट्टी का तेल पिछले तीन वर्षों में रुस से मंगाया नहीं गया है।

(ख) इन आयातों से लगभग ७.४ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

(ग) १९६३–६४ के लिए कम्पनी का आयात कार्यक्रम बताना लोकहित में उचित नहीं है।

श्रीलंका को पैट्रोलियम की चीजों का सम्भरण

२०३२. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री कछवाय :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से कुछ पैट्रोलियम की चीज भेजने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है;

(ग) कितना माल दिया जायेगा; और

(घ) श्रीलंका को किस के द्वारा सम्भरण किया जायेगा और भुगतान का आधार क्या होगा ?

खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

लक्कदीव में मछुओं के लिए सुविधाएं

†२०३३. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि लक्कदीव के संघ राज्य-क्षेत्र के मछुओं को रात के समय

†मूल अंग्रेजी में

या खराब मौसम में अपनी नौकाएं ले जाने के लिए प्रकाशस्तम्भ, पीपे आदि जैसी नौचालन सम्बन्धी सहायक साधनों की कमी के कारण कितनी कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां तो रात के समय मछली पकड़ने की सुविधा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) स्थानीय नौचालन सम्बन्धी सहायता के लिए १८.८२ लाख रुपये की लागत की एक व्यापक योजना तैयार की गयी थी लेकिन संकटकाल के कारण और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण यह कार्यान्वित नहीं की जा सकी। फिलाहल मिनिकाय और किल्टन द्वीपों में प्रकाश स्तम्भ हैं। दूसरा आन्द्रोथ द्वीप में तैयार किया जा रहा है। कवरात्ती और अमेनी द्वीपों में रोशनियों की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह की व्यवस्था अन्य द्वीपों में भी की जा रही है।

लक्कदीव में न्याय प्रशासन

†२०३४ श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकट्ट :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लक्कद्वीव के संघीय राज्य क्षेत्र में यकसां कानून न होने के कारण व्यवहारिक तथा दांडिक न्याय के प्रशासन में कितनी कठिनाई होती है;

(ख) राज्यों के पुनर्गठन से पहले जो अधिनियम और विनियम द्वीपों में लागू थे, उन्हें संहिता बद्ध करने में देर के क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ग). जी हां। राज्यों के पुनर्गठन से पहले जो कानून इन द्वीपों में लागू थे, वे इन क्षेत्रों में अब भी लागू हैं। लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपों में फिलहाल जो कानून लागू हैं उन में असमानता की छानबीन की जा रही है और कानूनों को एकरुप बनाने तथा संहिताबद्ध करने के प्रश्न की छानबीन हो रही है।

बुनियादी शिक्षा

२०३५. श्री यु० सि० चौधरी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेसिक शिक्षा प्रणाली कब तक सारे देश में लागू कर दी जायेगी; और

(ख) क्या उसकी अब तक की प्रगति के बारे में आंकड़े सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) कोई तारीख निश्चित करना सम्भव नहीं है। इसकी प्रगति साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगी।

(ख) १९६०–६१ की सब से बाद की उपलब्ध सूचना का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–११५३/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में एक सिनेमाघर को लाइसेंस

†२०३६ **श्री कपूर सिंह :**
श्री गुलशन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक साल में दिल्ली में सब्जी मंडी में गुरुनानक गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल के बिलकुल पास और निषिद्ध दूरी में ही एक सिनेमाघर का निर्माण रोकने के लिये जनता ने विरोध किया था और कुछ संसद्-सदस्यों ने अभ्यावेदन भी किये थे ;

(ख) क्या वह सिनेमाघर अब बन चुका है और वह शीघ्र ही चालू किया जाने वाला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उपद्रव को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का सरकार का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां। जून-जुलाई, १९६२ में गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, दिल्ली, श्री गुरु सिंह सभा, सब्जीमंडी, प्राध्यापक, गुरुनानक गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, सब्जी मंडी और कुछ संसद् सदस्यों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इमारत बनाने के लिए स्वीकृति मुख्य आयक्त (चीफ कमिश्नर) ने नियमानुसार १९६० में दी थी। इस के बाद, इमारत के मालिक और श्री गुरु सिंह सभा ने, जो सिंह सभा रोड, सब्जी मंडी, में गुरुद्वारा के अहाते में भी एक स्कूल चला रही है, करार किया। चूंकि सिनेमाघर बनाने के लिए लाइसेन्स पहले ही दिया जा चुका था, करार के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सिनेमा से स्कूल या गुरुद्वारा को परेशानी नहीं होगी।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित अभ्यावेदन जब प्राप्त हुए थे तब सिनेमाघर पहले ही बन चुका था और इस बीच यह चालू हो गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति

†२०३७ **श्री अ० व० राघवन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६२ से उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : छह।

अनुदानों की मांगें

वित्त मंत्रालय—जारी

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : कल मैं कह रहा था कि वित्त मंत्रालय का कार्य आपात काल की आवश्यकताओं को देखते हुए संतोष प्रद नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहले ही ३० मिनट ले चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार**: बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि अनिवार्य बचत योजना से ६० से ७० करोड़ रुपये तक की आय होगी ; किन्तु यह अनुमान काफी कम लगाया गया है। यह आय कम से कम १०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की होगी। वित्त मंत्री को चाहिये कि अपने प्रशासन की कमियों को दूर करें और अपनी नीति को परिष्कृत करें। प्रस्तुत बजट से भी सामान्य व्यक्तियों पर ही भार पड़ेगा। न तो कर अपवंचन में कमी होने के ही लक्षण दिखाई देते हैं न धनिकवर्ग के उपभोग में कमी होने के ही।

धन कर, व्यय कर, उपहार कर और सम्पदा शुल्क से विद्यमान विषमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। योजना आयोग के अनुसार भारत की ६० प्रतिशत जनता की आय २५ रुपये मासिक से कम है। किन्तु वर्तमान कर-प्रस्ताव भी उस ऊंची आय वाले वर्ग के जीवन स्तर को कम नहीं कर सके हैं।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, अर्थ मंत्रालय से सम्बन्धित जो खर्च की मांगें हैं उन का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। इस वर्ष अर्थ विभाग ने जिस के लिए कि हम बार बार कहते रहे थे कि विद्यार्थियों के लिए कुछ कर्जे देने की योजना होनी चाहिए, तो उस का प्रबन्ध अर्थ विभाग ने किया और शिक्षा विभाग में कुछ सुविधा दी। उन विद्यार्थियों को जोकि मध्यम श्रेणी के हैं और जोकि खर्चे की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन के लिए जो उस ने व्यवस्था की है उस के लिए मैं अर्थ मंत्रालय को हार्दिक बधाई देता हूं। केवल अर्थ मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय से मिल कर यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जो योग्य विद्यार्थी हैं और वाक़ई में जिन को ज़रूरत है उन्हीं लोगों को मिले नहीं तो ऐसा होता है कि इन योजनाओं का फ़ायदा कुछ दूसरे लोग जो कि बग़ैर उस के भी अपना काम चला सकते हैं, ऐसे लोग इन का फ़ायदा उठा लिया करते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।]

कम्पलसरी सेविंग्स के लिए अर्थ विभाग ने इस वर्ष काफ़ी व्यवस्था की है। यह ठीक भी है क्योंकि हमें देश की रक्षा करनी है और उस के लिए साधन जुटाने हैं और खर्च में भी कमी करनी है। जो कुछ क़दम उठाया है वह बहुत ज़रूरी था। मैंने पहले भी यह सुझाव दिया था और आज फिर मैं बहुत नम्रतापूर्वक देना चाहता हूं और वह यह है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लाइफ़ इंश्योरेंस को कम्पलसरी कर दिया जाय। ऐसा होने से बहुत कुछ सेविंग्स का काम हो सकेगा। कई साल पहले हम ने देखा कि बड़ौदा, मैसूर, बीकानेर, ग्वालियर और इंदौर स्टेट्स ने गवर्नमेंट एम्प्लायीज़ के लिए लाइफ़ इंश्योरेंस कम्पलसरी किया था। तो इस तरीक़े से आज अगर सभी गवर्नमेंट एम्प्लायीज़ के लिए लाइफ़ इंश्योरेंस कम्पलसरी कर दिया जाय तो एजेंटस् को जो कमिशन मिलता है वह उन को देने की ज़रूरत नहीं रह जायगी। उस के बदले उन के प्रीमियम में कमी कर दी जाय और उन की पे का दस परसेंट प्रीमियम रक्खा जाय तो एक तो यह जो लाइफ़ इंश्योरेंस का काम बढ़ा हुआ है, एजेंट्स काफ़ी संख्या में बढ़े हुए हैं और काफ़ी खर्च करना पड़ता है और उन की तनख़्वाहों और कमिशन आदि पर जो काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, उन में बहुत कुछ बचत हो सकती है और उधर सेविंग्स का जो काम है वह भी काफ़ी आगे बढ़ सकता है। मैं ने यह सुझाव दो साल पहले भी रक्खा था और मैं उसे आज पुनः रखना चाहता हूं और मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करें। इस योजना को यदि कम्पलसरी कर दिया जाय तो इस से जहां जीवन बीमा होने से उन लोगों को लाभ होगा, वहां देश की आर्थिक व्यवस्था को भी इस से लाभ होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधेलाल व्यास]

एकोनामी के बारे में जैसा कि राष्ट्रपति जी ने भी अपने भाषण में संकेत किया था, एकोनामी तो हमेशा ही होनी चाहिए, खर्चे में कमी होनी चाहिए और फिजलखर्ची रोकनी चाहिए लेकिन ख़ासतौर से आज इस का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि देश एक संकटकालीन स्थिति से गुज़र रहा है इसलिए आज खर्चे में बचत करने और फिजूलखर्ची को रोकने की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ।

एक बात मेरे नोटिस में आई जो कि मेरे राज्य से सम्बन्धित है । हमारे यहां एकाउन्टेन्ट जनरल का आफ़िस नहीं है । ग्वालियर में एकाउन्टैंट जनरल आफ़िस के वास्ते एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है । उस में १ करोड़ रुपये से कम नहीं लग सकता है । उस बारे में मेरा अर्थ मंत्रालय को सुझाव है कि ग्वालियर में इस तरह की बड़ी बिल्डिंग्स मिल सकती हैं जहां कि एकाउन्टेन्ट जनरल का पूरा आफिस एकौमोडेट हो सके और इस सम्बन्ध में अगर अर्थ मंत्री जी चाहें तो मैं उन की सहायता कर सकता हूं और वहां कोई इस के लिए उपयुक्त बिल्डिंग उपलब्ध करा सकता हूं जोकि किराये पर या काफ़ी कम क़ीमत पर मिल सकती है । इसलिए यह उचित होगा कि नई बिल्डिंग के बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करने के बजाय कम रुपये में काम चलाया जाय और देश जब एक संकटकालीन स्थिति से गुज़र रहा है तब एक या डेढ़ करोड़ रुपया खर्च न कर वैसे ही काम चलाया जाय तो हमारा काम भी चल सकेगा और उस रुपये का भी उपयोग किन्हीं दूसरी आवश्यक जगहों में अच्छी तरह से कर सकते हैं ।

इनकमटैक्स आफ़िस के बारे में मेरे पास हाल में उज्जैन से शिकायत आई है कि उज्जैन में इनकमटैक्स विभाग में जो सी० वार्ड है उस को वहां से हटा कर दूसरे ज़िले गुना में ले जा रहे हैं और राजगढ़ ज़िला भी उस में शामिल कर रहे हैं जहां कि एक नया दफ्तर खोल रहे हैं । अब राजगढ़ वालों को यहीं सहूयलयत रहती है । यहां उन को सब तरह की सुविधा है, आने जाने की और सलाह मशविरा करने की । लीगल एड भी यहां उन को मिल जाती है । यह सब चीजें गुना में उन को नहीं मिल सकती हैं । इसलिए राजगढ़ वाले चाहते हैं कि हमारा सम्बन्ध उज्जैन से ही बना रहे । गत वर्ष मैं ने इस ओर उपमंत्री श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा का ध्यान आकर्षित किया था और उन्हों ने इसे रोक दिया था । गये साल भी यह तय हुआ था कि वह गुना ले जाया जाये । अब फिर सुनते हैं कि इसे गुना ले जाया जा रहा है तो बारबार इस तरीक़े से निर्णय को बदलना जिस से कि लोगों को असुविधा हो यह कुछ उचित नहीं प्रतीत होता है । अगर किसी तरीक़े से उज्जैन में कम काम हैं और इस वजह से इस को हटाया जा रहा है तो मेरा निवेदन है कि अगर इस के लिए उज्जैन में एक दो जिले मिला दिये जायें तो वहां काम भी हो जायगा और लोगों को भी सहूलियत होगी । इस पर भी विचार करें और यह जो एक वार्ड वहां से हटाया जा रहा है, इस को वहां से न हटा कर उज्जैन में रखा जाये ।

रिपोर्ट में भी इस का जिक्र किया गया है और मैं भी इस के बारे में अपना विनम्र सुझाव देना चाहता हूं कि पुराने जो रूल हैं, उन को रिवाइज़ करने के लिए, इन में संशोधन करने के लिए कदम उठाये जायें । रिपोर्ट में जो इस का जिक्र है, इस का मैं स्वागत करता हूं । इन के कारण हमारे कई कामों में रुकावटें पड़ती हैं और मामले कई दिनों तक अर्थ विभाग में ही पड़े रहते हैं और इस-लिये पड़े रहते हैं कि हमारे जो नियम आदि हैं वे ऐसे हैं कि कई चैनल्ज़ से गुज़र कर जांच पड़ताल पर कोई निर्णय हो पाता है । इस संकटकालीन स्थिति में जब कि काम तेजी से होना चाहिये यह जरूरी है कि हमारे जो पुराने रूल हैं और जो हमारे रास्ते में बाधक बनते हैं, वे बदले जायें । ऐसा केन्द्र में ही न हो कर स्टेट्स में भी हो । वहां पर भी लालफीताशाही चलती है और पुराने नियमों

की वजह से अर्थ विभागों के मामलों के पहले प्रकरणों के निकाल में देर हो जाती है। इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि सारी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्ज़ की कान्फ्रेंस बला कर उन को भी यह परामर्श दिया जाये कि वे भी अपने यहां के नियमों आदि को बदलें और ऐसे नियम आदि बनायें जिस से मामलों के और जो प्रकरण वहां पैंडिंग हैं, उनका जल्दी से जल्दी निकाल हो सके।

अब मैं टैक्सेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अलग अलग रियासतों म अलग अलग तरह के टैक्स हैं और वहां पर एक ही टैक्स की दरें भी अलग अलग हैं। यही नहीं जी नियम आदि है टैक्सों के वे भी अलग अलग हैं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए और इस मामले में यूनिफार्मिटी लाई जाए। में समझता हूं कि अर्थ विभाग ने इस पर विचार भी किया है, कान्फ्रेंस भी हुई है और यह तय पाया है कि जल्दी से जल्दी कदम उठाये जायें कि इस मामले में यूनिफार्मिटी लाई जा सके, एक सा टैक्सेशन सब राज्यों में लागू हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक राज्य में जहां टैक्स कम है, सेल्ज़ टैक्स कम है, आक्ट्राय ड्यूटी कम है और पड़ौस में लगे हुए राज्य में अधिक है तो वहां से इधर उधर स्मगलिंग करने की काफी गुंजाइश होती है क्योंकि भावों में अन्तर होता है। इस तरह से माल इधर उधर चोरी छिपे लाने ले जाने की लोगों को काफी गुंजाइश रहती है। मैं समझता हूं कि यदि इस बारे में यूनिफार्मिटी लाई गई तो देश की एकता को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। जितने टैक्सेशन के नियम हैं, जितनी टैक्सों की दर है और जो दूसरी चीजें इससे संबंधित हैं उनमें जल्दी से जल्दी समानता पाई जानी चाहिये।

मैं समझता हूं कि शासन को जो आमदनी टैक्सेशन से होनी चाहिये वह नहीं हो रही है, कम हो रही है और टैक्सों की चोरी काफी होती है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लें। वहां जो आफिसर्स हैं, वे दफ्तरों में बैठ कर काम करते हैं और ऐसी हालत में जो लोग टैक्स इवेशन करते हैं, उनकी जानकारी उनको मिल सके, यह सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इसकी जानकारी उनको मिल सके, इसका कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये। ऐसा कोई तरीका निकाला जाना चाहिये कि जो लोग गलत काम करते हैं, जो अपनी आमदनी को छिपाते हैं, जो अपने प्राफिट्स को छिपाते हैं, उनके बारे में सही सही पता हमारे आफिसर्स को लग सके। मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि इनफार्मर्स के तौर पर कुछ लोगों को रखा जाए और उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए। ये इनफार्मर्स इसके बारेमें जानकारी आपको दें और उस जानकारी के आधार पर यदि कुछ पता लगे और शासन को कुछ इनकम हो, आमदनी हो तो उसका कुछ भाग इनफार्मर्स को दिये जाने की व्यवस्था की जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूं कि काफी लोग इस में दिलचस्पी लेंगे और शासन की आमदनी बढ़ेगी और जो इवेशन होता है, वह भी कम होगा। इनफार्मर्स को जो पैसा इस तरह से दिया जाना है, वह भी सरकार को न देना पड़े, इसके लिए यह व्यवस्था की जा सकती है कि जो टैक्सों को इवेड कर रहा हो, उससे इस रकम की भी वसूली करने की व्यवस्था कर दी जाए। इस तरह से करोड़ों रुपये की रकम आपको प्राप्त हो

[श्री राधेलाल व्यास]

सकती है। इस तरह से वाजिब तौर पर शासन का जो हक है, जो पैसा उसको मिलना चाहिये, जिससे वह वंचित रह जाता है, वह उसको मिल सकता है। जब तक कोई कड़े और ठोस कदम नहीं उठाये जाते हैं, तब तक इस तरह की छिपी हुई आय बाहर नहीं आ सकती है और जो टैक्सों की रकम है, वह मिल नहीं सकती है। मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए। समय आ गया है कि इसके बारे में कोई कदम उठाया जाए जिससे टैक्सों को छिपाने की जो प्रवृत्ति है, उसमें कमी हो।

प्राइसिस कन्ट्रोल पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी अभी हमने देखा है कि शक्कर के भाव काफी बढ़ गए हैं। समझ में नहीं आता है कि शूगर केन के भाव वही हैं, तो फिर शक्कर के भाव १०४ से १११ तक कैसे चले गए और अब १११ से १२३ रुपये बोरे तक कैसे चले गए। जहां जहां मैं गया हूं, वहां वहां मैंने सुना है कि इतने भाव एक दम शक्कर के कैसे बढ़ गए.....

श्री त्यागी (देहरादून) रिलीज़ नहीं हुई है।

श्री राधेलाल व्यास : रिलीज़ नहीं हुई है तो इसमें किसका दोष है। इसमें लोगों को लाखों रुपये का नुकसान हो गया है, व्यापारियों ने लाखों रुपया इसमें कमा लिया है। इस तरह से कोई अनुचित लाभ न उठा पाय, उसके लिये जब तक कानून द्वारा आप कोई व्यवस्था नहीं करते तब तक इसकी रोक नहीं हो सकती है। केवल सर्क्युलर निकाल देने से, वक्तव्य दे देने से, या पालिसी निर्धारित कर देने मात्र से यह काम नहीं हो सकता है। कानून ऐसा होना चाहिये कि अमुक भाव से यदि कोई अधिक बेचेगा तो वह एक अपराध होगा और उसके लिए उसको दण्ड भोगना होगा।

एक अन्तिम बात मैं गोल्ड के बारे में कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि सोने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। सोने के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई है वह बहुत जरूरी थी। लेकिन जब कभी भी ऐसी कोई व्यवस्था हो उसके बारे में पहले से चर्चा नहीं होनी चाहिये और एक दम से कदम उठाया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तभी उसके अच्छे परिणाम निकलने की आशा की जा सकती है। अब हुआ यह है कि शासन ने पहले से कहना शुरू कर दिया कि हम कीमतें कम करना चाहते हैं और इसके बारे में वक्तव्य आदि देने प्रारम्भ कर दिए और गवर्नमेंट की क्या पालिसी होने वाली है, यह चर्चा का विषय बन गया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो कदम उठाया गया उसके फलस्वरूप जो गरीब हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, जिन्होंने अपने जेवर साहूकारों के पास गिरवी रखे हुए थे, वे पिस गए और उनको करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। पहले भाव घटे, फिर बढ़े, फिर घटे और फिर बढ़े और भावों के इस उतार चढ़ाव में जो कम साधन वाले लोग थे जो कम पूंजी वाले लोग थे, जिनके पास बहुत कम सोना था और जो उसका उपयोग केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गिरवी आदि रख कर करना चाहते थे, वे उससे वंचित रह गए और करोड़ों रुपये का इससे नुकसान हुआ। मैं समझता हूं कि अभी भी जो चौदह कैरट की व्यवस्था आपने रखी है, इसमें काफी लोगों को गुंजाइश है और सब तरह का व्यापार चल रहा है। क्या यह नहीं हो सकता है कि जितने सोने के आर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, उसके पहनने पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया जाए ? आम तौर से गरीब लोग यह कहते हैं कि यह क्यों रखा है, इसको भी बन्द कर देना चाहिये। ज्यादा तर सौभाग्यवतियों के पहनने के लिए कोई मंगलसूत्र वगैरह की जरूरत हो तो वह रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक के यहां मिला करे, गवर्नमेंट के किसी कारखाने में बना हुआ मिला करे और तीन माशे का बिके तो मैं समझता हूं, ज्यादा अच्छा हो। सोने के गहने पहनने पर अगर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए तो आम जनता उसका स्वागत करेगी और काला बाजार करने के लिए जो लोगों को गुंजाइश मिली है, उसमें रुकावट आ सकेगी।

श्री त्यागी : सारी औरतें नाराज़ हो जावेंगी।

श्री राधेलाल व्यास : सारी औरतें नाराज़ नहीं होंगी। कुछ जो पैसे वाली औरतें है, वही सोना पहनती है। आम तौर से देहातों वगैरह में बेचारी चांदी के ही जेवर पहनती हैं, सोने के जेवर कौन पहनता है। फिर आजकल सोने के जेवर पहनने का रिवाज भी कम होता जा रहा है।

मैं आशा करता हूं कि इस मेरे सुझाव पर भी विचार किया जाएगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, वित्त मन्त्रालय की मांगें सत्र के समाप्त होने के समय प्रस्तुत की गई हैं। शीघ्र ही इन पर मतदान भी हो जायेगा।

वित्त मन्त्री ने एक महापुरुष के चरणों में बैठ कर आत्मिक शक्ति, नैतिक बल और आर्थिक सदाचार प्राप्त किया है। इसलिये उनसे यह आशा की जाती है कि वह अपने मन्त्रालय में ही नहीं अपितु समस्त सरकारी प्रशासन में इन सद्गुणों का विकास करेंगे। इस आपातकाल में प्रशासन को सुव्यवस्थित करना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रधान मन्त्री की पुत्री ने अमरीका में दी गई एक टेलीविज़न भेंट में कहा है कि उन्हें और उनके पिता को इस बात की जानकारी है कि चीनियों ने पीछे हटते समय स्थानीय लोगों को यह धमकी दी थी कि वह गर्मियों में फिर आयेंगे। उन्हीं के कहे अनुसार उन्हें और उनके पिता को १९५४ में ही, जब वे चीन गये थे, यह आभास मिल गया था कि हमें इस संकट का सामना करना होगा। यह बातें हमारे लिये नई हैं, क्योंकि हम हमेशा चीन को अपना मित्र ही समझते रहे हैं।

लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदन में आय कर के कम निर्धारण और बहुत अधिक बकाया के बारे में उल्लेख है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश में, जहां कुल १० लाख व्यक्ति आय कर देते हैं, वस्तुतः कितने व्यक्तियों पर निर्धारण नहीं किया जाता, कितनों पर कम निर्धारण किया जाता है और कितने कर का अपवंचन करते है।

आपातकाल की घोषणा के बाद "बैंक ऑफ चाइना" को बन्द कर दिया गया है। यह अच्छा ही हुआ है। इस बैंक के लेखे की जांच से बहुत सी अवांछनीय जानकारी सम्मुख आई है। माननीय मन्त्री को चाहिये कि जिन भारतीयों के खाते इस बैंक में खुले हुये थे उनके नामों की एक सूची सभा-पटल पर रखें।

मैंने पहले भी कहा था कि प्रशासन अपने आदर्श, स्तर और गरिमा से डिग गया है और कार्य-कुशलता भी पहले जैसी नहीं रही। उदाहरणार्थ खाद्य और कृषि मन्त्रालय के अनुसार अबभी कासर गोड नामक स्थान केरल में नहीं अपितु आन्ध्र प्रदेश में है।

हैदराबाद के आय-कर आयुक्त ने यह आदेश जारी किया था कि उसके अधीन समस्त कर्मचारी अपना एक दिन का वेतन रक्षा कोष में द और जो न दे उन के नाम, उन पर कार्यवाही करने के लिये, उस के पास भेजे जायें। इस पर आपत्ति उठाई जाने पर यह परिपत्र वापिस ले लिया गया। किन्तु यह पर्याप्त नहीं था। उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये थी।

कई लोग अपनी वास्तविक आय नहीं बताते और इस प्रकार आय कर से बच जाते हैं। कोई २ वर्ष पहले कलकत्ता के किसी व्यक्ति ने किसी को १ लाख रुपये का एक चेक दिया था। उसे यह कह कर लौटा दिया गया कि बैंक से वसूली नहीं हो सकी। किन्तु उन्हीं साहब ने किसी अन्य पार्टी को २ लाख रुपये दिये। माननीय मंत्री को मालूम करना चाहिये कि यह रुपये कहां से आये थे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वित्त मंत्री का इस से क्या सम्बन्ध है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आय कर से तो उनका संबंध है ?

मेरे पास इसके सबूत हैं। प्रार्थी द्वारा कलकत्ता पुलिस को दिये गये शपथ-पत्र की एक प्रति मेरे पास है, जिस में श्री कृष्ण मेनन आदि के नाम का भी उल्लेख है। जिस चैक का भुगतान नहीं हुआ था उसकी फोटोस्टे प्रति भी मेरे पास है। इसकी तत्काल जाँच की जानी चाहिये।

वित्तीय परामर्शदाताओं की व्यवस्था कुछ बदनाम हो चुकी है। जीप संबंधी अपवाद के मामले में उस समय के लंदन स्थित उच्चायुक्त ने वित्तीय परामर्शदाताओं की बात नहीं मानी थी। प्रधान मंत्री ने सहृदयता के कारण उसे एक अपवाद मात्र कह कर टाल दिया था। किन्तु ऐसी बात को अपवाद कहना स्वयं एक अपवाद है। हाल ही में सिराजुद्दीन के मामले में भी उन्होंने ऐसा ही कहा था। मुझे आशा है कि वित्तीय परामर्शदाताओं के परामर्श की अब पहले के समान अवहेलना नहीं की जायेगी। परामर्शदाताओं को वित्त मंत्री के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिये जिस से वह अन्य मंत्रालयों के विषय में स्पष्ट परामर्श दे सकें। प्रधान मंत्री को भी यह समझ लेना चाहिये कि, क्योंकि वह अन्य कार्यों में उलझे होने के कारण वित्तीय मामलों पर ध्यान नहीं दे सकते, वित्तीय परामर्शदाताओं की सलाह को स्वीकार किया जाये। तभी इस मंत्रालय में सहयोग और समन्वय स्थापित हो सकता है।

जब कोई मंत्रालय स्वीकृत माँगों का पूर्ण उपयोग नहीं करता और वर्ष के अन्त में कुछ राशि बची रह जाती है, तब उन से स्पष्टीकरण माँगा जाता हैं। वर्ष के अंत में मंत्रालय फर्मों को क्रयादेश दे कर यह कहते हैं कि चाहे सामान बाद को आये किन्तु बिल ३१ मार्च के पहले ही भिजवा दिया जाये। मेरा निवेदन है कि जो मंत्रालय स्वीकृत राशि को पूरा व्यय न करें उनकी, बजाय इसके कि स्पष्टीकरण माँगा जाये, सराहना की जानी चाहिय।

कलकत्ता में उत्पादन-शुल्क विभाग के कर्मचारियों ने दावा कर के कुछ महत्वपूर्ण कागजातों पर कब्जा किया है। मुझे आशा है कि इन कागज-पत्रों को, जिन में कुछ मंत्रियों का भी उल्लेख है, संभाल कर रखा जायेगा। मंत्रियों से संबंधित कागज-पत्रों के विषय में, किसी को पता नहीं चल पाता। हम उन्हें सभा पटल पर रखे जाने की माँग नहीं कर सकते। किन्तु मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इन कागज-पत्रों को, जिन के पकड़े जाने पर श्री सिराजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था, सुरक्षित रखा जाये और एक उच्च शक्ति न्यायिक समिति द्वारा इस मामले की जाँच की जाये। इस मामले में बहुत से मंत्री भी अन्तर्ग्रस्त हैं। मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र इसकी जाँच करवाई जायेगी और इस के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, दण्डित किया जायेगा, जिस से प्रशासन में ईमानदारी और कार्यकशलता आ सके।

वित्त मंत्री का भ्रष्टाचार और अपमिश्रण के प्रति दूसरा ही दृष्टिकोण है गत वर्ष उन्होंने कहा था कि बजाय कोड़े लगाने के ऐसे व्यक्तियों को फाँसी दे दी जाय।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उन्हें चाहिये था कि कुछ लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करके उदाहरण प्रस्तुत करते। मैं आपको एक दृष्टाँत देना चाहता हूं। टर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने एक आज्ञप्ति जारी की थी कि सड़क पर थूकने वाले को कोड़े लगाये जायेंगे। कुछ व्यक्तियों को कोड़े लगाये जाने के पश्चात् यह कुप्रथा हमेशा के लिये समाप्त हो गई। माननीय मंत्री कोड़े लगाने को अच्छा समझते हैं या फाँसी लगाने को, यह मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ राज्य आवंटित राशि को किसी अन्य कार्य के लिये खर्च कर देते हैं। एक राज्य ने छोटी सिंचाई परियोजना के लिये आवंटित राशि को एक चिड़ियाघर बनाने में खर्च कर दिया। मैं नहीं जानता कि क्या वित्त मंत्री इस बात के प्रति सचेत हैं कि आवंटित राशि किसी अन्य कार्य के लिये खर्च न की जाये ।

हम करोड़ों रुपये जम्मू और काश्मीर राज्य को दे रहे हैं। सीमान्त स्थित राज्य होने के कारण इसका काफ़ी महत्व है। किन्तु साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी हमारा कर्त्तव्य है कि इस राशि का उचित उपयोग किया जाये ।

जम्मू और काश्मीर में हजरतबल का मामला वर्षों से चल रहा है। मैं इस के गुण-दोषों पर कुछ नहीं कहना चाहता। किन्तु मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस पर कितना व्यय हुआ है और कौन इसे वहन कर रहा है । जम्मू और काश्मीर के बजट से इस से संबंधित वकीलों आदि के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता। इसलिये अवश्य ही यह केन्द्र द्वारा किया जाता है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस विषय की पूरी जानकारी दे ।

हमें वित्त मंत्री से बड़ी बड़ी आशायें हैं। हम उन से प्रार्थना करते हैं कि वह कुप्रशासन के विरुद्ध संघर्ष करते रहें। हमें 'स्वराज' मिल गया है ; किन्तु अभी 'सुराज' की स्थापना करनी है। मुझे आशा है कि वह इसके लिये अपनी सारी शक्ति लगा देंगे ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ऐसे सुझाव दूंगा कि हमारे फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब को आज ही कम से कम ७०० करोड़ रुपये का फ़ायदा हो जायेगा। ७ अरब रुपया वह यहां लेकर जायेंगे और मैं एक पैसा उन से फ़ीस का नहीं लूंगा और ७ अरब रुपया मैं उन को दे दूंगा । सब से पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि जो तीन अरब रुपया मिल मालिक और इंडस्ट्रियलिस्ट्स मारे हुए बैठे हैं और जिन्होंने कि इनकमटैक्स नहीं दिया है वह उन से वसूल किया जाये । दूसरी ज़रूरत इस बात की है कि आज जो रुपया सिनेमाओं और नाचने गाने पर खर्च होता है वह १८० करोड़ रुपया है। वह १ अरब ८० करोड़ रुपया है। उस को उन बेकार की चीजों पर खर्च न कर के मिलेटरी ट्रेनिंग के लिए लगाया जाये। इस के अलावा कश्मीर के ऊपर हम १२ लाख रुपया रोज़ाना खर्च करते हैं। कश्मीर को एक डिफेंस स्टेट बना कर और डिफेंस के मातहत जितना रुपया खर्च हो सकता है, खर्च किया जाय। पंजाबी रेस ही ऐसी है जो कि कश्मीर को वोट और चोट से फतह कर सकती है। उन्होंने लाला लाजपतराय को पैदा किया, सरहदी गाँधी को पैदा किया, सरदार भगतसिंह को पैदा किया और सरदार ऊधम सिंह आज़ाद को पैदा किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर यह पंजाबी लोग वहाँ पर बसाये जाँयें तो वह समस्या हल हो सकती है। इन के वगैर इस मसले को हल नहीं किया जा सकता है। कश्मीर के ऊपर जो १२ लाख रुपया रोज़ाना खर्च होता है उस में से सिर्फ़ ५ लाख रुपया खर्च करने की ज़रूरत है और ७ लाख रुपया रोज़ाना जो कि अभी ज्यादा खर्च होता है वह बचाया जा सकेगा।

जो सिस्टम ऐसा है जिन्हें कि आप कहते हैं कि यह डिकेइंग सिस्टम है तो मैं उनका कोई वकील नहीं हूं । मैं आप से ज्यादा समाजवादी हूं। मैं नहीं कहता कि इस जमाने में किसी की प्रिवी पर्स को या जो किसी का डेली एलाउंस है उनको कायम रक्खा जाय। देश का हित सब से अव्वल है। भारतमाता बहुत ऊंची है। हमारे अपने देश की पोजीशन बहुत बड़ी है और देश की रक्षा का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है और वह इन सवालों से कहीं बड़ा सवाल है।

[श्री यशपाल सिंह]

नवाब साहब हैदराबाद को २६००० रुपये रोज़ाना तनख्वाह मिलती है लेकिन उन्होंने अपनी एक महीने की तनख्वाह अभी तक वार फंड में नेशनल डिफेंस फंड में नहीं दी है। इसी तरह से बिड़ला, टाटा, डालमियाँ, पदमपत सिंहानिया और साहू आदि अगर चाहें तो १ लाख रुपया रोज़ाना डिफेंस फंड में दे सकते हैं। एक लाख रुपया रोज़ाना देना इन के लिये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बड़े लोगों की एक चौथाई इनकम काट ली जाय तो कोई फर्क नहीं होने वाला है। मैं ग़रीब आदमी हूं। मैं जब आपनी आमदनी का पचास फ़ी सदी डिफेंस फंड में दे सकता हूं तो फिर यह करोड़पति और अरबपति भी दे सकते हैं। वह भी पैसा डिफेंस फंड के लिये इन करोड़पतियों से लिया जाय।

इसके साथ ही साथ संसार के किसी भी कांस्टीट्यूशन में ला मेकर्स को तनख्वाह नहीं दी जाती है, न इंग्लैंड में, न फ्रांस में और न अमरीका में। सिर्फ सिटिंग्स के दिनों का डी० ए० दिया जाता है। मुस्तकिल तनख्वाह किसी को नहीं दी जाती है क्योंकि समाज में जिसको सम्मान दिया जाता है, देश ने जिसको इज्जत दी है, ओनर दी है उसको तनख्वाह के ऊपर ख़रीदना यह हमारे कांस्टीट्यूशन के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जितने दिन यहां बैठें उतने दिन का भत्ता दिया जाय, बाक़ी तनख्वाहें काट ली जांय। इससे हमको एक अरब रुपये का फ़ायदा होगा।

हमारी लोक सभा, राज्य सभा और राज्यों की विधान सभाओं और राज्य परिषदों के कुल मिला कर ५००० एम० पीज०, एम० एल० एज० और एम० एल० सीज़० होते हैं, उन को जितने दिन की सिटिंग्स होती हैं उतने दिनों का ख़ाली भत्ता दिया जाय और जो उनको अभी मुस्तक़िल तनख्वाह मिलती है वह ख़त्म की जाये। ऐसा करने से आपको १०० करोड़ रुपये की बचत होगी। एक अरब रुपया बचेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हर एक शख्स दे। जब हर एक शख्स देगा तभी जाकर देश की रक्षा होगी वरना देश की रक्षा नहीं हो सकती है।

आज कानून इतना डिफैक्टिव है कि जो काश्तकार ५० रुपया लगान देता है अगर उसे ५० रुपया लगान देने में एक दिन की भी देरी हो जाये तो उसका वारंट कट जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसका बैल व भैंस कुर्क हो जाती है, उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है और उस की खड़ी हुई फसल को नीलाम कर दिया जाता है। अब ५० रुपया लगान देने वाले को लगान देने में देरी हो जाने पर जेल में में भी डाला जाता है और कुर्की भी की जाती है लेकिन एक, एक मिलमालिक ऐसे हैं जिसकी तरफ़ अब भी सरकार का ५०, ५० लाख रुपया बाक़ी है और किसानों के गन्ने की क़ीमत नहीं मिल रही है। अब भी उन पर सरकार का २० लाख रुपया बाक़ी रहता नहीं है लेकिन न एक दिन वारंट हुआ, न कुर्की हुई और न ही किसी को सज़ा दी गई। अब इंसाफ का तकाज़ा तो यह है कि जो ला ५० रुपये के लगान देहन्दा पर लगे वही ला करोड़पतियों के लिए भी हो। इनकमटैक्स लेने में आप हर एक को एक लिमिट तक छोड़ते हैं। आप ३०० रुपया उसके खानेपीने के लिए छोड़ कर बाक़ी पर टैक्स लेते हैं। ४०० रुपया महीना छोड़ कर बाक़ी के ऊपर टैक्स लगाया जाये लेकिन किसान एक ऐसा सताया हुआ और पिसा हुआ वर्ग है जिसके कि ऊपर एक पैसा भी नहीं छोड़ा जाता है। जो काश्तकार ५० रुपया लगान देता है उस के ऊपर कोई रिआयत नहीं की जाती है। सरकार को २१ करोड़ रुपये का नुकसान ऐक्साइज ड्यूटी में हुआ। यह नुक़सान इसलिए हुआ कि किसान को गन्ने की क़ीमत पूरी नहीं दी गई। स्वर्गीय रफ़ी अहमद क़िदवायी, भगवान उनकी रूह को शांति दे और उन्हें और भी ऊंचा दर्जा मिले, जब तक क़िदवई साहब रहे उन्होंने गन्ने के लिए २ रुपये मन का भाव दिया। जब उन्होंने देखा

कि गन्ना कम रह गया है तो उन्होंने गन्ने का ढाई रुपये मन का भाव उठाया लेकिन इसके विपरीत उस ज़माने में जब कि गन्ना मिल नहीं रहा था, गन्ने के लिए १ रुपया ७ आने का भाव दिया गया और १ रुपये ५ आने का भाव दिया गया। अगर किसान को गन्ने की पूरी क़ीमत मिल जाती तो २१ करोड़ रुपये का जो नुक़सान हुआ है वह २१ करोड़ रुपये का नुक़सान हरगिज न हुआ होता।

सरकार चाहे तो इन मसलों को हर वक्त हल कर सकती है। यह नाम तो लेती है समाजवाद का और काम करती है पूंजीवाद का। हम में और इन में इतना फर्क है कि हम कहते हैं कि हम गांधी जी की ट्रस्टीशिप को मानते हैं। अगर आप हमारी ट्रस्टीशिप को गलत बतलाते हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी कल पंचमहाल के चुनाव में कांग्रेस क्यों हार गई? साफ़ जाहिर है कि वहां की जनता ने आप के इस निज़ाम को पसन्द नहीं किया। नाम लिया जाता है समाजवाद का और काम किया जाता है पूंजीवाद का। पंचमहाल में एक एम० पी० की सीट पर कांग्रेसी उम्मीदवार १४००० वोटों से हार गया। नाम तो लिया जाता है समाजवाद का और काम किया जाता है पूंजीवाद का। अब इससे तो वही अच्छा है जैसा कि कहते हैं :—

"बगुला से कागा भला बाहर भीतर एक"। आपकी कोई पालिसी होनी चाहिये। मैं राजा, महाराजाओं का कोई वकील नहीं हूं लेकिन अगर जनता आपका निज़ाम पसन्द करती होती तो हिज हाइनेस १०० फ़ीसदी जीत कर क्यों आ जाते? हिज़ हाइनेस जन संघ की टिकट पर खड़ा हो गया, स्वतन्त्र पार्टी की टिकट पर खड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, वह जीत गया। जहां जहां भी वह खड़ा हुआ है, वहां वहां वह जीता है। यह सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, सारे भारतवर्ष में ऐसा हुआ है। हिज़ हाइनेस को कांग्रेस नहीं हरा सकी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपका जो सिस्टम है, उस पर जनता को विश्वास नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार के मुक़ाबले में आज कोई अपोज़ीशन मुत्तहिद नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : एक साल हमें यहां आए हुए हो गया है। यह तीसरी पार्लियामेंट है। मैं मैम्बर साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि वे चेयर को ही हमेशा एड्रेस करने का खयाल रखें, मिनिस्टर्ज़ को सीधे न करें।

श्री यशपाल सिंह : उन से ज्यादा प्रेम है, इसलिए कहते हैं। उनकी हम इज्जत करते हैं। जेल में हम इकट्ठे रहे हैं, डांडी यात्रा में हम साथ रहे हैं, नमक यात्रा में रहे हैं ...

अध्यक्ष महोदय : उनके साथ आपका ज्यादा प्रेम है, इसी लिए तो मुझे रश्क पैदा होता है

श्री यशपाल सिंह : आप मालिक हैं। आपके लिए हमारे दिलों में श्रद्धा है, भक्ति है, मुहब्बत तो उन्हीं से है।

छेड़ खूबां से चली जाए असद,
गर नहीं वस्ल तो हसरत ही सही

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो नियम की आपको याद दिलाई गई है कि बराहेरास्त आपस में तेज़ी न आए।

श्री यशपाल सिंह : मैं आइंदा इसका खयाल रखूंगा

इस सरकार का अगर कोई सही सिस्टम होता तो इस ज़माने में हमारी चौबीस हज़ार मुरब्बा मील ज़मीन पर चीनी आक्रमणकारी हावी न होते। यह कहा जाता है कि हमारी माली हालत

[श्री यशपाल सिंह]

तरक्की कर रही है। मैं समझता हूं कि माली हालत तरक्की नहीं कर रही है, वह गिरती जा रही है। अगर खेती की तरक्की होती और सरकार ने कारखानों की तरक्की की होती तो हमारी फौज जीत कर आती। चूंकि इनकी तरक्की नहीं हुई थी, इसलिए हमारी फौज हारी। सरकार अगर इसका प्रायश्चित करना चाहती है तो उसे ४४ करोड़ लोगों के दिलों में झांकना होगा, अपने दिलों को टटोलना होगा और यह जानने का प्रयत्न करना होगा कि किस किस तरीके लोग सफर कर रहे हैं; किस किस चीज़ की उनको कमी है। भारतवर्ष में अब बीस लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो बगैर बीज के पड़ी रह गई है। इसका न सरकार इंतज़ाम कर सकी, न कोआपरेटिव्ज इंतज़ाम कर सके। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की उस रिपोर्ट को भी वित्त मंत्री जी ने पढ़ा होगा जिस में लिखा हुआ है कि कोआपरेटिव्ज का खेती की प्राडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, खेती की तरक्की के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने एक दिन पहले कहा था कि कोआपरेटिव का सिस्टम अगर रहा तो खेती की पैदावार नहीं हो सकती है। माहत्मा गांधी ने कहा था कि विलायती कपड़े मत पहनों। लेकिन इन्होंने हमें विलायती गेहूं खिला कर दिखा दिया है, वहां से अगर एक महीने के लिए गेहूं आना बन्द हो जाए तो हिन्दुस्तान की जनता भूखों मर जाएगी। जो सरकार इन पंद्रह सालों में फाइनेंसिस की तरक्की नहीं कर सकी है वह जो सरकार इन पंद्रह सालों में दूसरे देशों के सामने हाथ पसारती रही है, मैं नढ़ीं कह सकता हूं कि वह अभी भी इस मसले को हल कर सकती है।

आप देखें लंका एक छोटा सा देश है। उसने गल्ले की अपनी जरूरतों के लिए दूसरे के दरवाजे नहीं झांके। बर्मा छोटा सा देश है, उसने पैदावार के लिये दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं पसारे। मिश्र जो हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा है, उससे भी आबादी उसकी कम है, वह अकेला इतनी कपास पैदा करता है कि आठ मिलियन लोग अपना तन ढांप सकते हैं, इतना चावल पैदा करता है कि तीन मिलियन लोगों का पेट भर सकता है। लेकिन ४४ करोड़ इंसान आप के गांवों में इतना पैदा नहीं कर सके, इतना खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर सके कि हमारी जरूरतें पूरी हो सकें, बाजरा की पूरी हो सकें या मक्का की पूरी हो सकें और इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है। इससे ज्यादा शर्म की बात हमारी सरकार के लिए दूसरी नहीं हो सकती है। सरकार चाहे तो इस समस्या को छः महीने में हल कर सकती है। सरकार हमारा सहयोग नहीं चाहती है। खेती के महकमे में हमारा सहयोग नहीं चाहती है, उसको बगैर किसी पार्टी के हल करना नहीं चाहती है, इरिगेशन के मसले को बगैर किसी पार्टी के हल करना नहीं चाहती है। डिफेंस के लिए बाहर से कर्जे लेने की जरूरत नहीं है, जिन की तनख्वाह एक हज़ार महावार से ज्यादा है, उनकी तनख्वाहों को काट करके जो रकम मिले, उसको डिफेंस में लगाया जा सकता है और हमारी यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, १९३१ में महात्मा गांधी ने कहा था जब कि मैं भी गांधी टोपी पहनता था और आपकी तरह से ही एक रिप्रिजेंटेटिव था कि पांच सौ महावार से अधिक किसी भी अफसर को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। यह उन्होंने वादा किया था। लेकिन उनके चेले जो हैं, जिन के हाथ में राज्य की बागडोर है, वे पांच पांच और सात सात हज़ार महीना लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं। तनख्वाहों को कम करने के बजाय उनको बढ़ाया जा रहा है। यह शोभा नहीं देता। इनको कम करके जवानों की तनख्वाहें बढ़ाई जायें।

गोल्ड के बारे में अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। जहां पर गोल्ड है, वहां पर छापे मारे जायें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसकी वजह से खुदकुशी करके जो लोग मरे हैं, वे कौन

लोग हैं ? सुनार मरे हैं, स्वर्णकार मरे हैं, कोई गोल्ड स्मगलर नहीं मरा है। किसी गोल्ड स्मगर को कोड़े नहीं लगाये गये हैं, दिल्ली के चांदनी चौक में खड़े करके किसी को शूट नहीं किया गया है। गोल्ड स्मगलर के लिए कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं की गई है कि वह भी कहीं खुदकुशी करके मर जाता। कुर्बानी जब चढ़ती है, तो मेमने की, बकरी के बच्चे की चढ़ती है, शेर के बच्चे की नहीं चढती है। मैंने इसी सदन में पूछा था कि कितने गोल्ड स्मगलर इस अधिनियम की वजह से खुदकुशी करके मरे हैं और कितने गोल्ड स्मगलर्ज़ को सजा दी गई है। इसका मुझे अभी तक भी जवाब नहीं मिला है कि कितनों को सज़ायें हुई हैं। कांग्रेस सर्किल्ज़ के अनुमानों को अगर सही माना जाए तो सौ स्वर्णकार खुदकुशी करके मरे हैं और अगर प्रेस में छपी खबरों को सही माना जाए तो दो सौ मरे हैं और जहां तक सरकार का ताल्लुक है वह कहती है कि उसके पास इसके बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं और वह कुछ बता नहीं सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक सुनार ने भी खुदकुशी की है, आत्म-हत्या की है तो इससे बड़ी कलंक की बात हमारी सरकार के लिए दूसरी नहीं हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय, आज चौदह कैरट की बात छोड़ कर हम करते हैं कि हम अपनी हड्डी तक देने के लिए तैयार हैं, खून तक देने के लिए तैयार हैं। इस चौदह पंद्रह कैरट का क्या मतलब है। देश में जहां कहीं सोना है, उसको आप हासिल करो, छापे मार कर करों, पुलिस की दविश से करो। आर्डिनेंस से करो। लेकिन जो बेरोज़गार हो गए हैं, वे खुदकुशी न करें और उनको रोज़गार मिले, इसका प्रबन्ध तो आप करें। ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो वह गवर्नमेंट की इनएफिशेंसी है ।

आप देखें कि आज क्या सिस्टम चल रहा है। एक तरफ तो प्रोडक्शन कम हो गया है, दूसरी तरफ सरकार खर्च बढ़ाती जा रही है। मैं प्रताप सिंह कैरों साहब का बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने जंग होने के बाद अपनी कैबिनेट में कमी कर के दिखा दी, उन्होंने वजीरों की तादाद घटा दी। लेकिन उसी के साथ साथ कांग्रेस के ही एप्वाइंट किए हुए गवर्नर साहब ने अगले ही दिन यह आर्डिनेंस निकाल दिया कि एम० एल० एज़० जो हैं ये नौकरी कर सकते हैं, ये सरकारी आफिसिस को होल्ड कर सकते हैं जो कि कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। कोई एम० एल० ए०, कोई एम० एल० सी०, कोई मैम्बर पार्लिमेन्ट, राज्य सभा का या लोक सभा का, सरकारी सर्विस में जाए, यह अनुचित है। लेकिन कांग्रेस के ही एप्वांइंट किए हुए गवर्नर ने यह करके दिखा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आठ आदमी निकाले गए और उसके फलस्वरूप उनको एक एक हज़ार रुपया महीना घाटा हुआ, तो अगले ही दिन पंद्रह पंद्रह सौ महावार पर भेज दिया गया। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहियें।

सरकार चाहे तो मसले हल हो सकते हैं लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहती है । सरकार ४४ करोड़ लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसको बन्द किया जाए। ट्रस्टीशिप कायम होनी चाहिये। अगर एक चौथाई हम लोग अपना दें, तो इस में घाटा नहीं पड़ सकता है। इसकी जरूरत है । प्राइवेट सैक्टर और बब्लिक सैक्टर की बात भी की जाती है । आप ने पब्लिक सैक्टर को अधिक दिया है, यह खुशी की बात है। मैं ने उस दिन पार्लियामेंट में आंकड़े रखे थे कि आपने इस्पात के उत्पादन के लिये कोयले के उत्पादन के लिए भी प्राइवेट सैक्टर को थोड़ी बहुत मदद दी है। लेकिन आप रिजल्ट्स को देखें। प्राइवेट सैक्टर को जो दिया हुआ है, इस्पात के लिए उन्होंने तो चार लाख टन अधिक पैदा किया है और जहां आपने पब्लिक सैक्टर को काम सौंपा है, वहां उन्होंने चालीस हजार टन कम पैदा किया है। इसलिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ट्रस्टीशिप को कायम आप करें, किसानों और मजदूरों को मौका दें। दिल्ली में एक शख्स अगर डेढ़ रुपया रोज कमाता है तो इस डेढ़ रुपये में अपना

[श्री यशपाल सिंह]

तथा अपने बच्चों का गुजर कैसे कर सकता है, इसको आप देखें। किसी भी शख्स की तनख्वाह अगर सौ या सवा सौ महवार से कम है तो उसे आपको बढ़ाना होगा। इस हिसाब को आपको छोड़ना होगा कि कोई शक्स बड़ा है, छोटा है, नीचा है, ऊंचा है, इसकी इनकम कम है या ज्यादा है। सच्चा समाजवाद गांधी जी के ट्रस्टीशिप से ही आएगा।

यह भी कहा जाता है कि हमारी पार्टी राजा महाराजाओं की पार्टी है। एक महारानी गायत्री देवी के आने से हमारी पार्टी तो राजाओं महाराजाओं की पार्टी हो गई, अमीरों की पार्टी हो गई लेकिन उस तरफ चौदह राजे महाराजे, हिज़ हाईनेस बैठे हुए हैं, वह पार्टी राजाओं महाराजाओं और अमीरों की नहीं हुई। सत्तर एम० एल० एज०, सत्तर हिज़ हाईनैस डिफ़ेंट स्टेट्स में हैं, इस पार्टी के, लेकिन फिर भी वह अमीरों की या राजा महाराजाओं की पार्टी नहीं बनती है।

अध्यक्ष महोदय : यह हो सकता है कि एक का बोझ दौलत का इतना ज्यादा हो कि बाकी सब का न हो।

श्री यशपाल सिंह : ये तो उन से भी बड़े बड़े लोग हैं। और वह तो इन्हीं के सताए हुए हैं, इन्हीं के बनाये हुए गवर्नर थे और चूंकि इन्होंने सताया इसलिए इधर आ कर बैठ गए। कोई खास बात नहीं हुई।

मैं सात सौ करोड़ रुपया मंत्री जी को दे कर जाता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ जिस निर्भीकता के साथ, जिस निडरता के साथ उन्होंने आज तक देश की बागडोर सम्भाली है, उसी तरह से आगे भी इसको सम्भाले रखें, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जहां तक देश के निर्माण का सम्बन्ध है, हम उनके साथ हैं, हां जहां तक खुदकुशी से मौतें होने का सम्बन्ध है, उसका पाप उन्हीं लोगों को भोगना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि ट्रस्टीशिप कायम हो और सात सौ करोड़ की जो मांग पेश की गई है, इसको मंजूर किया जाए।

†**श्री मलाइद्वामी** (पेरियाकुलम) : हमें अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत बनाना है और अपना आर्थिक विकास करना है। इस दृष्टि से प्रस्तुत बजट अत्यन्त सुव्यवस्थित है।

पंचवर्षीय योजनाओं, का ध्येय राष्ट्र का सर्वतोमुखी विकास है। बजट में स्पष्टरूप से दिखाया है कि किस प्रकार हम चीनी आक्रमण का सामना करने के लिये तैयारी करेंगे।

हर्ष की बात है कि निर्यात स्थिति में सुधार हुआ है और विदेशी मुद्राकी स्थिति भी कुछ सुधरी है। वित्त मंत्री ने चाय की निर्यात शुल्क में कुछ कमी की है। और नई विदेशी मंडियां प्राप्त करने के लिये भी प्रयास किया जा रहा है।

कपड़े के उत्पादन मूल्य में कमी की जानी चाहिये क्योंकि अभी हम विदेशी मंडियों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये निर्यात पर, आय कर और अधिलाभ कर की कुछ छट दी गई है। देशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये कई प्रकार की आयात शुल्क लगा

---

†मूल अंग्रेजी में

दी गई हैं। हर्ष की बात है कि प्रगतिशील राष्ट्रों में भी हमारी मशीनें सफलता पूर्वक प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

विदेश में जाने पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। कृषि के विकास का भी प्रयास किया जा रहा है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिये अन्न का आयात बंद किया जाना चाहिये।

विद्यमान भू-राजस्व की पद्धति समाप्त करके कृषि आय कर की पद्धति लागू की जानी चाहिये जो कि अलाभप्रद भूमि पर नहीं लगाया जाये। उन्हें अधिक लाभ प्रद बनाने के लिये अतिरिक्त विनिधान की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। अलाभप्रद भूमियों पर बागवानी भी की जा सकती है। छोटी इलाइची से काफ़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। इसके लिये पूंजी का प्रबन्ध किया जावे।

वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इससे देश की मंडी में स्थिरता आई है। तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इससे देश के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी।

बचत को प्रोत्साहित करने के लिये डाक घर बचत बैंक में जमा की गई राशि, भविष्य निधि और बीमा राशि पर आय कर और अधिकर पर कुछ छूट दी गई है।

सारांशतः बजट में आर्थिक विकास और प्रतिरक्षा प्रयत्नों का पूरा खाका खींच दिया गया है।

†**श्री अन्सार हरवानी** (बिसौली) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, १५ वर्षों में यहां ५ वित्त मंत्री आये हैं, सब में वर्तमान् वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई सबसे अधिक महान और प्रगतिवादी हैं।

१९३७ में बम्बई के राजस्वमंत्री बनने के बाद श्री देसाई ने महत्वपूर्ण भूमि सुधार लागू किये। १९४६ में जब सारे देश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे तब आप बम्बई के मुख्य मंत्री थे। उस समय आपने समस्त गुंडों को जेल में डाल कर अपने प्रान्त में शांति और सुरक्षा बनाये रखी। इसलिये जब वह वित्त मंत्री बन कर हमारे सामने आये तब हमें हर्ष था कि अब वह देश से तस्करी इत्यादि को दूर कर सकेंगे। किन्तु अभी तक वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सके हैं। अब भी यहां चोरी-छिपे लाई गई सिगरेटें और ह्विस्की बड़ी मात्रा में बेची जाती हैं। हाल ही में जारी किये गये स्वर्ण नियंत्रण आदेश पर मैं बधाई देता हूं, किन्तु मैं चाहता हूं कि हमें यह बतलाया जाये कि अब तक कितने जमा किये हुए सोने की घोषणा की जा चुकी है। क्या राजाओं ने और उन व्यक्तियों ने जिनके पास करोड़ों रुपयों का सोना है कोई घोषणा की है ?

मैं समाजवाद में विश्वास करता हूं। जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण न हो जाये तब तक हम समाजवाद की ओर नहीं बढ़ सकते। रक्षित बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री आयंगर ने कहा था कि भारतीय बैंकों में शक्ति अधिकतर केन्द्रित है। यहां की लगभग प्रत्येक औद्योगिक संस्था के नियंत्रण में कोई न कोई बैंक है। उदाहरणार्थ सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया लि० टाटा, खताऊ और मफतलाल के और पंजाब नेशनल बैंक डालमिया जैन के नियंत्रण में हैं।

रक्षित बैंक के निदेशों के बावजूद भी यह लोग जाली प्रतिभूतियों पर अपने नातेदारों को अत्याधिक धन उपलब्ध करते रहे हैं इसलिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अन्सार हरवानी]

न्यू एशियाटिक कम्पनी की ओर एक विरोधी दल के सदस्य ने निर्देश किया परन्तु वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया। सभी पक्षों द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी इस के बारे में प्रतिवेदन को सभा पटल पर नहीं रखा गया। इस समवाय के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि एल० एन० बिडला बहुत सी अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिन में बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं को जेलों में भेज दिया गया परन्तु श्री एल० एन० बिड़ला के विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की जाती? देश में व्यापक शंकाओं को दूर करने के लिये इस के विरुद्ध कर अपवंचन, बीमा, आदि के मामलों में कार्यवाही की जानी चाहिये।

न्यू एशियाटिक कम्पनी के बारे में यहां जो चर्चा हुई उसको "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि यह बिड़ला का पत्र है हालांकि अन्य भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में इस पत्र में खबरें छपती रही हैं। इन एकाधिपतियों द्वारा प्रेस का उपयोग भी अपने हितों के लिये किया जाता है। वह जिस प्रकार की चाहें सूचनायें प्रकाशित करते हैं। मैं दो पत्र आपके सामने पढ़ कर सुनाऊंगा . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह पत्र कैसे हैं?

†**श्री अंसार हरवानी** : यह पत्र विवियन बोस प्रतिवेदन में प्रकाशित हैं। मैं उस प्रतिवेदन में से उद्धरण दे रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर भी आप को उन्हें सभा पटल पर रखना पड़ेगा।

†**श्री अन्सार हरवानी** : यह प्रतिवेदन में प्रकाशित हैं। वरना मैं उन्हें सभा पटल पर रख दूंगा।

इन में से एक पत्र में समवाय के हित में अंशों की दरों को प्रकाशित करने के लिये कहा गया है, और दूसरे पत्र में कुछ अंशों को बाजार भाव से कम प्रकाशित करने के लिये कहा गया है। इस प्रकार यह लोग प्रैस की स्वतंत्रता को कायम नहीं रखते। हमारे देश में लोकतंत्र इन्हीं लोगों के हाथो में है। अतः श्री मोरारजी की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार इस एकाधिकार को देश से समाप्त करते हैं। मेरा अनुरोध है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, एकाधिपतियों को समाप्त किया जाय और बिड़ला के मामलों की भी पूरी पूरी जांच की जाय।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, आज फाइनेस मिनिस्ट्री की डिमांड्स हाउस के सामने पेश हैं और इनकी चर्चा करते वक्त स्वाभाविक रुप से श्री मुरार जी देसाई का चित्र आखों के सामने आ जाता है। श्री मोरार जी देसाई का नाम बम्बई में भी मैंने सुना हुआ है और केन्द्र में भी हम अब उनका नाम सुन रहे हैं। मैं उन की सेवा में एक कबि ने जो कुछ कहा है वह सुना देना चाहता हूं :—

"तुम जब पैदा हूए सब हंसे, तुम रोये,
करना ऐसा कीजिये, तुम हंसे सब रोये, ।"

कविका कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है पुत्र पैदा होता है तो सब लोग हंसते हैं और बच्चा रोता है। लेकिन मरते वक्त ऐसा करना चाहिये ऐसी करनी कर के जाना चाहिए कि दुनिया से

†मूल अंग्रेजी में

खुद आप तो हंसते हंसते जाय और तमाम दुनिया रोये कि हमारे श्री मुरार जी भाई चले गये । इस तरह की बातें होनी चाहिएं । हमारे वित्त मंत्री महोदय को कवि ने जो आदर्श सामने रक्खा है उसका पालन करना चाहिए ।

श्री मुरार जी के जिद्दी स्वभाव से कौन परिचित नहीं है ? बम्बई में जब वे प्राहिबिशन का क़ानून लाये तो वहां के लोगों ने कई दफ़े कहा कि यह प्राहिबिशन का क़ानून ठीक नहीं है लेकिन वे अपनी ज़िद पर अड़े रहे और ऐडेमेंटली और औब्सिटिनेटली उसको क़ायम रक्खा । जब तक वे वहां पर रहे तब तो उस पर ठीक अमल होता रहा लेकिन वहां से दिल्ली चले जाने के बाद प्राहिबिशन पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है । यहां केन्द्र में आकर उन्होंने गोल्ड कंट्रोल आर्डर पास किया । लोग बराबर श्री मोरारजी से कहते रहे हैं कि यह उचित नहीं है और इस से हजारों और लाखों सुनार बेकार हो रहे हैं लेकिन उन पर कोई असर होता नहीं मालूम देता है और चूंकि यह मुरार जी भाई का क़ानून है इसलिए इस से पीछे क़दम नहीं हटाया जायगा । श्री मुरारजी इस क़ानून से पीछे जाने वाले नहीं हैं । वह सोशलिस्टिक पैट्रन आफ़ सोसाइटी क़ायम करने और महात्मा जी का नाम लेकर यह सब करते हैं लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय से जोकि मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस गोल्ड के क़ानून को लेकर आत्महत्याएं हो रही हैं और उस के कारण बहुत लोगों को अड़चन पैदा हो रही है और उनका उद्देश्य अच्छा होते हुए भी वह सफलीभूत नहीं हो रहा है । वह ऐसा तो चाहते ही होंगे कि गोल्ड कंट्रोल आर्डर को लेकर सुनार द्वारा जो होहला हो रहा है वह कम हो जाय । लेकिन चाहते हैं वैसा करते नहीं ।

आज सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी का ढांचा कायम करने की बात कही जाती है । समाजवाद समाज की रचना का उल्लेख किया जाता है ।

मैं बतलाना चाहता हूं कि आज भारत वर्ष में जो ढेर सारे टैक्सेज़ हैं, सेल्स टैक्स, इनकम-टैक्स और अन्य नये नये टैक्सेज जो लगाये जाते हैं लेकिन यह भी हक़ीकत है कि जितना करप्शन अब चलता है उतना करप्शन पहले कभी नहीं था । गोल्ड कंट्रोल आर्डर भी लागू कर दिया गया है । देश में हम देखते हैं कि काफ़ी बेकारी फैल रही है और क्या बेकारी को या करप्शन, क्या सभी प्रकार के दुर्गुण उत्पन्न हो गये हैं । इन्हीं के साथ शासन में काफ़ी ऐक्सट्रावैगेंस आ गयी है । शासन के लोग मौज़ मजा उड़ाते हैं और पबलिक के पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है । लोग ऐसी आलोचना करते हैं कि जिस देश में लाखों लोगों को भरपेट खाना नसीब न होता हो वहां शासन इस तरह से फिजूल खर्ची करे यह कहां तक उचित और न्यायसंगत है ? सब जबाव देही फ़ाइनस मिनिस्टर पर आती है । फाइनैंस मिनिस्टर के नाते उनको देखना चाहिये कि जहां जहां पैसा जाता है वह भली प्रकार खर्च होता है या नहीं और वह कहीं वैस्ट तो नहीं हो रहा है ।

मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान पेंशन केसेज़ की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं । पैंशन केसेज़ काफ़ी पैंडिंग पड़े हुए हैं और उन पैंडिंग केसेज़ को अभी तक निकाला नहीं गया है । इस बारे में मैं हाउस का ध्यान आठवीं आडिट रिपोर्ट के पेज ४३ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जिस में यह लिखा हुआ है :—

> "वर्ष १९६१-६२ में ५९ प्रतिशत मामले सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्राप्त हुए और ३६७ सेवा निवृत्ति के एक वर्ष पश्चात् प्राप्त हुए । १दिसम्बर, १९६१ को सेवानिवृति के ३ मास पश्चात् भी ५२८ मामलों में पत्र व्यवहार हो रहा था ।
>
> शेष भविष्य निधि के भुगतान के बारे में प्रशासन द्वारा आवश्यक जानकारी ही उपलब्ध नहीं की गई थी । वर्ष १९६०-६१ में १७०० दावों में से ३ से

[श्री अन्सार हरवानी]

६ मास में केवल २६७ मामलों में सूचना अथवा जानकारी उपलब्ध की गई है"।

१७०० केसेज़ में से केवल २६७ केसेज की इनफ़ारमेशन आई है । बाक़ी सब केसेज़ पैंडिंग पड़े हुए हैं। इस तरह से यदि काम चलता है तो वह सर्वथा असन्तोषजनक ही कहा जायगा । अगर कर्मचारियों में असन्तोष होगा तो ज़ाहिर है कि काम एफिशिएंटली नहीं हो सकेगा ।

दूसरे मेरा कहना है कि स्टेटस से ओवरड्राफ्ट्स से धन लिये जाते हैं। यह इसलिये होता है क्योंकि ख़र्चे ज्यादा शो किये जाते हैं। सेंटर की तरफ से जो पेमेंट दिया जाता है उस के बारे में कंट्रोल नहीं किया जाता है । डिमांड्स ऐंड ग्रान्ट्स में पेज १३५ पर बतलाया गया है कि ओवर ड्राफ्ट् पेमेंट कितना किया जाता है उस में लिखा हुआ है :—

"विकास संबंधी व्यय के बढ़ने से राज्यों के साधन व्यय के अनुसार नहीं थे जिस के परिणामस्वरुप उन्हें रक्षित बैंक से अधिविकर्ष किया गया। इस अधिविकर्ष को निबटाने के लिये ७८ करोड़ रुपये में से ४४ करोड़ रुपये राज्यों द्वारा चालू वर्ष में दिये जायेंगे और शेष को तदर्थ ग्रहण मान लिया गया है जिसे योजना के शेष ३ वर्षों में प्राप्त किया जायगा ।"

यह जो ओवर ड्राफ्टिंग मध्यप्रदेश राज्य और अन्य स्टेटों में होती है उस पर सैंटर उचित कंट्रोल रक्खे जो कि अभी नहीं रक्खा जाता है और अधां धुंध खर्चा करते चले जाते हैं और चूंकि उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है तो उसका दुखद परिणाम केन्द्र को भुगतना पड़ता है।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ऐड दी जाती है उस के बारे में कंट्रोल नहीं किया जाता है और होता यह है कि जो ऐड स्टेट्स को दी जाती है वह स्टेट्स में बराबर खर्च नहीं होती है और वहां पर उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है।

हमारे यहां एक बड़ी योजना है, नोराड की योजना, जिस पर कि ६ साल तक ९ लाख रुपया खर्च करने के बाद अब कहते हैं कि **दिस स्कीम इज नौट फीजेबल** ।

अब वह स्कीम फीजेबल क्यों नहीं है कहते हैं कि कलकत्ते में लेबोटरी में जांच से पता लगा है कि वह पत्थर १५ साल में पिघल जायगा । इस वास्ते यह योजना छोड़ देनी चाहिए। ९ लाख रुपया खर्च करने के बाद उसको जो छोड़ा जा रहा है तो कितना पबलिक का पैसा खर्च हुआ और बकार गया इसके इसलिये फ़ाइनैंस मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिये ।

इस में पेज १२९ पर लिखा है :—

"पुनरीक्षित प्राक्कलनों में जो बचत हुई है, वह अंशतः मंद गति से हुई प्रगति के कारण है और अंशतः इस कारण कि आपात की दृष्टि से कम उपबन्ध किया गया था ताकि मितव्ययिता हो सके ।"

यह जो कारण दिया गया है, यह कारण नहीं है। दरअस्ल में होता यह है कि केन्द्र से जो मदद मिलती है, उस का वहां बराबर इस्तेमाल नहीं होता है। बराबर काम नहीं होता है। साथ ही साथ केन्द्र का कोई उस पर कंट्रोल नहीं होता है, कोई इंस्पैक्शन नहीं होता है। वहां पर पार्टियों में आपस में लड़ाई होती है। एक कहती है कि इस क्षेत्र में होनी चाहिये, दूसरी कहती है इस क्षेत्र में होनी चाहिये । इस तरह से पैसे का वेस्टेज होता है :

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब में पब्लिक डेट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारी जो नेशनल इनकम है वह ४६ परसेंट बढ़ी है जबकि हमारा जो कर्जा है वह १६० परसेंट बढ़ा है। कर्जे की राशि २७७३ करोड़ से बढ़ कर ७४०२ रुपये करोड़ हो गई है। इस कर्जे का रिपेमैंट किस प्रकार होगा इस का कोई भी संकेत नहीं मिलता है। आपकी रिपोर्ट को पढ़ने से भी इस के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। जनता कहती है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने भारत को गिरवी रख दिया है, देश का दिवाला निकाल दिया है। यह सही भी हो सकता है। फिगर्ज आपके सामने हैं। २७७३ करोड़ कर्जा था जो बढ़ कर ७४०२ करोड़ हो गया है। ४६ परसेंट (प्रतिशत) नेशनल इनकम में वृद्धि हुई है और १६० प्रतिशत टाइम्ज कर्जे में, थानी कर्जा थ्री टाइम्स (तीन गुना) ज्यादा हो गया है। कहां से इस को आप अदा करेंगे, इस पर रोशनी डाली जाए। अगर आप बिजिनेस करते होते तो आप को पता चलता कि किस तरह से कर्जे की अदायगी होती है और किस तरह से कर्जा लिया जाना चाहिये। कर्जे का सूद और कर्जा देने के लिए और जो कर्जा लेना पड़ता है तो और भी मर्चेन्ट ऐसा करता है, वह इंसालवट समझा जाता है।

"यह साक्ष्य दिवालिया न्यायालयों में दिया जाता है।"

जो कर्जा है वह बिना और कर्जा लिए हुए अदा हो सकता है, क्या इस तरह की स्थिति आज भारत की है? क्या हम कर्जा अदा करने की स्थिति में है और क्या वह आसानी से अदा किया जा सकता है, यह सवाल है जो कि में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

"भारत का बढ़ता हुआ लोक ऋण" जो भूतपूर्व संघ वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री और प्रमुख बैंकर और उद्योगपति, श्री जी० एच० भावा ने लिखी।"

पैम्फलेट जो निकला है, इसमें उन्हों ने पूरी पिक्चर हमारे सामने रखी है। उस से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार ने कर्ज लेते वक्त किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है और कर्ज लेती चली गई है। सरकार कहती है कि उस ने डिवलेपमैंट वर्क्स के लिए ये कर्ज लिए हैं, इंडस्ट्रीज के वास्ते ये कर्ज लिये हैं। लेकिन में पूछना चाहती हूं कि जितनी भी इन कर्जों को ले कर प्रोग्रेस बताई जाती है वह प्रोग्रेस क्या हमारी है। वह तो सब कर्जों से बनी हुई प्रोग्रेस है। जो डिमांड्स आप ने रखी है, उन से पता नहीं चलता है, उन से इस मसले पर कोई रोशनी नहीं पड़ती है कि किस तरह से इन की अदायगी होगी। उन्हों ने पैम्फलेट में क्या लिखा है,

"दस वर्ष में लगभग ४६ प्रतिशत राष्ट्रीय बढ़ी, परन्तु लोक ऋण २७७८ करोड़ से बढ़ कर ७४०२ करोड़ हो गया। दूसरे शब्दों में आय से ऋण तीन गुना हो गया। अतः यह बहुत शोचनीय अवस्था है। राष्ट्रीय उत्पादन के मुकाबले में राष्ट्रीय ऋण का इस प्रगति से बढ़ना अनुचित है।"

मैं समझता हूं कि पार्लियामैंट का मैम्बर होने के नाते शासन जो कर्जा लेता है, उस के बारे में मैं भी चिन्ता प्रकट करूं और पता लगाने की कोशिश करूं कि किस तरह से इन की अदायगी होगी। दो तीन सौ करोड़ रुपये के और कर्ज लेने की इच्छा व्यक्त की जा रही है। मैं जानना चाहूंगा कि इन कर्जों की अदायगी की क्या व्यवस्था आप ने की है।

अब में फजूलखर्चे के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। यह एक्सपेंसिस में फिजूल खर्ची के बारे में है। पी० ए० सी० ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में इस का जिक्र किया है। उस ने बताया है कि मोटरों पर कितना खर्च होता है। इस पर उन्होंने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता है और वह रिपोर्ट लाइब्रेरी की धूल चाटती फिरती है। शासन समझता है कि जो लोग चिल्लाते है वे तो चिल्लाते रहेंगे, तुम अपना काम करते चलो।

[श्री अन्सार हरवानी]

हाथी हर एक कुत्ते के पीछे लगे तो वह अपने डेस्टीनेशन पर नहीं पहुंच सकता है। ऐसा शासन से कुछ व्यक्ति कहते हैं। अपोजीशन वाले कुछ भी कहें, शासन को अपना काम करते जाना चाहिये, ऐसा उस का विचार है। पी० ए० सी० ने जो कुछ अपनी रिपोर्ट में कहा है, उस को में आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उस ने कहा है :—

"विशेषकर आपातकाल में फिजूलखर्ची अत्यन्त खेदजनक है। देश की प्रगति में बाधा डाले बिना काफी मितव्ययिता हो सकती है। इसलिये यह सुझाव दिया जाता है कि मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाय जो फिजूलखर्ची कम करने और मितव्ययिता लाने संबंधी उपाय ढूंढ़ सके।"

उन्होंने एक इंस्टेंस कोट किया है।

"व्यय में किस प्रकार मितव्ययिता हो सकती है इस बारे में समिति ने अपने प्रतिवेदनों में संकेत किये है। उदाहरणार्थ सेविवर्ग कार्य पर अत्याधिक व्यय हुआ।"

उन्होंने कहा है कि १७,२५,७७१ रुपया १९६०–६१ में स्टाफ मोटरों पर खर्च हुआ था। इस की डिटेल्स उस ने ऐपडिक्स तीन में दी हुई है, कौन कौन मिनिस्ट्री इन पर कितना कितना खर्च कर रही है। उसने यह भी कहा है :—

"उक्त विशेषज्ञ समिति व्यय कम करने संबंधी सुझाव दे।"

यह जो चीज है इस की तरफ भी आप का ध्यान जाना चाहिये। इस ने जो खर्चा को कम करने की सिफारिश की है, वह खर्च कम करने की आप की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई है और न ही जो पी० ए० सी० ने कहा है, उस को आप ने कार्यान्वित किया है।

इस एमरजेंसी में तो इकानामी की तरफ आप का खास तौर से ध्यान जाना चाहिये। लेकिन यह जो एमरजेंसी पीरियड है, यह या तो अपोजीशन वालों के लिए है या दूकानदारों के लिए घासलेट के लिए है, लेकिन जो आर्डिनेन्स वगैरह निकलते हैं, उन के लिए नहीं है। शासन का खर्चा कम नहीं हुआ है क्योंकि इन्हों ने

श्री ओंकार लाल बेरवा : (कोटा) : इस एमरजेंसी पीरियड में ज्यादा भत्ते आदि लोगों के बनते हैं।

श्री बड़े : कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो ज्यादा स्टाफ कार्ज पर खर्च करते हैं, इसको आप देखें।

"समिति महसूस करती है कि व्यय में कमी की जा सकती है। जैसे स्टाफ कारों पर कुल व्यय वर्ष १९६०–६१ में १७,२५,७७१ हुआ। वाणिज्य तथा उद्योग, खाद्य तथा कृषि और अन्य मंत्रालयों ने अलग अलग १,१ लाख रुपया इस मद पर व्यय किया।"

यह जो ऐक्सट्रेवेगेट खर्च है, इस को इस एमरजसी में तो खत्म किया जाय।

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का बजट पर जितना कंट्रोल होना चाहिये और जैसा होना चाहिये, वह नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट के खर्च डिटेल्ज उन के पास आती हैं। उन को देखना चाहये कि लास्ट यीअर में सेविंग्ज क्यों दिखाई गई है। इस तरह की चीजों पर तथा मार्च के महीने में जो अंधाधुंध खर्चा होता है, उस पर उन का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे मुल्कों में देखा गया है कि पिछले साल का कितना खर्चा था, आगे की स्कीम्ज क्या है, पिछले साल जो दिया गया था, वह खर्च क्यों नहीं किया गया है, जो खर्चा उस साल के लिए किया जाना है, उस में कितनी कमी की गुंजाइश है, आगे के लिए कितने टैक्स लग, जो धन एमाउन्ट सरेंडर किया जाता है, वह मार्च में क्यों किया जाता है,

इस पर नजर रखी जाती है, कंट्रोल रखा जाता है। ये जो सब चीजें हैं इन पर फाइनेंस मिनिस्टर का जितना कंट्रोल होना चाहिये, नहीं है। इस तरफ भी उन का ध्यान जाना चाहिये।

यह भी देखा गया है कि कांग्रेस की जितनी संस्थायें चलती हैं, उन की तरफ हमारे वित्त मंत्री जी का जो दृष्टिकोण रहता है वह कुछ नर्म रहता है। भारत सेवक समाज से अभी तक ३२.२८ लाख रुपये लेने बाकी हैं। इस का जिक्र आडिट रिपोर्ट के पैरा ५५ में किया गया है कि इतना अधिक रुपया उस की तरफ बकाया होते हुए भी इस को वसूल नहीं किया गया है। पी० ए० सी० ने सवाल पूछा है कि इस को आप कैसे वसूल करेंगे।

श्री ओंकार लाल बेरवा : : वह भाई बंधुओं की संस्था है।

श्री बड़े : मैं जानना चाहता हूं कि इतना ज्यादा रुपया उस को कैसे दे दिया गया है और कहां से इस की वसूली होगी। इस तरह की चीजों पर, हमारे एक्सचैकर पर जिस प्रकार का उन का कंट्रोल होना चाहिये, वह कंट्रोल नहीं है, इस की ओर भी आप ध्यान दें।

इस वास्ते इमर्जेन्सी पीरियड में हमारे देश की जनता जो यह कहती है कि जनता तो जागी हुई है, लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब सोये हुए हैं। यह सच मालूम होता है। मैं ने जो आलोचना की है वह इस विश्वास से की है कि जो डिफैक्ट्स हैं उनपर हमारे मिनिस्टर महोदय ध्यान देंगे और उन को सुधारेंगे ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके। आज देश के अन्दर सोशलिस्ट पैटर्न के बारे में एक अविश्वास पैदा हो गया है। आज जो टैक्सेज हैं गोल्ड कंट्रोल है, इल्लिसिटका डिस्टिलेशन करप्शन (घूसखोरी) सब इस का मतलब हो गया है कांग्रेस का शासन। आज इस तरह से उस की बदनामी हो गई है। उस बदनामी को ठीक करने की कोशिश की जाय इसलिये मैंने टीका की है।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** (रत्नगिरि) वित्त मंत्री हमारी राष्ट्रीय वित्तीय नीतियों तथा कार्यक्रमों के कर्णधार है और उन्हों ने जिस सूझ बूझ का प्रमाण दिया है उस के लिये वह बधाई के पात्र हैं। ऐस अत्यावश्यक मामलों में आलोचना होना स्वाभाविक ही है।

राष्ट्रीय उत्पादन में और नौकरियां उपलब्ध करने संबंधी स्थिति में गत कुछ वर्षों में सुधार हुआ है और प्रतिरक्षा उत्पादन और आर्थिक विकास के लिये चुनौती का सामना करने के लिय अधिक सतर्कता की आवश्यकता है।

अधिलाभ कर और मिट्टी के तेल पर कर में जो रूपभेद किये गये हैं उन का में स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि स्वर्णनियंत्रण आदेश के अच्छे परिणाम निकलेंगे और इस से तस्कर व्यापार में कमी होगी।

परन्तु देश विनियोजन की प्रतिशतता में वृद्धि लाने के लिये हमें अपनी मुद्रा संबंधी नीति में परिवर्तन लाना होगा। उत्पादन क्रिया को बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि धन और बचतों को स्वर्ण और भूमि में न लगा कर उसे उपयोगी धंधों में लगाया जाय।]

लोग कर से बचने के लिये सम्पत्ति खरीद लेते हैं जिस पर २० प्रतिशत तक लाभ मिल जाता है, विशेषकर, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में। जो किराया वह वसूल करते हैं उस को कागजात में ठीक ठीक नहीं दिखाया जाता। और दूसरे जब तक कोई अपनी सम्पत्ति को बेचे नहीं तब तक पूंजी पर लाभ कर नहीं लग सकता। इस प्रकार लोग उस कर से बच जाते है। और साथ ही साथ धन अनुपयोगी धंधों में लगाया जाता है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें ताकि लोग सम्पत्ति पर धन न लगा सकें। श्री निकोला काल्डोर ने "फारेन एफेयर्स मैगजीन" में बताया है कि किस प्रकार अल्प-विकसित देशों में सम्पत्ति पर धन विनियोजन की प्रवृत्ति पाई जाती है।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्रीमती शारदा मुकर्जी]

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हमारे देश में औद्योगिक विनियोजन के लिये पूंजी की कमी है। इस का एक कारण यह भी है कि छोटे छोटे स्थानों में बैंकिंग सुविधायें और विनियोजन सम्बन्धी मंत्रणादाता अभिकरणों की भी कमी है। परन्तु यदि हमें प्रगति करनी है तो छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिये आवश्यक निधियां और परामर्श उपलब्ध किये जायें। बैंक कर्मचारियों को अधिक सहानुभूतिपूर्ण ढंग से और जनता की आवश्यकताओं के अनुसार काम करना होगा।

रक्षित बैंक ने बताया है कि वर्ष १९६०-६१ में २६३६ छोटे उद्योगों को ८.८५ करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया गया, और वर्ष १९६१-६२ में यह ऋण बढ़ कर ६.३८ करोड़ हो गया। इसी प्रकार गैर-सरकारी समवायों को वर्ष १९६१ में ८८.७ करोड़ रुपया अंशों आदि के रूप में प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटे विनियोजक को पूंजी तो उपलब्ध है परन्तु वह नहीं जानता कि उस धन का किस प्रकार विनियोग किया जाय। यदि बैंक और सरकार इस बारे में परामर्श दें तो पूंजी का उत्पादन क्रियाओं में उपयोग किया जा सकता है।

अब मैं जीवन बीमा निगम की चर्चा करूंगी। मुझे सूचित किया गया है कि अभिकर्ताओं की वार्षिक वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वह एक निश्चित काल में एक लाख की जीवन बीमा पालिसियां प्राप्त करे। नगरों में तो यह सम्भव है क्योंकि वहां बड़ी बड़ी आय वाले लोग होते हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी पालिसियां प्राप्त करना सम्भव नहीं है। अतः इस नियम में संशोधन किया जाना चाहिये। संशोधन इस प्रकार होना चाहिये कि सभी क्षेत्रों के लिये पालिसियों की संख्या समान न हो, और प्राप्त पालिसियों को न देख कर एक अभिकर्त्ता के गुणों और सेवा काल को आधार माना जाय।

अभिकर्त्ताओं की सेवायें जारी रहनी चाहिएं क्योंकि जैसा कि प्राक्कलन समिति ने बताया है कि इस के परिणामस्वरूप बहुत सी पालिसियां व्यपगत हो जाती हैं।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : महिलाओं को बोलने का समय मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आंध्र से एक लेडी बोल चुकी हैं।

श्री बालगोविन्द वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी का कार्य बड़ा कठिन है और उनके लिए सब को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। सब का निशाना उनकी ओर होता है। इस समय, जब कि देश में एक आपातकालीन स्थिति है, हमें उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक योग देना चाहिये ; लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को परेशान किए हुए हैं, उनको में उनके सामने रखना चाहता हूं। मुझे आशा है कि वह उन बातों पर सहानुभूति के साथ विचार करेंगे और जो भी सहायता वह अपनी तरफ से दे सकते हैं देने की कृपा करेंगे।

एक तरफ किसानों से कहा जाता है कि वे उत्पाद बढ़ाएं, लेकिन दूसरी तरफ जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिएं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे उनको नहीं मिल पा रही हैं। यह जो टैक्सेज़ इधर बढ़े हैं उनका असर किसानों पर काफी पड़ा है। डीजल, केरोसिन और ट्रेक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स के दाम बहुत बढ़ गये हैं। इस कारण किसान जितना योग देना चाहते हैं नहीं दे पा रहे हैं और जितनी दिलचस्पी उत्पादन बढ़ाने में लेना चाहते हैं उतनी नहीं ले पा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में, लखीमपुर खेरी में, बहुत से अच्छे अच्छे फार्म हैं और हमारा जिला सरप्लस रहा है। लेकिन इधर मुझे घूमने का अवकाश मिला तो मालूम होता है कि कम से कम

जो मिडिल क्लास के लोगों के ट्रेक्टर हैं वे तो खड़े हो जायेंगे। डीज़ल के दामों में जो वृद्धि हुई है उसके कारण वे अपने ट्रेक्टरों को चालू नहीं रख सकेंगे। मुझे बताया गया कि १९५० में डीजल का दाम जहां एक रुपया बीस नए पैसे था वह अब चार रुपये के करीब हो गया है। मोबिल-अइल का अजीब हाल है। तीन साल पहले उसका दाम पांच और ६ रुपये के बीच था, अब उस क्षेत्र में उसका दाम १५ रुपया प्रति गैलन है और उतने पर भी उपलब्ध नहीं है। मुझे आशा है कि इस ओर सरकार ध्यान देगी। इसमें रिलीफ मिलना आवश्यक है। बिना इसके कोई काम चलने वाला नहीं है।

जहां तक मुझे मालूम है सैकिंड वर्ल्ड वार में अमरीका में भी इस बात की जरूरत महसूस हुई थी कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाए और इस सम्बन्ध में किसानों को इंसेंटिव देने के लिए तेल और दूसरी चीजों में ३३ फीसदी की सबसिडी दी गई थी। आज हमारे देश में भी वही परिस्थिति है और सरकार को इस लहजे में सोचना चाहिये।

ट्रैक्टर्स के स्पेर पार्ट्स की बहुत बड़ी कहानी है। डीलर्स उनका बहुत ज्यादा दाम चार्ज करते हैं। इसलिये अधिक क्षेत्र में उत्पादन करना किसान को सम्भव नहीं मालूम देता। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और देखना चाहिये कि किसानों को ठीक दाम पर ट्रैक्टर्स से स्पेयर पार्ट्स मिल जाएं। खेती की उपज की कौस्ट का जहां तक सवाल है वह बहुत ही ज्यादा है। गेहूं की काश्त के बारे में मेरे पास काफ़ी लोगों ने पत्र भेजे हैं जिसमें उन्होंने सारी ऐनालिसिस कर के भेजा है कि गेहूं की खेती करने में पर एकड़ कितना खर्च होता है। वह ऐनालिसिस ठीक भी मालूम देती है। गेहूं की फसल से एफिशिएन्ट फारमर्स को सारा खर्चा निकाल लेने के बाद २२ रुपये प्रति एकड़ की आय होती है। अब कितने ऐसे किसान हैं जिनके कि पास इतनी काफ़ी खेती है कि जिससे उनको इतना रुपया मिल जाय कि उन का साल भर का खर्चा चलता चला जाय? इस तरह से तो छोटे किसानों का तो खर्चा भी पूरा न होता होगा। इसलिये इधर ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि किसानों को उनकी एग्रीक्लचरल प्रोड्यूस के पैदा करने में जो खर्च करना पड़ता है, वह पूरा हो कर उसे उचित आमदनी हो सके। इसके लिए आवश्यकता है कि किसानों को तमाम आवश्यक सुविधाएं व प्रोत्साहन दिये जांय। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक खती में उन्नात होगी यह केवल कल्पना की ही बात है।

मुझे इस के बाद वित्त मंत्री महोदय के समक्ष कुछ और भी बातें प्रस्तुत करनी हैं। मेरे अपने क्षेत्र में सरकार ने जो स्माल आयल ऐक्सपैलर्स पर काफ़ी ऐक्साइज़ ड्यूटो बांधी हुई है उसको लेकर उनकी बड़ी शिकायत है। मुझे यह बतलाया गया है कि उन से जो तेल निकलता है वह कोल्हुओं से जो तेल निकलता है, उसी के बराबर होता है। मैं समझता हूं कि यदि ऐसी बात है जो तो वित्त मंत्री महोदय को इस बारे में ज़रा ध्यान देना चाहिये। उनको ऐक्साइज़ ड्यूटी में कुछ छूट मिलना आवश्यक है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वे कोल्हू वालों से कम्पीट नहीं कर सकते हैं और उन्हें मजबूर हो कर वह कार्य छोड़ना पड़ेगा। जिससे कि उन्हें नुक़सान भी होगा। स्मॉल आयल ऐक्सपैलर्स और कोल्हुओं में अंतर केवल इतना ही है कि वह जहां पावर से चलते हैं वहां ये कोल्हू बैलों द्वारा चलाये जाते हैं। इसके अलावा जिन्होंने इन छोटे आयल ऐक्सपैलर्स में पैसा लगाया हुआ है वह कोई अच्छी हैसियत के लोग नहीं होते हैं और ये मिडिल मैन ही होते हैं। इसलिये इधर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और उन को कुछ राहत देने की आवश्यकता है ताकि वे अपना काम करते रह सक और वे उसे बंद करने पर मजबूर न हो जांय। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इन स्मॉल आयल ऐक्सपैलर्स को ऐक्साइज़ ड्यूटी के बर्डन से कुछ राहत देंगे।

[श्री बाल गोविन्द वर्मा]

वित्त मंत्री महोदय ने किरोसीन आयल पर से कुछ ड्यूटी हटाई है। जनता को उस से कुछ राहत मिली है और उसको इससे खुशी हुई है लेकिन साथ ही साथ अधिलाभ कर के बारे में जो रिआयतें और सहूलियतें दी जा रही हैं उससे आम जनता को कुछ निराशा भी अनुभव हुई है। बड़े आदमियों से यदि आप लेते हैं तो इससे उनको तो कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि वे चतुर लोग होते हैं और वे जानते हैं कि किस प्रकार से इस खर्चे को ऐडजस्ट करना चाहिए और कम से कम प्राफ़िट दिलाना चाहिये लेकिन ग़रीबों के साथ में ऐसी बात नहीं हो पाती है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर ऐक्सैस प्राफिट टैक्स पर जो सहूलियतें मिली हैं उन से जनता में कुछ निराशा सी है।

जहां तक कि टैक्सों के बोझ का प्रश्न है यह बोझ अधिकतर ग़रीबों के ऊपर ही पड़ता है। अमीर आदमी कभी भी इस बोझ के भागी नहीं बनते हैं। वे चतुराई और बुद्धिमत्ता से इस प्रकार से इस बोझ को ग़रीबों के ऊपर डाल देते हैं कि दूसरों को पता भी नहीं चल पाता है। केवल इनकमटैक्स और ऐक्सैस प्राफिट टैक्स, यही दो, एक ऐसी चीजें हैं और टैक्सेज़ हैं जो कि अमीरों को देने पड़ते हैं और इन में भी वे अपनी बुद्धिमानी व चतुराई से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी कम से कम यह ध्यान देंगे कि जब हम एक अच्छे खासे शिकार से फ़ायदा उठा सकते हैं तो चीटी मारने से क्या लाभ ? ग़रीबों को अधिकांश में नाखुश कर के हम कुछ टैक्स वसूल पाते हैं जब कि अमीरों को हम छोड़ देते हैं जिन से कि हम अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है।

कम्पलसरी डिपाज़िट स्कीम जो हमारी सरकार लागू करने जा रही है यह एक अच्छी चीज़ है किन इस के सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि यह स्कीम सब पर यकसां लागू न की जाय। जो रुपया जमा कर सकते हैं उन्हीं से पैसा जमा कराया जाय और जो जमा नहीं कर सकते हैं, जिनको कि आमदनी बहुत थोड़ी है, उनसे इस स्कीम द्वारा रुपया छीनने की कोशिश न की जाय। गवर्नमेंट ने इस बारे में ऐसे काश्तकारों को जो कि ५ रुपये तक लगान देते हैं उनको इस से छूट दी है और वित्त मंत्री महोदय ने यह घोषणा की है कि उन पर यह स्कीम लागू नहीं की जायगी। लेकिन मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को यह लिमिट बढ़ानी चाहिये और ५० रुपये तक का लगान देने वाले काश्तकारों को इस स्कीम से छूट मिलनी चाहिये। हमारे देश में काश्तकारों की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है और उन के पास इतना पैसा नहीं बचता है कि वह इस स्कीम के अन्तर्गत लगा सकें .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त कर दें।

श्री बालगोविन्द वर्मा : मुझे कुछ सुझाव देने थे। आप की अज्ञा हो तो मैं उन्हें रख दूं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** समय नहीं है, आप मेहरवानी कर बैठ जाइये।

श्री याज्ञिक (अहमदाबाद) : हमारी सरकार ने समाजवाद को अपना उद्देश्य बनाया है। यह एक प्रशंसात्मक बात है। समाजवाद का अर्थ उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों का राष्ट्रीयकरण होता है। सभी पिछड़ देशों के लिये समाजवाद का लक्ष्य अत्यावश्यक है क्योंकि उन्हें तीव्र गति से विकास करना होता है। हमने इस दिशा में पहले तो काफी प्रगति की थी परन्तु गत कुछ वर्षों से हम करों और ऋणों के दलदल में फँस कर समाजवाद की ओर प्रगति नहीं कर रहे हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

चीन के आक्रमण के परिणाम स्वरूप आयात की घोषणा की गई और हमारे लिय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जिस में हमें असैनिक दृष्टि से अपने आप को तैयार करना है। अन्य देशों के सामने भी ऐसी ही परिस्थितियां आईं। श्री लँका के प्रधान मँत्री की हत्या हो गई परन्तु श्रीमती बँडारनायके ने साहसपूण अपने देश के तेल शोधनालयों और तेल व्यापार का राष्ट्रीय करण किया। इँडोनेशिया में एक बड़ी क्रान्ति हुई परन्तु वहां भी भूतपूर्व उच्च शासकों की सम्पतियों का राष्ट्रीयकरण किया। बर्मा पर कोमिन्टांग सेनाओं ने आक्रमण किया परन्तु वहां पर भी समाजवादके उद्देश्य की स्थापना रखते हुए बैंक व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी प्रकार मिस्र में स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ। यह सभी देश समाजवाद के लक्ष्य की घोषणा न करते हुए भी उस ओर प्रगति कर रहे हैं। परन्तु हमारे देश में आपात काल में संसाधन जुटाने के लिये क्या किया गया। अभी सामान्य बीमा का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। बैंकों का राष्ट्रीय-करण नहीं किया गया। आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीय करण नहीं किया गया। हमारे देश की नीति पूंजीवादी ही रही है। इसीलिय आज करों और ऋणों की शरण लेनी पड़ रही है।

अप्रत्यक्ष करों में कुछ रियायत देने के पश्चात् भी यह बोझा कम नहीं हुआ। डीज़ल तेल, पेट्रोल, चाय, काफी, तम्बाकू, आदि, वस्तुओं पर कर लगाया गया है। अतः यह बोझा असह्य है। उधर इन के परिणामस्वरूप मूल्य भी बढ़ रहे हैं।

५ रुपय तक भू राजस्व देने वाले कृषक के लिय अनिवार्य बचत करना असम्भव है। यह गरीब लोग आग ही ऋणों के बोझ के नीचे दबे पड़े हैं। जो इस बचत योजना के फलस्वरूप और बढ़े जायेंगे।

अधिलाभ कर में जो छट मिली है उस से कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में कैसे वृद्धि होगी यह भी अस्पष्ट ही रहा है।

स्वर्ण नियंत्रण नीति बिलकुल असफल रही है। न तो अधिक सोने की सूचना सरकार को देदी गई है और न स्वर्ण बांडों में अधिक सोना लगाया गया है। फलतः, लगभग, ३००० से ४००० करोड़ रुपय का सोना अभी जनता ने दबा रखा है। सोने का वास्तविक मूल्य कम होने की बजाय बढ़ गया है। हमारी नीतियां अब भी स्वार्थ के उद्देश्य से बनाई जा रही हैं और व्यापरिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वार्थ ही सम्मुख रखा जाता है। १४ कैरट के गहने बनने में सुधार अवश्य हुआ हो परन्तु क्रांति नहीं हुई है। इसके फलस्वरूप लाखों लोग बेकार हो गये हैं।

आय और व्यय के अन्तर को समाप्त करने के लिये बड़े बड़े पूंजीपतियों को पकड़ना चाहिए। अप्रत्यक्ष कर, उत्पादन शुल्क, और अनिवार्य बचत का सहारा ले कर गरीबों पर असह्य बोझ नहीं डाला जाना चाहिये। १८१ करोड़ रुपय के करों की राशि अभी बकाया है। आज कर-अपवाचन ५०० से ७०० करोड़ तक का हो रहा है। आय तथा व्यय में अंतर आय कर व्यवस्था में सुधार ला कर और इतनी बड़ी राशि को प्राप्त कर के किया जा सकता है।

यद्यपि स्पष्ट रूप से दिखाई न दे परन्तु वास्तव में समस्त देश में इन प्रस्तावित करों के बारे में विरोध की भावना पाई जाती है। मेरा अनुरोध है कि इस स्थिति का सामना केवल क्रांतिकारी उपाय से किया जा सकता है। यदि आप शांतिपूर्ण क्रांति नहीं लायेंगे तो भीषण और हिंसात्मक क्रांति का सामना आपको करना पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि समय की गति को देखते हुए किसी वर्ग विशेष के प्रभाव में न आ कर आम जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से समुचित कदम उठाये जाने चाहियें।

श्री ना० नि० पटेल (बुलसार): उपाध्यक्ष महोदय, आज करीब करीब दो महीने हो गये जब कि इस देश में और इस हाउस में सँकटकालीन समय का बजट पेश किया गया, तब से उसके बारे में कितनी कितनी बहस हुई। उस सम्बन्ध में मैं दूसरी बातों को तो नहीं लूंगा, केवल जो स्वर्ण नियँत्रण अधिनियम को लागू किया गया है उसके लिये मैं वित्त मंत्री महोदय को अभिनन्दन देता हूँ। अभिनन्दन इस लिये देता हूँ कि इस स्वर्ण नियँत्रण अधिनियम का प्रभाव जो आदिवासी लोग हैं उन पर नहीं पड़ा है। जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आता हूँ उस की सात तहसीलों में से पांच तहसीलों में सिर्फ आदिवासी लोग रहते हैं। अगर उन लोगों की स्थिति को देखा जाय तो उन पर इस स्वर्ण नियँत्रण अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारे देश के अन्दर ऐसे बहुत से भाग हैं जो कि पिछड़े हुए हैं। जो हिली हैं ! ट्राइबल हैं। उन पर इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

आज देश के अन्दर बहुत सी खराब बातें चल रही हैं। बड़ी बड़ी स्मगलिंग होती है। जिस के पास स्वर्ण है वह उस स्वर्ण से अनाज और कपड़े की होर्डिंग कर लेता है, बैंकों के पास उस को दे देता है और उस के ऊपर लाखों करोड़ों रुपये लगा कर उस का फायदा एक ही आदमी उठाता है। जो पिछड़े हुए लोग हैं, आदिवासी लोग हैं उन लोगों में से बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सोना देखा तक नहीं है। यहां पर बहुत से लोग तरह तरह की बहस करते हैं। अभी हमारे अपोर्जीशन के मेम्बर श्री यशपाल सिंह ने एक बात कही कि दोहद की सीट गई, पँचमहल की सीट गई, पार्लियामेंट की। मगर वहां पर उन लोगों ने भाषण क्या दिये वह भी तो आप जरा सुनें। हमारे यहां महारानी गायत्री देवी गई, उन्होंने कहा कि यह ऐसी सरकार है कि इस ने तुम बहिनों के जेवर ले लिये।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर): उन के पास जेवर थे कहां, जो ले लिये ?

श्री ना० नि० पटेल: मैं पूछना चाहता हूँ यहां पर अपनी बहिनों से। यहां पर हमारी बहुत सी बहनें सदस्य हैं, उन में से कितनों के गले में मँगल सूत्र हैं कोई यह तो बतलाये। मँगल सूत्र कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आता हूँ वहां पर सिर्फ आदिवासी ही नहीं हैं। वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, ब्राह्मण, हैं, देसाई हैं, बनिये हैं। वे सब लोग मँगल सूत्र नहीं डालते। वे लोग डालते हैं तो कांच की किड़िया जिस को काली गांठी कहते हैं। जब पंडित जी शादी कराने के लिये बैठता है तो उस वक्त वह कहता है कि "कालीगांठी सावधान" यह नहीं कहता है कि "मँगल सूत्र सावधान"। वह कांच की काली गांठी बांधते हैं। तो काली वहां काली गांठी का महत्व है मँगल सूत्र का नहीं है। लोगों को जैसे जैसे सोना मिलता गया वैसे वैसे अनेक प्रकार के मँगल सूत्र बनने लगे। तो उन्होंने हमारे यहां यह भाषण दिया कि अब सरकार ने औरतों से सोना ले लिया है। लेकिन जैसा मैं ने कहा हमारे लोगों ने सोना देखा भी नहीं है। हमारे आदिवासियों में जब कोई लड़की को देखने जाता है और उसको नक्की करते हैं तो पैरों के लिए चांदी के कड़े देते हैं, हाथों के लिये एक तरह का चांदी का गहना देते हैं जिसको बांक कहते हैं। और गले के लिये एक चांदी का गहना देते हैं जिसको गांठा कहते हैं। यही आदिवासियों के गहने हैं।

आप पहाड़ी एरिया में जाएँ तो वहां पर लोगों को चांदी भी नहीं मिलती। वे पीतल के नगीने अभी भी पहनते हैं। और रुपये के भी नगीने पहने हैं और निकल के भी। निकल के नगीनों के बारे में आप हमारे जो दादारा और नागर हवेली के सदस्य हैं उन से मालम कर सकते हैं कि उनकी पत्नी निकल के नगीने पहनती है या नहीं।

कहा जाता है कि स्वर्ण नियँत्रण से लोग मर गए। हां कुछ सुनार लोग जरूर बेकार हो गए। उनकी बेकारी का भी यह सरकार निवारण करेगी। जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो एक दफा एक आंधी सी आयी और जैसे आंधी में बहुत सा कचरा इधर से उधर हो जाता है, इसी प्रकार हमारे

यहां उधर से लाखों आदमी आए, जिन के पास केवल अपने हाथ पैर थे, उन के पास घर नहीं था, कपड़ा नहीं था, खाना नहीं था। मगर यह हमारी ही सरकार थी, कोई कम्युनिस्ट या पी० एस० पी० की सरकार नहीं थी, जिसने उन लाखों लोगों को धँधे से लगाया। लेकिन जब व लोग हमारे देश में आए तो उन्होंने सुनारों की तरह जलूस नहीं निकाले थे। वे अपना हाथ पैर लेकर आए थे और उनको जो धन्धा या मजदूरी मिली उन्ह ने की। किसी को भीख मांगते नहीं देखा गया। और इसी सरकार ने उनको नौकरी से, धन्धे से और व्यापार से लगाया। तो सुनार के लिये भी बन्दोबस्त हो जाएगा। लेकिन यह नहीं हो सकता कि यह काम एक दिन में हो जाये। उस में कुछ समय लग सकता है। अगर एक जगह कोई बेचारा सुनार आत्महत्या कर के मर गया तो विरोधी लोगों के हाथ में यह बात ही आ गयी। किसी ने यह नहीं देखा कि वह किस कारण से मरा, उसे आत्म हत्या क्यों करनी पड़ी। हमारे देश में जो लाखों लोग पाकिस्तान से आए उन्होंने तो आत्महत्या नहीं की। अगर किसी एक आदमी ने आत्म हत्या कर ली तो उस में सरकार क्या कर सकती है।

तो मैं तो इस वक्त यह कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो कदम उठाए हैं वे सच्चे समाजवादी समाज की रचना के कदम हैं और उसके लिए मैं उनको मुबारक-बाद देता हूँ।

मैं कैरोसीन के बारे में कहना चाहता हूं। अच्छा किया कि आपने उस में रिलीफ दिया। मगर कैरोसीन ऐसी चीज है जिसका आदिवसियों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : (जोधपुर) : आदिवासियों पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता ?

श्री न० नि० पटेल : आदिवासियों पर खाद्यान्न और कपड़े का प्रभाल पड़ता है। आदिवासियों को तो केवल फुड ग्रेन्स और क्लोदिंग की जरूरत है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगा है। हमारे क्षेत्र में लोगों को जंगल से लकड़ी मिल जाती है, जिसको वे २४ घंटे जलाए रखते हैं। उसी पर उनका खाना पकता है और उसी की लाइट से वे और काम चलाते हैं। कोई कोई अपने घर में मिट्टी का दिया जलाते हैं तो उस में कपड़े की बत्ती डाल कर और तेल डालकर जलाते हैं। कुछ लोग कैस्टर सीड को कूट कर दियों में जलाते हैं। तो उनको कैरोसीन से कोई मतलब नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आदिवासी हो तो सारा भारत वर्ष नहीं है।

श्री न० नि० पटेल : मगर देश के अन्दर तो आदिवासी भी हैं। उनकी उन्नति भी तो करनी चाहिये। उन से ज्यादा गरीब और कोई नहीं है।

तो मैं यही कहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय ने जो कदम उठाये हैं वे बड़े अच्छे हैं। दो दिन पहले यहां हाउसिंग में चर्चा इस बारे में हुई थी। मेरी प्रार्थना है कि आदिवासियों के लिए भी हाउसिंग की, एग्रीकल्चर की और पढ़ाई आदि की सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।

आखिर में एक बात मैं और कहना चाहता हूं दादरा और नगर हवेली के बारे में। यह क्षेत्र सैकड़ों सालों से पुर्तगाल शासन में था। और इसका कोई विकास नहीं हुआ है। अब वह क्षेत्र भारत के साथ है। उस क्षेत्र में रास्ते नहीं हैं, खेती बाड़ी की कोई सुविधा नहीं है, पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। उन के लिए इन सुविधाओं की व्यवस्था करने की और सरकार को ध्यान देना चाहिये क्योंकि वे लोग आपके ऊपर विश्वास किए बैठे हैं।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही चीनी आक्रमण के समय हमारे लोगों की पूरी तरह पराजय हुई और दुनिया के आगे इस राष्ट्र की बेइज्जती हुई।

[श्री न० नी० पटल]

उसके साथ साथ प्रगति के आंकड़ों से पता चल रहा है कि गत दस वर्ष की योजना के फलस्वरूप हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं। बल्कि पीछे खिसके हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में औसत आदमी के पीछे अनाज की पैदावार घटा है बढ़ी नहीं है। गत दस वर्षों में निरक्षरों की संख्या बढ़ी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है और योजना कमिशन की एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस देश में चार करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनकी दैनिक आमदनी २० नए पैसे से भी कम है, और जिस रफ्तार से योजना चल रही है उस रफ्तार से अगले ४० साल तक भी इसदेश में तीस प्रतिशत लोग ऐसे रहेंगे जिनको पूरा खाना नहीं मिल सकेगा। यह है हमारी स्थिति।

अभी मेरे पहले एक आदिवासी मेम्बर ने कहा है कि आदिवासी लोगों को तो कैरोसीन की भी जरूरत नहीं होती। यह कुछ हद तक सही भी है। उनका जीवन बहुत नीचा है। उन लोगों में पढ़ाई का रिवाज़ नहीं है। उन बेचारों के लिए कैरोसीन सचमुच जरूरी होता नहीं है। लेकिन इस से उनको जो संतोष मिला है, यह देख कर हमें आश्चर्य होता है। अगर आदिवासियों को कैरोसीन की जरूरत नहीं होती है तो संतोष मना लेने का क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। सचमुच हमारे देश की हालत ऐसी है, हमारे देश के एक तबके की हालत ऐसी है, जिसको रोशनी की जरूरत नहीं है, और वे लोग रोशनी जानते नहीं हैं कि क्या होती है और न ही कभी उसके उन्होंने स्वप्न में दर्शन किए हैं, तो इसका हमें दुःख होना चाहिये। लेकिन इस पर हम संतोष मनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही सही दृष्टिकोण है ?

हमारे देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा हुई। मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये हम लोगों ने कौन से ठोस कदम उठाये हैं, कौन से क्रान्ति कारी कदम उठाये हैं, कौन से मौलिक कदम उठाये हैं,। एक चीज़ ही दिखाई देती है कि जो ग़रीब हैं जो दलित हैं, उन के ऊपर टैक्सों का बोझा और ज्यादा लाद दिया गया है। इस एक चीज़ के सिवा और कोई भी नई चीज़ हमारी सरकार या वित्त मंत्री जी ने नहीं की है। इस स्थिति का सामना करने के लिए फिजूलखर्ची के बारे में हमेशा चर्चा की जाती रही है, भ्रष्टाचार के बारे में हमेशा चर्चा चलती रही है। लेकिन इन दोनों बुराइयों को दूर करने के लिये वित्त मंत्री जी ने क्या कदम उठाया है, यह मैं उन से जानना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि फिजूलखर्ची की सरकारी क्षेत्र में वही स्थिति है जो स्थिति निजी क्षेत्र में मुनाफाखोरी की होती है। आज स्थिति यह है कि पूंजीवाद दो हिस्सों में बंट गया है, एक निजी क्षेत्र पूंजीवाद और दूसरा सरकारी क्षेत्र पूंजीवाद। जो हिन्दुस्तान की ऊंची कृजातियों के लोग हैं, वे इन दोनों क्षेत्रों में बैठ गए हैं, निजी क्षेत्र में पूंजीपति बनिया लोग होते हैं और सरकारी क्षेत्र में पूंजीपति दूसरी ऊंची जातियों के लोग होते हैं। निजी क्षेत्र के पूंजीपति मुनाफाखोरी से गरीबों का खून चूसते हैं और सरकारी क्षेत्र के पूंजीपति फिजूलखर्ची से लोगों को भूखा रखते हैं। इस फिजूल खर्ची की बराबरी मुनाफाखोरी के साथ ही की जा सकती है। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए, उसका परिणाम ठीक तरह से जानने के लिए वित्त मंत्री जी ने क्या कदम उठाया है, वह यह बतायें।

हाल ही में यह जानकारी दी गई कि बिजली और पानी के ऊपर मंत्री लोगों की तरफ से कितनी फिजूलखर्ची होती है। देश में जब संकटकालीन स्थिति चल रही है और चीन के साथ जंग चल रही है, तब भी मिनिस्टर लोगों ने पांच सौ रुपये माहवार पानी और बिजली पर खर्च करडाले हैं। यह जानने के बाद भी कि लोगों को इस तरह की बातों से चोट पहुंचती है, उन के दिलों को ठेस लगती है सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है कि इस फिजूल खर्ची को रोका जाए। जब बिजली और पानी पर इतनी फिजूश खर्ची होती है तो दूसरे विभागों में कितनी फिजूलख र्ची होती है, इसकी जानकारी लेने के लिए भी कोई कोशिश नहीं हुई है।

आज हमारे देश में तनख्वाहों और जो सही आमदनी होती है, इन दोनों के बीच बड़ी खाई है। सैलेरी या आमदनी जो किसी की होती है, आम तौर से यह माना जाता है कि वही उस आदमी की आमदनी है, आय है। लेकिन अगर सचमुच देखें खास करके नौकरशाही के अन्दर या सरकारी क्षेत्र के अन्दर तो जो बड़े बड़े आफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर होते हैं या हमारे जैसे मैम्बर पार्लियामेंट होते हैं, उनकी जो सही आमदनी होती है वह तनख्वाह से बहुत कुछ ज्यादा होती है। मैम्बर पार्लियामेंट का उदाहरण आप लें। नाम के वास्ते उसको चार सौ रुपये महीना तनख्वाह मिलती है। लेकिन उसके जो एलाउसिस होते हैं, उसको जो एमेनेटीज़ मिलती हैं, रेलवे पास मिलता है तथा दूसरी सहूलितें मिलती हैं उन सब को अगर जोड़ा जाए तो पता चलेगा कि एक एम० पी० की महीनेवार आमदनी डेढ़ हजार से कम नहीं होती है। उस ढ़ंग से सरकारी अफसर और मिनिस्टर लोगों के होते हैं और उनकी आये कहीं ज्यादा होती है। एक प्रधान मंत्री इस देश के हो सकते हैं कि जिन के बारे में कह दिया जाता है कि दो या तीन हज़ार उनकी तनख्वाह वैसे तो है लेकिन वह लेते सोलह सौ रुपये हैं। लेकिन यह शिकायत हम लोगों ने बार बार रखी है इस सदन में कि इस देश की तिजौरी से दैनिक पच्चीस हज़ार रुपया हमारे प्रधान मंत्री जी के ऊपर खर्च होता है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : किस प्रकार होता है ?

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : इस पर वाद-विवाद हो जाये और हम आपको बता देंगे।

श्री किशन पटनायक : स्टेटिसटिक्स के आधार पर हम यह बता रहे हैं बेबुनियाद बात नहीं कर रहे हैं। इसकी काफी जांच हुई है, असैम्बलीज़ में सवाल भी पूछे गए हैं और उनके जवाब भी दिए गए हैं।

मैं वित्त मंत्रीजी से अनुरोध करूगाकि मैं जो इलज़ाम लगा रहा हूं, जो अभियोग लगा रहा हूं, उसके बारे में वह जांच करें और पता लगायें कि कहां तक वह सही है। यह जो हमने इलज़ाम लगाया है, उसकी कुछ मिसालें आपके सामने भी रखी हैं। दो तीन साल पहले के बजट को अगर हम देखें तो आप पायेंगे कि इस मसले पर काफ़ी रोशनी उस में डाली गई है। ताज्जुब की बात है कि यह जो बिजली और पानी वाला खर्चा है, उस में दो मिनिस्टर्स को बिल्कुल निकाल दिया गया है, एक तो खुद हमारे वित्त मंत्री जी हैं और दूसरे प्रधान मंत्री जी हैं। इनके यहां बिजली और पानी की कितनी फिजूलखर्ची होती है, इसके बारे में कोई भी जानकारी इस सदन को नहीं दी गई है जब कि बाकी सारे मंत्रियों के बारे में दे दी गई है। यह बहुत ज्यादा बेइंसाफी इस सदन के साथ की गई है और दूसरे मिनिस्टर्ज़, के प्रति भी की गई है। जो सब से बड़े मंत्री हैं, जो प्रधान मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, उन के बारे में भी जानकारी हमें मिलनी चाहिये थी। जो इस तरह के आंकड़े हैं, इनको हिन्दुस्तान की जनता से छिपाया जाता है, सरकारी तौर से छिपाया जाता है और इसलिये पूरी जानकारी मिलती नहीं है। गत दो तीन सालों के बजटों में अजीब उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। प्रधान मंत्री जी का जो वास भवन है उस वास भवन में सिर्फ पुराने कारपेट्स को बदल कर नए कारपेट डालने के लिए नए कारपेट बिछाने के लिए दो लाख रुपये का खर्चा हुआ है। मैं यह कोई मनगढ़न्त बात नहीं कर रहा हूं। बजट उठा कर आप देख लीजिए। प्रधान मंत्री जी जब कभी दौरे पर जाते हैं, तो उन के ऊपर लाखों रुपये का खर्चा होता है। मैं कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं देने जा रहा हूं। केरल असैम्बली में पूछा गया था और उसका जवाब यह दिया गया था कि डेढ़ दिन के लिए प्रधान मंत्री जब केरल गए थे १९५७ में, चुनावों की गश्त के सिलसिले में तो उस डेढ़ दिन में सरकारी तिजौरी से एक लाख रुपया खर्च

[श्री किशन पटनायक]

किया गया था। १९५९ में जब प्रधान मंत्री जी राजस्थान गए थे, भीलवाड़ा में, जहां भारत सेवक समाज का एक मेला हो रहा था, उस वक्त उस मेले के आयोजन के वास्ते, सरकारी तिजौरी से बारह लाख रुपये का खर्चा किया गया था। इसके बारे में असैम्बली में सवाल पूछा गया था और जवाब से यह पता लगा कि प्रधान मंत्री के दौरे के सिलसिले में खास करके एक नया एयरोड्रोम बनाया गया और एक सर्किट हाउस जो नया तो नहीं बनाया गया लेकिन जिस की रिपेयर की गई, उस रिपेयर पर, उस मरम्मत पर साठ हजार रुपये का खर्चा किया गया। इस ढंग का खर्चा आशा है जब कभी हमारे प्रधान मंत्री जी दौरे पर जाते हैं या बाहर जा कर भाषण देते हैं। एक दिन का औसत अगर देखा जाए तो एक लाख रुपये से कम खर्चा नहीं होता है। यह दूसरा हिसाब है। उस के बाद इस तरह से २५,००० रु० का हिसाब जोड़ा जा सकता है। यह जिस भवन में रहते हैं वहां पर हर बजट में कुछ न कुछ नया बनता रहता है। कभी होता है "ए मीटिंग हाल फार दि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस", कभी होता है "ए न्यू हाउस फार दि प्राइम मिनिस्टर", कभी कुछ कभी कुछ। कभी कह देते हैं दो एअर कंडीशनिंग यूनिट्स २५,००० रु०, कभी कहते हैं "कंस्ट्रक्शन आफ एउ न्यू हाउस फार दि प्राइम मिस्टिर २०,००० रु०, कभी कहते हैं "कंस्ट्रक्शन आफ ए मीटिंग हाल फार दि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस ३०,००० रु०, कभी कह देते हैं रिप्लेसिंग आफ फोर लिफ्ट्स ३६,००,००० रु०। इस ढंग से हर साल बजट में लाखों रुपये प्राइम मिनिस्टर्स हाउस के लिए खर्च होते रहते हैं। इस सब का हिसाब भी हम को जोड़ना चाहिये।

जिस किस्म का डबल प्राइस सिस्टम चलता है उस को भी देखिये। खाने के मामले में, चाय के मामले में, प्राइम मिनिस्टर के लिए जो प्रबन्ध है, उस के लिये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का उस पर जितना खर्च होता है उस में से बहुत बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति भवन से आता है। राष्ट्रपति भवन में उन का हिस्सा क्यों शामिल किया जाता है यह मेरी समझ में नहीं आता है। लेकिन उन का जो भोजन आता है राष्ट्रपति भवन से उस की जो कीमत है वह प्रधान मंत्री को सिर्फ ८ रु० रोज देनी पड़ती है। हम लोग जब ट्रेन में चलते हैं, किसी मेल में या एक्स्प्रेस में, तो हम को जो खाना मिलता है उस के स्टैण्डर्ड का तो आप को षता ही है। लेकिन उस के लिये भी हमें कम से कम १२ रु० रोज देने पड़ते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन से जो भोजन आता है उस के लिए प्रधान मंत्री को सिर्फ ८ रु० देने होते हैं।

इसी तरह से और भी चीजें उन को दी जाती हैं कम कीमत में और उन के लिये फिजूलखर्ची होती रहती है। इस के बारे में मैं अनुरोध करता हूं कि अपने वित्त मंत्री जी से कि वे इस की जांच करें और जांच कर के जो नतीजा निकले उस की हमारे आंकड़ों से तुलना करके बतलायें कि हमारे आंकड़े सही हैं या नहीं।

†**श्री सुब्बरामन** (मदुरै) : आय-कर-दाताओं का कुछ सुविधयें दी गई हैं। जिन लोगों ने बीमा करवाया हुआ है अथवा जो भविष्य निधि में पैसा देते हैं और जो रक्षा कोष में धन देते हैं उन को और छट दी गई है, जो समर्थनीय है।

पूंजी से प्राप्त लाभ पर कर के निर्धारण की प्रणाली ठीक नहीं है। इस से ईमानदार व्यक्तियों को हानि उठानी पड़ती है। विक्रय मूल्य और १९५४ के मूल्य में अन्तर को लिया जाता है। १९५४ के मूल्यों के लिये पंजीकृत मसवियों को ही प्रमाण माना जाता है। और उन मसवियों में राशियां कम दिखाई गई होती हैं। इसलिये उस प्रणाली में रूपभेद लाने की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जो लोग अन्तर्राज्यीय व्यापार करते हैं उन्हें बिक्री कर के लिये "सी" फार्म देना पड़ता है जिसे प्राप्त करने में अधिक कठिनाई का अनुभव होता है। कई स्थानों में यह फार्म केवल ३ मासों के लिये स्वीकार किये जाते हैं और कई स्थानों में यह ५००० रुपये की राशि तक ही स्वीकार किये जाते हैं। अतः इस बारे में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

सरकारी बांडों पर जिन लोगों के बैंकों में लेखे हैं उन्हें ब्याज प्राप्त करने में दो, तीन मास तक लग जाते हैं। इस के परिणामस्वरूप लोगों को बांड खरीदने में प्रोत्साहन नहीं मिलता। अतः स्थिति में सुधार होना चाहिये।

देश में आर्थिक विकास तो हो रहा है परन्तु करदाताओं की संख्या जो ३१ अक्तूबर, १९६१ में ६,२०,००० थी, ३१ अक्तूबर, १९६२ में घट कर ५,३०,००० रह गई। इन की संख्या घट जाने का कारण समझ में नहीं आता।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप बहुत से सुनारों की आशा की जाती है, परन्तु देश में सोने के साथ लोगों का बहुत लगाव है, इस लिए स्वभावतः इस आदेश से असन्तोष उत्पन्न हुआ है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस आदेश को कार्यान्वित करते हुए जनता की भावनाओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त इस आदेश के फलस्वरूप लाखों लोग बेकारी का शिकार हो गये हैं। इन लोगों की बेकारी की समस्या को हल करने के लिए कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता है। हो सके तो ऐसे लोगों के लिये कुछ स्थान रखे जयें।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो सुझाव है मैं उस से सहमत नहीं हूं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : स्वर्ण नियन्त्रण आदेश से कई स्वर्णकार बेरोजगार हो गए हैं। उन के दुःख और कष्ट को दूर करने के लिये सरकार को कदम उठाने जाहियें। उनकी रोजगारी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

वित्त मंत्री यह बताएं कि सामान्यतः प्रशासनिक सच्चाई न होते ने के कारण वे स्वर्ण नियन्त्रण कार्यवाही को कैसे कायम रखेंगे। यह डर भी देश में है कि सोना चोरी छिपे देश से बाहर न ले जाया जाए। मैं जानता चाहता हूं कि सरकार ने इस की रोक थाम के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

कोलार सोना खानों में से सोना निकालने की लागत को कम करने और लाभपूर्ण ढंग से वहां काम चलाने के सम्बन्ध में कौन से दीर्घकालीन कदम उठाए जायेंगे।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण मनजूर करने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिये ताकि ऋण शीघ्र मन्जूर किए जायें और जो ऋण मन्जूर किए जायें यथा शीघ्र दे दिए जाएं।

प्राक्कलन समिति ने अपने ३६ वें प्रतिवेदन में यह कहा है कि निगम ने आसाम, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो कम विकसित राज्य हैं, को कम धन दिया है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : क्या समिति ने यह भी बताया है कि इन राज्यों के सम्बन्ध में इतने आवेदन पत्र क्यों अस्वीकार कर दिए जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : समिति ने कहा है कि अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या काफी कम हो गई है। मुझे ऐसा मामलों का जिक्र नहीं करना है यहां हम वित्त मंत्री को बधाई दे सकें।

†**श्री मोरारजी देसाई** :मैं यह जानना चाहता हूं कि जब समिति ने कहा कि निगम ने तीन राज्यों की अवहेलना की है, क्या उन्होंने कहा है कि इन राज्यों का कोई आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान समिति की उस राय की ओर दिलाता हूं जो कि उन्होंने सरकार के निगम द्वारा धन-वितरण सम्बन्धी निदेशों के कार्यान्वयन के बारे में दी है। उन्होंने कहा है निगम ने उन निदेशों का कार्यान्वयन नहीं किया है। सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के संसाधनों का उचित ढंग से वितरण हो।

वित्त मन्त्री ने जो करों में राहत दी है उससे गरीब लोग और गैर सरकारी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। अनिवार्य बचत योजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इसका गरीब किसान पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

पोस्टकार्ड पर अतिरिक्त 'लैवी' से गरीब लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

सरकार के बढ़ते हुए व्यय पर प्रतिबन्ध रखना चाहिए अन्यथा इससे स्फीति का खतरा है।

श्री यसवन्त (थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सारे मन्त्रालय हैं उनके लिये वित्त मन्त्री कुल खर्च का बन्दोबस्त करते हैं। आय कर लगा कर या दूसरे हर एक किस्म के कर लगा कर वे देश के बजट को पूरा करते हैं। कभी अगर कर लगाने में गलती हो जाय तो गरीब और भी गरीब हो जायेंगे और जो श्रीमन्त हैं वे और भी श्रीमन्त होते जायेंगे। आज देश की जो आमदनी होती है उसमें आधे से ज्यादा आमदनी खेती की पैदावार से होती है। मैं इस सम्बन्ध में सदन के सामने अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं।

इस देश में जो खेती लायक जमीन है वह कुल ३५ करोड़ एकड़ है। इस ३५ करोड़ एकड़ में से छः करोड़ परिवार अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस ३५ करोड़ एकड़ भूमि में से कोई २८ करोड़ एकड़ भूमि अनाज के उत्पादन की भूमि है। इस अनाज के उत्पादन वाली भूमि में से ९ करोड़ एकड़ भूमि में धान या चावल उगता है। भारत में चावल की खेती ज्यादा है सारे संसार में चावल की खेती में उसका दूसरा नम्बर है। इतना होते हुए भी इस देश में अनाज की बहुत कमी हो जाती है। इसमें जो कुछ खामी होती है, मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री उसके ऊपर ध्यान देंगे। अगर वे ऐसा करेंगे तो जरूर उससे हम को फायदा हो सकता है।

सन् १९६०-६१ में ७९७ लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ, सन् १९६१-६२ में ७८६ लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ। इससे मालूम हो जाता है कि ११ लाख टन अनाज सन् १९६२-६३ में कम पैदा हुआ। हमने सन् १९६० तक दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी कर लीं। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें पहले वर्ष में उत्पादन नहीं बढ़ा, दूसरे वर्ष में उत्पादन बढ़ने की जो आशा थी वह भी अब नहीं रही है। इसके लिये एक कमेटी

---

†मूल अंग्रेजी में

नियुक्त की गई है कि वह पता लगायें कि अनाज का उत्पादन किस रीति से बढ़ाने की जरूरत है। पुराने जमाने में एक ऐसा काल था जबकि खेती को उत्तम कहा जाता था, व्यापार को मध्यम और नौकरी को कनिष्ठ कहा जाता था। जब शासन का हाथ खेती के अन्दर नहीं था तब खेती उत्तम थी और आदमी के पास सुख और समृद्धि थी, मगर शासन के हाथ के आ जाने से अब हम यह देखते हैं कि मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। सबसे उत्तम नौकरी बन गई है और सबसे निकृष्ट हो गई है खेती बाड़ी।

आज क्या स्थिति है अब हम यह देखें। पन्द्रह साल पहले हम बाहर के देशों से कोई ३० लाख ४७ हजार टन अनाज मंगाते थे, उसके बाद सन् १९६१-६२ में हमने ३१ लाख ४८ हजार ८०० टन अनाज लिया और चालू बजट में ४२ लाख ९० हजार टन यानी २०० करोड़ रु० का अनाज हिन्दुस्तान के लिये मंगाने का अनुमान है पन्द्रह साल हुए जब से भारत अनाज के बारे में स्वावलम्बी नहीं हो सका तो यह अपमान की बात है, मैं समझता हूं कि यह कोई लांछन या बुराई की बात है। मगर आज हम देखते हैं कि हर साल अनाज की फसल अच्छी नहीं होती। काश्तकार अनाज उगाने में असमर्थ क्यों हुआ, इसकी जांच की जाय तो अच्छा होगा। इसलिये मैं आपके सामने खेती के उत्पादन के कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। खेती के व्यवसाय में दो भाग हो जाते हैं। एक तो अनाज की खेती और दूसरे मनीक्राप यानी रुपये लाने वाली खेती। दाम लाने वाली खेती और अनाज की तुलना हम करें तो पता चलेगा कि जब काश्तकार अंगूर लगाता है तो उसके पास कम से कम ५,००० रु० आ जाता है, केले लगाता है तो कम से कम ३,००० रु० आ जाता है, दूसरे फल लगाये तो २,००० से ३,००० रु० तक आ जाते हैं। गन्ने से १९२५ रु० ऐवरेज आमदनी हो जाती है, मूंगफली से ४०० रु० आ जाता है और कपास से ६६० रु० की ऐवरेज आमदनी होती है। लेकिन अगर काश्तकार अनाज की खेती करे तो गेहूं की काश्त से उसको २८५ रु० मिलते हैं, चावल की खेती से २८० रु० मिलते हैं और बाजरे से १८० रु० मिलते हैं। आज का युग ऐसा है जबकि विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। जो कपड़ा है वह पहले कपास से बन सकता था या रेशम से बन सकता था। लेकिन अब प्रासेज करके रेयान से भी बन सकता है। बिल्डिगों में पहले लकड़ी लगा करती थी लेकिन अब उसके बदले लोहे से काम चल सकता है। इतनी उन्नति विज्ञान ने आज कर ली है लेकिन जिस अनाज की जरूरत हर इन्सान को होती है उसके लिये आज तक विज्ञान ने कोई ऐसी उन्नति नहीं की मिट्टी को प्रासेस करके अनाज का काम चला लिया जाय। इन्सान के हर क्षेत्र में अनाज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जब हम बाजार में जाते हैं तो देखते हैं कि अनाज के लिये बहुत कम बाजार है। ऐसी हालत में किसान के अन्दर अनाज पैदा करने की इच्छा नहीं होती। उसके अन्दर उत्साह नहीं होता। मैं महाराष्ट्र के सम्बन्ध में अनाज के भावों के कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। सन् १९५९ में वहां पैडी का भाव था १८ रु० मन, सन् १९६० में था १७ रुपए ५० नए पैसे मन, सन् १९६१ में था १६ रुपए और २५ नए पैसे मन, और सन् १९६२ में भाव था १५ रुपए ४० नए पैसे मन, और सन् १९६३ में पैडी का भाव है १४ रुपए मन, और दिल्ली में कोयले का भाव है १२ रुपए मन। तो जब तक अनाज पैदा करने वाले को अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक उसकी स्थिति कैसे ठीक हो सकती है और कैसे वह अधिक अन्न उपजा सकता है।

जब कम्युनिटी डेवेलपमेंट प्रोग्राम की बात यहां होती है तो हमारे डेवेलपमेंट मिनिस्टर कहते हैं कि हमने सारी जगह सोसाइटीज़ बना दी हैं और सैकिंड फाइव ईयर प्लान में हमने २०० करोड़ का कोआपरेटिव लोन दिया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५३० करोड़ रुपए का हमने बन्दोबस्त करके रखा है। मगर आज किसान की स्थिति यह है कि उसके ऊपर कोआपरेटिव का कर्जा है, गवर्नमेंट का भी उस पर कर्जा है और उसने खेती के लिए और बैलों के लिए साहूकार से भी कर्जा ले रखा है। यह कोई नहीं देखता कि उसको इतनी आमदनी होनी चाहिए कि वह इस कर्जे को अदा कर सके।

अब तो यह हो रहा है कि खेती करने वाले किसान की आमदनी कम होती जा रही है। अगर कभी महंगाई होती है तो कहा जाता है कि अनाज के भाव कम कर दिए जाएं। लेकिन किसान जो रात दिन काम करता है, बरसात में, कीचड़ में, बगैर जूते और अध नंगा काम करता है, उसके बच्चों का गुजारा कैसे हो यह कोई नहीं सोचता। अगर यही हालत रही और उसका कर्जा बढ़ता गया और आमदनी न बढ़ी तो काश्तकार मर जाएगा और उसके बच्चे उसका कर्जा नहीं दे सकेंगे और जब तक कर्जा पूरा नहीं हो जाता उस वक्त तक उसके अनाज का भाव कैसे कम किया जा सकता है।

मैं खुद एक खेती करने वाला किसान हूं। लेकिन मैं देखता हूं कि इस सदन में कोई माननीय सदस्य चावल की, बाजरे की, ज्वार की बात नहीं करता। अगर यहां बात होती है तो गन्ने की और कपास की। कारण यह है कि इस सदन में जो गरीब काश्तकार है वह आ ही नहीं पाता और इसलिए उसकी आवाज नहीं उठायी जाती। अमरीका में जब धान की फसल का भाव गिरता है तो यह बात प्रेसीडेंट कैनेडी तक पहुंचती है। यूरोप में फसल का दाम गिरने लगता है तो फसल को जला दिया जाता है। लेकिन यहां का काश्तकार मर रहा है, उसके लिए कोई यह नहीं देखता कि उसको अपनी पैदावार का पूरा दाम मिले। देश में जब अनाज पूरा पैदा नहीं होता तो हम दो सौ करोड़ तक का अनाज बाहर से मंगा कर खाते हैं। यह देश के लिए कितने शर्म की बात है। लेकिन यह चीज उन लोगों के हाथ में है जो खेती नहीं करते और वे लोग केवल १८ फीसदी हैं।

मैं अभी सूरतगढ़ फार्म देखने गया था तो मैंने उस क्षेत्र में ऊंट देखा। महाराष्ट्र में ऊंट नहीं होता, तो मुझे उसको देख कर आश्चर्य हुआ कि कितना बड़ा यह जानवर है लेकिन एक बच्चा उसकी नकेल के सहारे उसको लिए जाता है और उससे मनचाहा काम करवाता है। वही दशा आज हम काश्तकारों की है जिनको ये १८ फीसदी लोग नकेल द्वारा पकड़े चाहे जिस तरह काम करवाते हैं और इसी कारण हमारी यह दशा है और हमको यह दुःख भोगना पड़ता है।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे कि देश में राम राज्य की स्थापना हो। उनका अभिप्राय था कि देश सुखी और सम्पन्न हो और जनता का दुःख और दारिद्र दूर हो।

श्री ज्योति स्वरूप (हाथरस) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार राष्ट्र के सर्वोच्च सदन में बोलने का साहस कर रहा हूं। श्रीमन्, मैं आपसे आशीर्वाद का प्रार्थी हूं और सदन से सहयोग और सद्भावना का।

आज की संकटकालीन अवस्था में जब कि राष्ट्र पग पग पर विदेशी मुद्रा की विकट समस्या के कारण भयंकर संकट का सामना कर रहा है, ठीक उसी समय आदरणीय वित्त मंत्री महोदय टैक्सों की भरमार करने पर जुटे हुये हैं। रोजाना काम आने वाली चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं जिससे शोषित समाज और मध्य वर्ग का जीवन अत्यन्त कष्टमय और दुखदायी होता चला जा रहा है। बार बार इस सदन में बड़े विश्वास के साथ आदरणीय वित्त मंत्री महोदय यह आश्वासन देते रहे हैं कि रोजाना काम में आने वाली चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके इस तरह कह देने से वास्तविकता छिप नहीं सकती। अभी नया फाइनेंस इयर शुरू हुआ जुम्मा जुम्मा एक हफ्ता ही हुआ है कि चीजों के दाम, जिनको कि शोषित तथा मध्य वर्ग के व्यक्तियों के जीवन का मूल आधार समझा जाता है, सवाए हो गये हैं, यानी २५ फीसदी की बढ़ोतरी उन चीजों के दाम में हो गयी है जिन्हें शोषित और गरीब आदमी इस्तेमाल करते हैं।

पिछले पाँच छः सालों के बजट यदि ध्यान पूर्वक अध्ययन किये जायें तो हर साल के बजट में दो खास कमियाँ दिखायी देती हैं, पहली यह कि जितना रेवन्यू से धन अंकित किया जाता है प्राप्ति उससे अधिक होती है, दूसरा जो धन खर्च के लिये लिया जाता है वह वास्तव में खर्च नहीं होता और फाइनेंस इयर के अन्त होने से दो चार दिन पहले उस धन राशि को अर्पण कर दिया जाता है। इस पर भी हर साल घाटा दिखाया जाता है और उसी आधार पर नये नये टैक्स लगाये जाते हैं या पुराने टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी जाती है।

मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस क्षेत्र से आता हूं जहाँ पर दो किस्म के गल्ले के आढ़ती होते हैं, एक कच्चे आढ़ती और दूसरे पक्के आढ़ती। कच्चे आढ़तियों का काम यह होता है कि किसानों से गल्ला लेकर बड़े दुकानदारों को दें। मगर इन टैक्सों की वजह से उन कच्चे आढ़तियों ने या तो दुकानें बन्द कर दी हैं या काम कम कर दिया है। इस से वहाँ के जो मजदूर, जो पल्लेदार उस गल्ले को अपने सिर पर उठाकर बड़े दुकानदारों के यहाँ पहुंचाते हैं उनका काम बन्द हो गया है और अगर उनके खाने कपड़े की कोई व्यवस्था न की गयी तो वहाँ पर भुखमरी फैलने का अन्देशा है। उन कच्चे आढ़तियों का ख्याल किया जाये। मैं भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से आता हूं और वह पार्टी टैक्सों के खिलाफ नहीं है। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि टैक्स ऊपर से लगाये जायें और अगर कमी हो तो निम्न श्रेणी के आदमियों से भी वसूल किये जायें। जब तक इस देश में ऐसे आदमी हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे सकते हैं, तब तक छोटे दुकानदारों और गरीब आदमियों को क्यों दबाया जाता है। जैसे मैंने अभी आप से कहा हर साल घाटा दिखाया जाता है और उसी के आधार पर नये टैक्स ईजाद किये जाते हैं या पुरानों में बढ़ोतरी की जाती है। इसके कुछ आँकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सन् १९५६-५७ में १२ फीसदी की बढ़ोतरी की गई उन टैक्सों में जो कि पुराने थे। १९५७-५८ में तीन फीसदी की गई, १९५९-६० में १२ फीसदी की गई और १९६०-६१ में ९ फीसदी की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम खर्चे की तरफ आयें तो हमेशा वास्तविक खर्चा अंकित खर्च से कम होता है जैसे १९५६-५७ में ९ फीसदी का अन्तर था, १९५८-५९ में ४ फीसदी का अन्तर था, १९६०-६१ में ९ फीसदी का अन्तर था। श्रीमन्, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वित्त मंत्री पिछले पाँच छः सालों से अपना मनगढ़ंत बजट ही इस सदन के सामने पेश करते आ रहे हैं उसका संबंध वास्तविकता से या अर्थ शास्त्र से कोई होता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक टैक्स वसूल करने का संबंध है, हर साल इस सदन में बहुत ही कटु शब्दों में माँग की जाती रही है कि बकाया धन नहीं रहना चाहिये। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सन् १९५६ से लेकर आज तक हर साल लगभग २५० करोड़ रुपया बकाया चला आ रहा है। मालूम होता है कि हमारे वित्त मंत्री के आर्शीवाद से तथा उनकी छत्र छाया में यह बकाया रूपी वृक्ष दिन रात फल और फूल रहा है, पनपता चला जा रहा है। अगर बकाया रुपये को वसूल नहीं किया गया तो यह धन डूब जायेगा। इस सदन में कई बार यह सुनने को मिला है कि जिन पर यह टैक्स वाजिब है वे आदमी मिलते नहीं हैं या गायब हो गये हैं। लेकिन इस कथन का सत्यता से कोई संबंध नहीं है। कई महानुभाव ऐसे हैं जिन पर लाखों रुपया इनकम टैक्स का बकाया है और वे महानुभाव इस सदन के या राज्य सभा के सदस्य भी हैं। बकाया धन वसूल नहीं होता यह तो एक बहुत पुरानी बात है। आज तो सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ी अमोघ शक्ति डी० आई० आर० की है। उसका सदुपयोग करके राष्ट्र के धन को डूबने से बचाया जा सकता है। मैं अगर भूल नहीं करता हूं तो यह सत्य ही है कि भारत का पूंजीवाद, भारत का पूंजीपति जेल और हवालात से इतना

[श्री ज्योति स्वरुप]

डरता है जितना कि मौत से नहीं डरता। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि बकाया जितना भी टैक्स है, उसको वसूल करने की वह कोशिश करें।

थोड़ा सा प्लानिंग के बारे में अब मैं कहूंगा। सरकार की पंचवर्षीय योजना जो गरीबों को अधिक गरीब और अमीरों को अधिक अमीर बनाती हैं, चलाई जा रही है । इस कथन पर भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू की भी मुहर लग चुकी है । यानी उन्होंने भी इस कथन की पुष्टि की है। इसके अलावा भ्रष्टाचार योजना के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। हमारे देहातों में एक कहानी प्रचलित है । एक सेठ थे। उन्होंने नौकर को आर्डर दिया कि एक सेर दूध रोजाना हमारे लिये लाया करो । नौकर रोजाना दूध ला कर सेठ जी को दे देता था । शाम को वह जाता, दूध लाता और गर्म करके सेठ जी को पिला देता। सेठ जी दूध पीते कुछ तन्दुरुस्त हुये तो उस नौकर के दिमाग में आया कि हो सकता है कि दूध पीने से मैं भी कुछ तन्दुरुस्त हो जाऊं। जब उसके दिमाग में यह बात आई तो दूसरे ही रोज उसने एक कुएं के पास आकर एक सेर दूध में से एक पाव निकाल कर पी लिया और एक पाव उसमें पानी डाल दिया। वह पानी का मिला हुआ दूध जब सेठ जी ने पीया तो उनकी जबान ने कह दिया कि इस में पानी मिला हुआ है । सेठ जी ने फौरन दूसरे नौकर से कहा कि जाओ देखो कि यह नौकर कहाँ गड़बड़ करता है। दूसरे दिन जब पहला नौकर दूध लेने गया तो दूसरा भी उसके पीछे हो लिया। जब वह दूध लेकर आया और आकर पानी मिलाने लगा तो फौरन उसने उस को पकड़ लिया और कहने लगा, यह गड़बड़ करता है। अभी जाकर सेठ जी से कहता हूं। उसने जवाब दिया सेठ जी से मत कहो, तुम भी पाव भर दूध ले लो और हम इस में आध सेर पानी मिला देते हैं। उसने कहा यह भी ठीक है। अब उस में आध सेर पानी मिला दिया गया और आध सेर दूध वे दोनों पी गये ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

सेठ जी ने जब उस दूध को पीया तो कहने लगे कि दूध का जायका और भी खराब होता जा रहा है, पहले से भी खराब हो गया है । उन्होंने अगले दिन तीसरे नौकर को भेज दिया कि जाकर देखे वे क्या करते हैं । पहले दोनों नौकरों को दूध का चसका पड़ गया था और वे दूध लेकर कुएं पर आये और एक एक पाव पी कर पानी मिलाने लगे तो तीसरे नौकर ने पकड़ लिया और कहने लगा कि जाकर सेठ जी को बताता हूं कि इस तरह की गड़बड़ चलती है। उन्होंने कहा कि सेठ जी को मत बताओ तुम भी एक पाव पी लो। उसने कहा यह भी ठीक है। उन्होंने तीन पाव पी लिया और एक पाव जो दूध बचा उस में तीन पाव पानी मिला दिया और रात को गर्म करके सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने दूध पिया तो उनको लगा कि जायका और भी बदला हुआ है। उन्होंने सोचा कि यह भी गड़बड़ करता है । चौथे रोज उन्होंने चौथे नौकर को उनके पीछे भेज दिया.....

श्री स० मो० वनर्जी (कानपुर) : चौथे रोज सेठ जी की बीवी गई थी।

श्री ज्योति स्वरूप : जब वह चौथा नौकर गया और उसने जाकर उनको दूध पीते हुये और दूध में पानी मिलाते हुये देख लिया और शिकायत करने की धमकी दी तो उन्होंने कहा कि नाराज क्यों होते हो, तुम भी एक पाव पी लो। अब सारा दूध वे पी गये और सेठ जी के लिये कुछ भी नहीं बचा। अब जब वे वापिस आये तो एक तो सेठ जी के पैर दबाने लग गया, एक उनका सिर खुजलाने लग गया तीसरा हाथ दबाने लग गया और इसी बीच सेठ

जी बिना दूध पिये सो गये। जब वे सो गये तो नौकरों ने सोचा कि कोई तरकीब करनी चाहिये बचने की। एक होशियार नौकर निकला उन में से और वह किसी हलवाई की दूकान पर जाकर जरा सी मलाई ले आया और लाकर सेठ जी के मुंह से लगा दी। जब सेठ जी सुबह उठे तो उनको दूध की याद आई और कहने लगे कि कल शाम तुम ने मुझे दूध नहीं दिया, तो नौकरों ने कहा कि दूध तो आपने पी लिया था और शीशा लाकर उनके सामने रख दिया और कहने लगे कि यह देखो आप के मुंह पर मलाई लगी हुई है....

अध्यक्ष महोदय : कहानी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब मैं घंटी बजाने जा रहा हूं। दूध तो खत्म हो गया है।

श्री ज्योति स्वरूप : मतलब यह है कि हमारी सरकार जितनी ज्यादा संख्या में कर्मचारियों को बढ़ाती जा रही है, उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उतनी ही चोरियाँ और डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि देश की आर्थिक समस्या, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। मेरा एक और सुझाव है कि जितने इंश्योरेंस यहां पर हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

अन्त में मैं वित्त मंत्री महोदय को गोल्ड कंट्रोल आर्डर के लिये धन्यवाद देता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से यह विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी हर तरह से उनके साथ सहयोग करने के लिये तैयार है। मगर साथ ही स्वर्णकारों के लिये, जो कि इस कंट्रोल से बेकार हुये हैं, कुछ किया जाय। उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी हो जाता है।

हमारी सरकार एक ख्वाब की दुनियां में सैर कर रही है जिसके पास चार इतनी बड़ी बातें हैं जिनसे हर आदमी को भुलावा हो सकता। वे हैं, योजना, घोषणा, संशोधन और उदघाटन इन घोषणाओं से समाजवाद नहीं आ सकता। समाजवाद आने का और तरीका है जिसमें गरीब मजलूम, भूखे, नंगे और खानाबदोश इन्सान की आर्थिक स्थिति को संभालन का प्रयत्न होना चाहिये जब समाजवाद का नारा लगाया गया है तो जब तक उन गरीब आदमियों को रोटी और कपड़ा नहीं मिलेगा तब तक समाजवाद कैसे माना जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री फ० गो० सेन पांच और ६ मिनट लें।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : मुझको टाइम नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : अब की तो रह गया, अगली बार दखा जायेगा।

†**श्री फ० गो० सेन** (पूर्निया) : देश के औद्योगीकरण की कोशिश की जा रही है, परन्तु जो धनी है उन को लाभ हो रहा है जो गरीब हैं उन को लाभ नहीं हो रहा है।

कृषि क्षेत्र जिस पर मुख्यतया देश की अर्थ व्यवस्था निर्भर है उसकी ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अनाज के आयात की नीति उचित है क्योंकि इसके बिना बहुत कठिनाई होगी। हम खाद्यान्न के उत्पादन में आत्म निर्भर नहीं है।

औद्योगिकों को उद्योगों के विकास के लिए काफी रास्ते हैं। कृषिकों को अपना उत्पादन जिन दामों पर उद्योग ले उन्हीं पर देना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ० गो सेन]

तम्बाकू पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है। इस से तम्बाकू के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। हुक्का और बीड़ी के तम्बाकू में मतभेद खत्म करना चाहिए।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या अब और रियायतें दी जाएंगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : और रियायतें नहीं दी जाएंगी।

कराधान और करों के बकाया के बारे में आलोचनाएं वैसी ही हैं जैसी वे पहले होती थीं और जो मैंने प्रत्येक वर्ष ऐसे अवसरों पर कहा है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। चूंकि मैं बकाया राशियों की वसूली की और करापवंचन को रोकने को बहुत महत्व देता हूं, अतः इस सम्बंध में जो कहा जाए मैं उस की ओर ध्यान देता हूं और इन मामलों की ओर सारा वर्ष ध्यान देता हूं।

डा० सिंघवी ने मुझे कहा कि उनका रवैया बहुत कड़ा है। स्वर्ण नियंत्रण आदेश के बारे में या मद्यनिषेध पर वे भी अपने विचार नहीं बदलते। मंत्री के लिए हर आलोचना के आगे झुकना और प्रत्येक सुझाव को स्वीकार करना उचित नहीं। ऐसे मंत्री का सरकार में रहने से कोई लाभ नहीं। मंत्री का इस बात को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है कि जो काम वे करते हैं वे सभा द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनकूल हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यायोचित है।

इसी सम्बंध में श्री हरवानी ने कहा कि ऊंचे स्तर में भ्रष्टाचार दूर करने में मैं असफल रहा हूं। परन्तु उन्होंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला बन्द करने के लिए मुझसे सिफारिश की।

†**श्री अन्सार हरवानी** : मैं चाहता हूं कि पत्र सभा पटल पर रखा जाए।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं अवश्य इसे सभा पटल पर रख दूंगा। मुझे ऐसा करने में कोई ऐतराज नहीं है और फिर सभा इस पर निर्णय करे। सिराजुद्दीन के बारे में यह मामला है। यदि ऐसी बातें हैं तो ऐसा करने का क्या लाभ है ? . . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

†कुछ माननीय सदस्य : शर्म, शर्म।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह मामला कुछ पहले उठा। मैं उसका कोई दोष नहीं निकाल रहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिसे कुछ मामलों के बारे में बताया जाता है वह उस के बारे में न्याय करवाने की कोशिश करता है। संसद के प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि जिस मामले में न्याय चाहते हैं उस की ओर मेरा ध्यान दिलाएं। प्रत्येक व्यक्ति को हर मामले में सावधान रहना चाहिए। परन्तु मैंने उन्हें बताया कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने किया है उचित है। सीमा शुल्क का मामला बन्द नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे और उस के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में करने या बकाया के अपवंचन के मामले में किसी को भी कानून से नहीं बनाया जाएगा। सीमा केवल लोकतंत्र और लोक तंत्रीय प्रक्रिया की है। हम तो विधि के नियमों में विश्वास रखते हैं। यदि कानून के नियम किसी को बचा दें तो उन्हें बचने का अधिकार है। कुछ माननीय सदस्य भी ऐसे लोगों को बचने में सहायता देते हैं, क्योंकि ऐसा करना वे अपना उत्तरदायित्व समझते हैं . . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री मौर्य** (अलीगढ़) : विशेषकर मंत्री।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं सभी के बारे में कहता हूं । उस श्रेणी में मंत्री भी हैं । मैं अपने लिए कोई उत्तम स्थान नहीं चाहता । माननीय सदस्य समझते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं और कि मंत्री तो शैतान है । मंत्री एसा नहीं समझते । हम तो इन्सान हैं (**अन्तबांधाएं**) ।

†**श्री त्यागी :** कई बार लोग एसे मामले लाते हैं जो ऊपर से ठीक लगते हैं । उनके बारे में मंत्रियों को लिख दिया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा उन्होंने तो पहले ही कह दिया है ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस सम्बंध में मेरे मन में कोई सन्देह नहीं है ।

मैं यह नहीं कहता कि कोई बुरी नीयत से मामला मेरे सम्मुख लाता है । मैं किसी पर लांछन तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरे पास इसका सच्चा प्रमाण न हो। क्योंकि यह दोषारोपण करने के बराबर है और जब मैं किसी पर दोषारोपण करता हूं तो उसका समर्थन भी करता हूं । तथापि जब तक मुझे विश्वास न हो जाये तब तक मैं बदनीयती का आरोप नहीं लगा सकता हूं । अतः मैं इस मामले में माननीय सदस्य से विनम्रता की आशा करता हूं ।

इस संबंध में न्यू एशियाटिक बीमा कम्पनी का उल्लेख किया गया तथा श्री बिड़ला का नाम लिया गया । इस संबंध में जांच की गई तथा लेखा परीक्षक नियुक्त किये गये । उन्होंने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं तथा वे गोपनीय हैं । अतः उन्हें विधि मंत्रालय और महावादेक्षक को भेजा गया है महावादेक्षक ने दोनों पक्षों से स्पष्टीकरण पूछा था । तदुपरांत उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण के आधार पर मामला चलाये जाने की आवश्यकता नहीं है । तब इन मामलों को यहां रखने से क्या लाभ ।

यदि मंत्रियों पर विश्वास न हो तो उन पर अभियोग चलाया जाना चाहिये या उन्हें हटा देना चाहिये । यदि मंत्रीगण उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से भयभीत होते हैं तो यह भी ठीक नहीं है । तथापि इस मामले पर पूरा पूरा ध्यान दिया जायेगा तथा उनके साथ न्यायोचित बर्ताव किया जायेगा । मेरा यह सिद्धांत है और मैं सदैव इस सिद्धांत का पालन करूंगा ।

श्री कामत ने वित्त मंत्राणादाताओं का प्रश्न उठाया था । वित्त सलाहकार अपना कार्य बहुत सतर्कता से कर रहे हैं । यदि सरकार का कार्य ठीक से करना है तो प्रत्येक मंत्रालय के पास ऐसा अधिकार होना चाहिये कि वह एक व्यक्ति की राय के कारण सारा मामला रुक जाये । अतः उन्हें उनकी राय के विरूद्ध जाने का पूरा अधिकार है । प्रशासकीय मंत्रालयों को पूरा अधिकार है कि वे काम आरम्भ करें अन्यथा सारा दोष वित्त मंत्रालय पर जायेगा । अतः प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है । तथापि यदि वित्त सलाहकार यह अनुभव करे कि उसकी सही बात का भी उल्लंघन किया गया है तो वह मुझे सूचित कर सकता है । मैं हमेशा ऐसे मामले पर विचार करने को तैयार हूं ।

यह सारी कार्यवाही लिखित होती है अतः गलतियां छिपाने का उन पर विचार करने का विचार उत्पन्न ही नहीं होता है ।

वित्त मंत्रालय देश की रक्षा, उसके प्रशासन तथा विकास के लिए राजस्व एकत्रित करती है, अतः यह भी वित्त मंत्रालय का कर्त्तव्य है कि वह यह देखें कि उस राशि का उचित उपयोग किया जाये । वित्त मंत्रालय अपने दायित्व को पूरी तरह निभाने का प्रयत्न कर रहा है, संभव है मेरी क्षमता कम हो तथापि मैं अपनी क्षमता के विकास का प्रयत्न कर रहा हूं । यदि वे कुछ विशेष मामलों की ओर ध्यान दिलायेंगे तो मैं उनकी जांच करूंगा तथा उनके संबंध में माननीय सदस्यों को जानकारी दूंगा । वस्तुतः प्रत्येक करदाता को इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का पूरा हक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देशाई]

इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि भारत सरकार में कोई गलती नहीं होगी। ऐसा करना ईश्वर के लिए भी संभव नहीं है। तथापि जो गलती करता है उसे उसका दंड अवश्य दिया जाता है। इस कार्य में मैं माननीय सदस्यों के सहयोग की कामना करता हूं। एक माननीय सदस्य ने जीप का उल्लेख किया और श्री देशमुख के नाम का उल्लेख किया। श्री देशमुख ने स्वयं सभा में कहा था अब इस विषय में कुछ करना बाकी नहीं है। यह कहना कि प्रधान मंत्री ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया प्रधान मंत्री तथा श्री देशमुख का भी अनादर करना है।

भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने यह सुझाव दिया है कि अपराधी को कोड़े लगाये जाने चाहिए। मैंने यह नहीं कहा कि फांसी लगानी चाहिये बल्कि यह कहा था कि कोड़े लगाना फांसी लगाने से भी बुरा है। वस्तुतः हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ उखाड़ दी जाये भ्रष्टाचार तभी समाप्त हो सकता है जबकि लेने और देने वाले दोनों ही को जनता के सामने लाया जाये। यदि हम सरकारी कर्मचारियों को दंड देंगे तथा जो उन्हें घूस देते हैं उनसे मित्रता करेंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। वस्तुतः आजकल यही बात हो रही है।

श्री यशपाल सिंह मुझे ७०० करोड़ रूपये का उपहार दे रहे थे। तथापि मुझे ज्ञात हुआ कि वह उपहार नहीं एक काल्पनिक सुझाव मात्र था। क्योंकि कुल बकाया राशि ३०० करोड़ से अधिक नहीं है। तो क्या मैं उनका धन ले लूं। उन्हें कोई ठोस प्रस्ताव रखना चाहिये मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। वस्तुतः इस प्रकार के सुझाव नहीं देने चाहिए जिन पर अमल करना असंभव हो। उन्होंने कहा है कि सिनेमा और नृत्य पर १८० करोड़ रूपये व्यय होते हैं तो क्या लोगों को सिनेमा और नृत्य गृहों में जाने का भी कोई हक नहीं है। सब लोग उनकी तरह नहीं है। हम दुनियां से सिनेमा और नांच को नहीं हटा सकते हैं। हम केवल इस बात का प्रयत्न कर सकते हैं कि इससे होने वाली हानि कम से कम हो। सारे सिनेमा इत्यादि बन्द करने पर भी जनता १८० करोड़ रूपये प्राप्त नहीं कर सकती है।

उन्होंने कहा हैं कि संसद तथा विधान सभा के सदस्यों के वेतनों से १०० लाख रूपये की बचत हो सकती है। मेरे विचार से प्रत्येक व्यक्ति इतना खुशहाल नहीं है जितना कि वे तथा वे बिना वेतन लिए विधान सभाओं में नहीं आ सकते हैं। माननीय सदस्यों को भी अपने परिवार का भरण पोषण करना होता है। क्या इसका तात्पर्य यह है कि केवल अच्छे पद और स्थिति के व्यक्ति ही लोक सभा में आयें तथा अन्य सबका प्रतिशोध कर दिया जाये। वस्तुतः ऐसा करना संभव नहीं है।

श्री कामत ने कहा है कि मुझे सुराज लाना चाहिए। यह ठीक है स्वराज के तात्पर्य सुराज ही होते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि एक व्यक्ति सुराज नहीं ला सकता है। सुराज ४४ करोड़ व्यक्तियों के प्रयत्नों से ही आ सकता है इसके लिये सभी को सु बनना पड़ेगा। हम पहिले बिलकुल पेंदी पर थे अब धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। अतः हमें अपनी चाल तेज करनी चाहिए। हमें इसके लिये ठोस कदम उठाने चाहिये। इसके लिये मैं माननीय सदस्य के सहयोग का आभारी रहूंगा।

इसके पश्चात् राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों का प्रश्न उठाया गया है। यह कहा गया कि अनुदान का उचित उपयोग नहीं किया गया। मुझे कोई ऐसा उदाहरण ज्ञात नहीं है। तथापि यह स्मरण रखना चाहिये कि राज्य स्वायत्तशासी होते हैं तथा अनुदान देकर हम उन पर अहसान नहीं करते हैं। केन्द्र की पूंजी भी उन्हीं लोगों से प्राप्त होती है जो राज्यों में रहते हैं। राज्य उस अनुदान का प्रयोग नियमों के अधीन करते हैं।

राज्यों को कुछ समय के लिये यह अधिकार दिया गया है कि वे एक मद के अधीन एक शीर्ष की कुछ सीमित राशि लेकर उसका प्रयोग दूसरे शीर्षक के लिये कर सकते हैं। तथापि हम इस बात का

प्रयत्न करते हैं कि उनका उपयोग उचित तरीके पर किया जाये । निसंदेह कार्य की सुविधा के लिये हम उन्हें अनुदान अग्रिम रूप से देते हैं तथापि महालेखा परीक्षक यह कहते हैं कि हमें लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार ही राशि दी जानी चाहिये । इसके लिए पहिले राज्यों को धन की व्यवस्था करनी होगी तदुपरांत उसे व्यय करना होगा । प्रश्न यह है कि वे रूपया कहां से लायेंगे ?

इस संबंध में यह कहा गया है कि राज्य खाते में लिखित राशियों से अधिक राशियां ले रहे हैं। निसंदेह इस प्रवृत्ति में पिछले चार पांच वर्षों में काफी वृद्धि हुई है । तथापि हम इसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैंने उन्हें अंततोगत्वा यह बता दिया है कि अनुमति प्राप्त रियायत से यदि वह अधिक राशियां लेंगे तो रक्षित बैंक उनके चैक वापिस लौटा देगा । अभी तक यह होता है कि रिजर्व बैंक हमें बताता है और हम इस राशि का भुगतान करते हैं । यदि मैं उन्हें यह राशि न दूं तो बैंक इस बात को सहन नहीं करेंगे । राज्य इसलिये ऐसा करते हैं कि उनके पास राशि की कमी हो जाती है । तथापि हम इसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं । जब मैं इसे पूरी तरह रोकूं तो माननीय सदस्य राज्यों का पक्ष नहीं लेंगे तथा यह नहीं कहेंगे कि आप इन पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं ।

जम्मू और काश्मीर राज्य का भी उल्लेख किया गया था विशेषतः उन मामलों का जो वहीं चल रहे हैं । उनका व्यय विधि मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है ।

मेरे पास विधि मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले व्यय के संबंध में आंकड़े है । अब तक किया गया कुल व्यय २७ लाख है । इसमें से काफी रूपये धन कर या अधिकर के रूप में वापस आ जायेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि वकील को प्रति दिन २००० रुपये मिलते हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : एक वरिष्ठ वकील के १६६५ रुपये फीस मिलती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या उसे आवास आदि निःशुल्क मिलता है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : उसे यात्रा में जेब खर्च मिलता । किन्तु जिस व्यक्ति को आय १० लाख रुपया हो उसमें से मैं ८ लाख रुपया ले लेता हूं, २० लाख की आमदनी में से १७ लाख रुपया ले लेता हूं । इस प्रकार २७ लाख की आय वास्तव में २७ लाख नहीं रह जाती और सरकार को इतना रुपया नहीं देना पड़ता ।

बक आफ चाइना के बारे में प्रश्न किया गया था । यह बैंक समापन अधीन है । मैं ने इस के लेखों को साधारण रूप में देखा था उसमें कुछ अनियमित नहीं मिला । रक्षित बैंक लेखों की जांच कर रहा है और कुछ अनियमित बात मिली तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोई गड़बड़ हुई है ।

†**श्री त्यागी** : क्या किसी राजनैतिक दल अथवा नेताओं के उस में लेखे हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : एक दो साम्यवादी समाचारपत्रों की समितियों के लेखे हैं जो कि वैध हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वित्तीय नियमों के अधीन तो किसी का पैसा लेना नियमित है किन्तु राष्ट्रीय दृष्टि से अवैध है । इस की जांच होनी चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह जांच की जा रही है । एक मामले का उल्लेख किया गया था कि किसी व्यक्ति के २ लाख रुपये के शेयर हैं किन्तु उसने एक चेक के पैसे नहीं लेने दिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

मेरे मित्र ने एक कागज़ की फोटो प्रतिमां सब में परिचालित की हैं और मुझे भी मिली है। यह मामला आयकर आयुक्त को जांच के लिए सौंप दिया गया है। पूरी जानकारी मिलने पर मैं सब आवश्यक बातों का पता करूंगा ।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश के सम्बन्ध में मेरे स्पष्टीकरण देने पर भी माननीय सदस्यों के विचार स्पष्ट प्रतीत नहीं होते । वे समझते हैं कि यह आदेश इस लिए दिया जाता है कि लोग से सोना ले लिया जाये । वह परिणाम तो योगवश है । मुख्य उद्देश्य यह है कि सोने का तस्कर व्यापार बन्द हो और जिस बड़ी राशि का उपयुक्त निवेश हो सकता है वह बाहर न जायें। यदि सोना आये तो लाभदायक है । बहुत कम सोना मिला है । अधिकांश सोना जेवरों के रूप में है ।

निस्संदेह कुछ सुनार विस्थापित हो गये हैं । हम उनकी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में राज्यों से निवेदन करने पर उनकी दो योजनाएं आई हैं ।

†**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : कितने प्रतिशत सुनार विस्थापित हुए हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** यह तो नहीं कहा जा सकता किन्तु देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम लोग हैं जो सोने के गहने रख सकते हैं । अतः बहुत से सुनार चांदी तांबे आदि के गहने पहनते हैं । आदिवासियों और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम सोना है । इस सम्बन्ध में बहुत दुखपूर्वक कुछ एक संभवतः दर्जन तक आत्म हत्या के मामलों का उल्लेख किया गया है । इसे बढ़ा चढ़ा कर कहने का कोई काम नहीं । किन्तु यदि श्री बनर्जी अत्युक्ति करेंगे तो स्वभावतः मैं इसकी उपेक्षा ही करूंगा । आत्म हत्या के मामलों के बारे में मुझे बहुत दुख है । ऐसी सैंकड़ों आत्म हत्याएं होती हैं । मेरे राज्य में हर वर्ष ७००,८०० आत्म हत्याएं होती है । संसार में ऐसा कोई देश नहीं जहां आत्म हत्याएं न होती हो। हम इसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

हम यह स्वीकार करते हैं कि स्वर्ण नियंत्रण एक क्रान्तिकारी उपाय है और ऐसे उपाय से चाहे कुछ भी किया जाये समाज के किसी वर्ग पर प्रभाव पड़ता ही है । आज़ादी मिलने पर देश का विभाजन हुआ और बहुत से लोगों को विपत्ति का सामना करना पड़ा । हमने उनकी सहायता का प्रयत्न किया किन्तु हर किसी की सहायता नहीं कर सके किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम में सहानुभूति नहीं थी या हम उपेक्षा भाव रखते थे । अतः इसे अच्छा बनाने के लिए जो समायोजन उपयुक्त हुए किये जायेंगे ।

किसी को भी इस बारे में गलत धारणा नहीं होनी चाहिये कि १४ केरेट सोने को २२ केरेट कर दिया जायेगा । वह ९ केरेट तो हो सकता है परन्तु २२ नहीं क्योंकि हम धीरे धीरे सोने की मांग समाप्त करना चाहते हैं ।

मेरा विश्वास है कि मेरे मित्र गलतियां निकालने की बजाय इसे सफल बनाने में मेरे सहायक होंगे । श्री यशपाल ने कहा था कि हमें प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में एक मत होना चाहिये । हम तभी एकमत हो सकते हैं । जब हमारे उद्देश्य और दृष्टिकोण भी एक हों । हम उन मामलों में भी आपकी सहायता पाने का प्रयत्न करेंगे जिनमें आप गलतियां निकालने

---

†मूल अंग्रेजी में

का प्रयत्न करते हैं किन्तु मुझ से यह आशा नहीं करनी चाहिये कि मैं आरोपित की गई हर गलती को स्वीकार कर लूंगा ।

श्री प्रभात कार ने कहा कि मैं ने यह स्वीकार नहीं किया कि किसी ने मुझे सुझाव दिया था और मैंने उसका आभार प्रकट नहीं किया । किन्तु यह उनका मूल सुझाव नहीं था । आजादी से भी पहले इस पर विचार किया गया था जिसका पता फाइलों से लगता है । आय-व्ययक के दिनों में भी मुझे कई सुझाव मिलते हैं जिनसे मैं लाभ उठाता हूं किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसे ही विधेयक बनाया जाता है । किन्तु मैं उन सुझावों के लिए आभारी हूं ।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि श्री प्रभात कार ने यह कैसे कहा कि काफी कर की वसूली न होने का कारण यह है कि राज्यों द्वारा कर वसूल करने की पद्धति अपनायी गई है । आयकर का निर्धारण होने के पश्चात् अधिकांशतः आयकर अधिकारी उसकी वसूली करते हैं और जब वसूली में कठिनाई होती है तो उसे भूराजस्व के रूप में जिला दंडाधीशों या कलेक्टरों द्वारा वसूल करवाया जाता है तब राज्य अधिकारियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है । बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े नगरों में स्थानीय राजस्व अधिकारियों के पास बहुत अधिक काम होता है अतः हमारे खर्च पर राज्य की ओर से विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जो बकाया कर की वसूली करते हैं ।

हर वर्ष कहा जाता है कि बकाया कर बढ रहा है और हर वर्ष मैं कहता हूं कि यह बात सच नहीं बल्कि बकाया वसूली कम हो रही है । १९५७ में बकाया कर सहित कुल मांग ४७१ करोड़ रुपये की थी जब कि वर्ष के अन्त में केवल १५७ करोड़ रुपये की राशि बाकी रह गई । १९६१–६२ में उक्त मांग ५४४ करोड़ रुपये की थी जब कि वर्ष के अन्त में केवल १४९ करोड़ रुपये की वसूली बकाया लग गई । इस प्रकार बकाया वसूली कम हो रही है और हम यह वसूली करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं । हम पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद ही रकम के बट्टे खाते डालते हैं जब यह देख लेते हैं कि जेल में डाल कर या सम्पत्ति लेकर भी वसूली नहीं हो सकती ।

†**श्री प्रभात कार :** लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रशासन के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि वसूली प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब होने के कारण ही आस्तियां अन्तरित अथवा बेची जा सकती हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं इसे स्वीकार करता हूं किन्तु लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के प्रति सम्मान का भाव होते हुए भी मैं उनके हर निर्णय को स्वीकार नहीं कर लेता यह संभव भी नहीं है क्योंकि वे इसी प्रकार अपनी राय बना लेते हैं जैसे डा० सिंघवी ने बताया कि उनके अनुसार भारतीय वित्त निगम ने तीन राज्यों के प्रति उपेक्षा भाव रखा है । भला उसने कैसे उपेक्षा भाव रखा है ? क्या यह उसका काम था कि वे लोगों से कहता कि इन राज्यों में धन का निवेदन करो (**अन्तर्बाधाएं**) ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : यह तो सरकार का स्पष्ट निदेश है । पता नहीं उन्होंने इसका क्या किया है ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

†**श्री मोरारजी देसाई :** निदेशक का अर्थ ठीक प्रकार से नहीं समझा गया । उसका तो अभिप्राय है कि जब दो बातें एक समय हों तो अमुक राज्य को प्राथमिकता दी जाये किन्तु उसका यह मतलब नहीं कि वे लोगों को पैसा देकर राज्यों में भेजें ।

†**श्री दासप्पा :** किन्तु सरकार का निदेश कार्यान्वित होना चाहिये था और सरकार के पास यह जानने का उपाय होना चाहिये था ।

†**श्री प्रभात कार :** मैं लोक-लेखा समिति की सिफारिश की बात नहीं कहता प्रत्युत सरकार के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया था ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** अन्त में मुझे श्री अचल सिंह के इस कथन की ओर निर्देश करना है कि सरकारी उपक्रम अधिक कुशलतापूर्वक चलाये जाने चाहियें ताकि वे अधिकाधिक धन सरकारी कोष को दे । उन्होंने कहा कि रेलवे १६०० करोड़ के निवेश पर ८ करोड़ रुपया देती है जो कि पर्याप्त नहीं है । वास्तव में रैलवे पहले ४.२५ प्रतिशत लाभ देती थी जो बढ़ा कर ४.५० प्रतिशत कर दिया गया है जिससे वह पिछले वर्ष के ६९ करोड़ रुपये के स्थान पर ८१ करोड़ रुपया देगी । श्री अचल सिंह को इस कारण गलत लगी है कि कभी कभी रेलवे द्वारा दिया जाने वाला लाभांस ब्याज के भुगतान के रूप में दिखाया जाता है । लेखे के ये ढंग समझने कठिन होते हैं । कभी कभी मैं भी नहीं समझ पाता । मेरा निवेदन है कि जब कभी ऐसी कठिनाई हो तो वे मुझ से पूछें । मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी । हम इसके लिए प्रयत्नशील है कि सरकारी उपक्रमों से पूरा लाभ प्राप्त हो । इस्पात कारखानों पर हमने प्राय: ७०० करोड़ से अधिक रुपया लगाया है और काफी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा । गैर सरकारी कम्पनियों को भी पहले पहल हानि होती है । टाटा को भी पहले १५ वर्ष लाभ हीं हुआ था । पूरी क्षमता से कारखानें के चलने पर ही लाभ होता है । हमें तीन चार साल तक अशोक होटल की आलोचना सुननी पड़ी है कि उससे हमें हानि हो रही है किन्तु अब उससे न केवल लाभ प्राप्त हो रहा है बल्कि सारी कमी पूरी हो रही है । सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे और अधिक धैर्य दिखायें ताकि सरकारी उपक्रमों की गलत आलोचना न हो ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२४	वित्त मंत्रालय	१,७१,७६,०००
२५	सीमा शुल्क	३,८२,८३,०००
२६	संघ उत्पादन शुल्क	९,६५,५६,०००
२७	आय पर कर निगम कर आदि सहित	६,३०,९५,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
२८	स्टाम्प .	२,७९,१६,०००
२९	लेखापरीक्षा .	१२,०१,८३,०००
३०	चलमुद्रा और सिक्के	८,५३,५६,०००
३१	टकसाल . .	२,३१,४८,०००
३२	कोलार की सोने की खानें . .	५,११,६३,०००
३३	पेंशन तथा सेवानिवृति के अन्य लाभ .	४,४३,७३,०००
३४	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	२१,०१,०००
३५	अफीम	५५,३०,०००
३६	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	८०,८८,३७,०००
३७	योजना आयोग . . .	८७,२९,०००
३८	राज्यों को सहायतार्थ अनुदान . . .	१,४०,५९,०४,०००
३९	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन .	२२,९९,०००
४०	विभाजन-पूर्व के भुगतान . .	८,७४,०००
११९	इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय . .	१७,०३,०००
१२०	चल-मुद्रा और सिक्कों पर पूंजी परिव्यय .	१३,१५,२३,०००
१२१	टकसालों पर पूंजी परिव्यय . .	१६,९८,०००
१२२	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय	३,२९,३८,०००
१२३	सेवा-निवृति वेतन का राशिकृत मूल्य . .	९७,०७,०००
१२४	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	५९,००,२१,०००
१२५	विकास के लिए राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	२२,५३,०१,०००
१२६	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन .	१,५४,९९,४९,०००

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक-सभा राज्य-सभा तथा उप-राष्ट्रपति के सचिवालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०९	लोक-सभा .	८८,१८,०००
१११	राज्य सभा	३९,४३,०००
११२	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	१,१३,०००

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बद्रीनाथ की यात्रा

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इस आशय की चेतावनी दी है कि इस वर्ष बद्रीनाथ की यात्रा न की जाये;

(ख) यदि हां, तो यह चेतावनी किस आधार पर दी गई है; और

(ग) क्या यह चेतावनी भारत सरकार से परामर्श करके उसकी सहमति से दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) निम्न कारणोंवश यात्रियों को बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाने को मना कर दिया गया था :—

(१) यातायात में रुकावट तथा मोटर गाड़ियों की कमी के कारण कठिनाई से बचने के लिए; और

(२) कम-कार्य संपादन हो सकने वाले मौसम में इस सड़क के निर्माण कार्य में यथासंभव अधिकाधिक प्रगति के लिए ।

(ग) विषय के सभी पहलुओं पर ध्यान करने के पश्चात्, राज्य सरकार ने, १९६२ की तरह, चेतावनी जारी कर दी है । चेतावनी जारी करने से पहले राज्य सरकार को भारत सरकार के विचारों का ज्ञान था ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह निर्णय करने से पहले या अब भी गवर्नमेंट ने इस बात पर विचार किया है कि बद्रीनाथ यात्रा का सम्बन्ध कई हजार परिवारों से है ? स्वयं बद्रीनाथ कमेटी की आय भी इस पर निर्भर करती है । बहुत से संसद् सदस्य भी वहां जाना चाहते हैं । इसलिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है या अभी भी की जायेगी कि सड़क निर्माण का काम भी चलता रहे और यात्रा में भी रुकावट न आये ? क्या इस पर विचार किया गया है या विचार किया जा रहा है ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण :** मामले के सभी पहलुओं पर विचार करके यह निर्णय किया गया कि बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को परामर्श दिया जाये कि वे वहां न जायें ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो सलाह केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है क्या इसका मतलब यह है कि जो यात्री यात्रा करना चाहेंगे उन्हें रोक दिया जायेगा या गिरफ्तार कर लिया जायेगा, या वे अपनी जिम्मेवारी पर जा सकते हैं ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण :** प्रतिबन्ध नहीं लगाया है परन्तु राज्य सरकार ने यात्रियों को परामर्श दिया है कि वे वहां न जायें ।

श्री बड़े : यह जो प्रतिबन्ध लगाया गया है यह कितने महीने के लिए है । क्या पैदल यात्रा करने वालों पर भी यह प्रतिबन्ध लागू होगा ? यह कितने महीने के लिए है ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण :** यह पूरे मौसम के लिए है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : इसी मौसम के लिए है।

श्री स० मो० बनर्जी : इससे पहले जब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद वहां गये थे तो उस सड़क पर काफी रुपया खर्च हुआ था। में पूछना चाहता हूं कि यह सड़क पहले से क्यों नहीं बनायी गयी, और यदि नहीं बनायी गयी तो यह किसकी जिम्मेदारी है, सूबे की सरकार की या केन्द्रीय सरकार की ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण:** पहले यह काम राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था। हाल में ही हम ने यह निर्णय किया है कि इस सड़क को जिम्मेदारी सीमा सड़क विकास संगठन को सौंपी जाये तथा गत दो वर्षों से काम इसी प्रकार हो रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि कुछ दिनों पहले यह निर्णय किया गया था कि इस सड़क को उत्तर प्रदेश की पी० डब्ल्यू० डी० से लेकर केन्द्रीय सरकार का जो बार्डर रोड आरगेनाइजेशन है उसके साथ में दे दिया जाये ? मेरी सूचना के अनुसार उसका लेना स्थगित कर दिया गया है। यह कहां तक सच है, और इसको क्या हमेशा के लिए स्थगित कर दिया गया है या और किसी समय इसको लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो कहते है कि ले लिया गया है।

श्री भक्त दर्शन : नहीं लिया गया है।

†**श्री दा० रा० चह्वाण :** हम प्रबन्ध जुलाई में ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझा नहीं।

श्री यशपाल सिंह : क्या हमारी यूनियन के निवासियों की अपनी इंडीवीजुअल जिम्मेदारी भी है। यह कहा जाता है कि वे अपनी जिम्मेवारी पर जा सकते हैं। क्या हर एक इंडीवीजुअल अपनी जिम्मेवारी पर जा सकता है और राज्य की उसकी हिफाजत की कोई जिम्मेवारी नहीं है। यह एक फ्रेज चल गया है कि अपनी जिम्मेवारी पर जा सकते है।

अध्यक्ष महोदय : फ्रेज नहीं चल गया है। उन्होंने मशवरा दिया है कि कोई न जाये। अगर कोई उस सलाह को इगनोर करके जाता है तो वह जा सकता है।

श्री ब्रजराज सिंह : जनता में यह धारणा उत्पन्न हो रही है कि चीनी आक्रमण के कारण यह प्रतिबन्ध लगाया गया है, यह कहां तक सच है ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण :** यह ठीक नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों का कथित अपहरण

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"७ अप्रैल, १९६३ के सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा कालिन्दी नदी के भारतीय क्षेत्र के पानी में से ७ भारतीय राष्ट्रजनों का कथित अपहरण।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : १५ अप्रैल, १९६३ को भारत सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचना दी थी कि ५ अप्रैल, १९६३ को कुछ पाकिस्तानी पुलिस कर्मचारी एक मोटर-कोच में पश्चिमी बंगाल के ज़िला २४ परगना के पी० एस० हिंगुलगुंग के अन्तर्गत बकरा के निकट कालिन्दी नदी के भारतीय क्षेत्र के पानी में अवैध प्रवेश कर आये थे। यह समाचार है कि अवैध प्रवेश करने वाले वे लोग भारतीय राष्ट्रजन की एक चौकी को जिस में ७ भारतीय राष्ट्रजन और ४५ मन धान था ले गये हैं।

९ अप्रैल को इस घटना का संक्षिप्त समाचार पत्रों में छपा था जिसे देख कर भारत सरकार ने तथ्य जानने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को उसी दिन तार दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार से घटना का पूरा ब्योरा अभी नहीं मिला। किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने ९ अप्रैल, १९६३ को पूर्वी पाकिस्तान सरकार की जो टिप्पण भेजा था उस में पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय क्षेत्र में अवैध घुस आने और उनकी ज्यादती के बारे में विरोध प्रदर्शित किया गया है। पूर्वी पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की गई है कि मामले की तुरंत जांच की जाये और अपहृत भारतीय राष्ट्रजनी नौका और सामान को छोड़ दिया जाये। पूर्वी पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया और अपहृत राष्ट्रजनों के बारे में कोई समाचार नहीं मिला।

ढाका स्थित हमारे उप-आयुक्त, राज्य-स्तर के प्रयत्नों के साथ-साथ, इस मामले की पैरवी करेंगे। उन से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** : चूंकि अपहरण की ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती हैं सरकार लोगों की रक्षा के लिए क्या कर रही है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया गया है। जब नदी का पानी उतर जाता है तो निश्चित नहीं किया जा सकता कि नदी का मध्य भाग कहां है और पाकिस्तानी यह कह कर दूसरे राष्ट्र जनों ने अवैध प्रवेश किया हमारे इलाके में घुस आते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं और समय समय पर राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मामला उठाया जाता है।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या हम यह समझें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो सकेंगी इस के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है।

†**श्री हेम बरूआ** : (गोहाटी) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये घटनायें बढ़ती जा रही हैं, क्या सीमान्त पर रहने वाले लोगों की रक्षा के लिये कोई पग उठाये जायेंगे या हम पाकिस्तान को केवल विरोधपत्र ही भेजते रहेंगे, जिन का हमें उत्तर नहीं मिलता?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : साधारण उपाय किये जाते हैं और कोई असाधारण बात नहीं हुई।

वक्तव्य में कहा गया है कि ढाका में हमारे उपायुक्त के द्वारा कदम उठाये जाते हैं कि मामले की जांच की जाये और देखा जाये कि क्या घटनायें हुई हैं और इन को कैसे क्रियान्वित किया जाये। मेरे विचार में इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्न पत्र पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ९ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४२ की एक प्रति **(पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ११४३—(६३)**

(२) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक २ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३३२ ।

(२) दिनांक १६ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४३३ ।

(३) दिनांक १६ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४३४ ।

(४) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४६७ ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ११४४।६३)

प्राक्कलन समिति

अट्ठारहवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) को निम्नलिखित प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का अट्ठरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(क) विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय सम्बन्धी एक सौ-उन्तीसवां प्रतिवेदन;

(दो) एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल संगठन सम्बन्धी एक-सौ-तीसवां प्रतिवेदन; और

(तीन) केन्द्रीय यंत्रचालित फार्म, सूरतगढ़ सम्बन्धी एक-सौ-इकतीसवां प्रतिवेदन ।

चीनी की स्थति और उससे निबटने के लिए किये गये उपायों के बारे में वक्तव्य

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : आप की अनुमति से मैं उन उपायों के सम्बन्ध में, जो हम चीनी के बढ़ते हुए मूल्यों और कम उत्पादन की स्थिति में किये गये हैं, एक वक्तव्य दूंगा ।

मुझे मालूम है कि माननीय सदस्यों ने प्रश्नों तथा भाषणों के जरिये चीनी की स्थिति के बारे में चिन्ता प्रकट की है। मैंने सोचा था कि कार्यवाही करने की तैयारी के बाद मैं इसका उल्लेख करुंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

सदन को याद होगा कि जब सितम्बर १९६१ में चीनी पर से नियंत्रण हटाया गया था, सरकार केवल समय समय पर चीनी को बाजार में ला कर मूल्यों पर नियंत्रण रख सकती थी। उस के बाद हम ने गन्ने के निम्नतम मूल्यों के आधार पर मूल्य निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। दिसम्बर १९६२ तक हम ऐसा करने में सफल रहे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टाक थे। वास्तव में उद्योग को यह शिकायत रही है कि मूल्य प्रायः लागत से कम हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की उपज की कमी और मौसम के असाधारण होने के कारण, १९६२-६३ के उत्पादन मौसम में गन्ने की कमी थी। यह स्थिति और भी गम्भीर हो गई थी, क्योंकि गुड़ के मूल्य अत्यधिक थे और गन्ने से चीनी की बजाय गुड़ बनाने के लिए प्रयोग किया गया।

दिसम्बर में, चीनी उत्पादन की कमी इतनी नहीं होगी कि कोई गम्भीर समस्या पैदा हो जाये। मौसम के चालू होने के साथ साथ, यह स्पष्ट होता गया कि चालू उत्पादन में काफी कमी होगी। गुड़ के मूल्य भी अधिक रहे, यद्यपि नियमन के कुछ उपाय किये गये थे। इन सब बातों का प्रभाव यह था कि जनवरी के मध्य से मूल्य बढ़ने लगे। जब अधिक चीनी मंडी में लाई गई, तो अस्थायी रुप से मूल्यों में कुछ कमी आई। फरवरी के महीने में कारखानों ने चीनी की काफ़ी बिक्री की और व्यापारियों ने काफ़ी खरीद की। इस बात से साबित होता है कि फरवरी में कारखानों ने देश में खपत के लिए ३ लाख मैट्रिक टन चीनी ज्यादा खाना जबकि पिछले साल उसी समय १.८६ लाख मैट्रिक टन भेजी थी।

उस के साथ-साथ, मंडी के लिए संभरण कम कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई। फरवरी में जारी की गई चीनी से कुछ हद तक वृद्धि की प्रवृत्ति रुक गई थी।

आय-व्ययक में उत्पादन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं थी और इस की घोषणा के बाद मूल्यों के कम होने की प्रवृत्ति शुरु हुई। किन्तु उस समय तक कम उत्पादन की विचारधारा से लाभ उठा कर स्वार्थी लोगों ने मूल्य बढ़ा दिये। मार्च में जारी की गई चीनी का प्रभाव मार्च के अन्त तक समाप्त हो गया था और कारखानों के जल्दी बन्द हो जाने के कारण मूल्य असाधारण रुप से बढ़ गये हैं।

इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम ने दिसम्बर १९६२ में चीनी के थोक व्यापारियों का विनियमन शुरू कर दिया था। राज्य सरकारों ने, इन निदेशों के अधीन चीनी व्यापारी लाइसेंसिंग आदेश विभिन्न मासों में जारी किया है किन्तु यह व्यवस्था इस महीने के शुरू में पूरी तरह चालू हो सकी है। हम ने भारतीय चीनी मिल संस्था के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की है। कुछ राज्य सरकारों ने सम्बन्धित हितों से सलाह की, ताकि बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा सके। हम ने प्रशुल्क आयोग के परामर्श से विभिन्न खंडों में पिछले मौसम के तथा आने वाले मौसम के आधार पर उत्पादन लागत का हिसाब लगाया है। भारतीय चीनी मिल संस्था उचित मूल्य की दुकान खोल कर इस समस्या का हल ढूंढ रही है, किन्तु यह योजना अभी तक सीमित रुप से लागू हुई है और न इस के अपेक्षित रुप से विस्तृत होने की आशा है। अनिश्चित स्थिति और बढ़ते हुए मूल्यों को देख कर और चीनी जारी नहीं की जा सकी, क्योंकि इस से और मुनाफ़ाखोरी बढ़ती। इस के अतिरिक्त कारखानों के पास जारी की गई चीनी में से जो बची हुई चीनी थी और व्यापारियों के पास १ अप्रैल को जो स्टाक थे, उस से सारे मास की आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी। इस के अतिरिक्त, मैंने अनुभव किया कि विनियमात्मक उपाय विभिन्न परामर्शों के आधार पर किये जाये और जो चीनी जारी की जाये, उस के आधार पर की जाय। इसलिए मैं ने जारी करने और विनियमन को एक साथ लिया है।

यह स्पष्ट है कि मंडी में चीनी जारी कर के मूल्यों पर विनियमन की प्रणाली से स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकेगा । इसलिए मैं ने कुछ विनियम लागू करने का निर्णय किया है । इसलिए विभिन्न राज्यों के लिए कोटा निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारखाने निकलते मूल्यों पर कोट दिया करें और १ जनवरी और ३१ मार्च १९६३ के बीच कारखाना निकलते मूल्यों और बढ़ी हुई लागतों के सम्बन्ध में तटवर आयोग के सूत्र के अनुसार अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाये, भारत रक्षा नियमों के अधीन आदेश जारी किये जा रहे हैं । इस महीने में २ लाख मैट्रिक टन मात्रा दी जायेगी, जो १ नवम्बर से देशी खपत के लिए रिहा की गई मासिक मात्रा का औसत है ।

मैं जानता हूं कि मूल्यों का स्तर कायम रखने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने उद्योग के साथ चर्चा की है । हम ने देखा है कि यह स्तर बहुत ऊंचे हैं । इन परिस्थितियों में इन विनियमनों से कोई बचाव नहीं है इसलिए इन्हें कार्यान्वित करने में मैं तीनों ही पक्षों से सहयोग मांगने का पूरा हकदार हूं । मैं सभा पटल पर चीनी नियंत्रण आदेश की प्रति रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ११४५/६३)** मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन्हें कार्यान्वित करने में कोई कमी नहीं रहेगी और आगामी महीनों में उचित मूल्यों पर और पर्याप्त मात्रा में चीनी का संभरण कायम रखी जायेगा ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या इस के फलस्वरुप राशनिंग और उपभोग पर नियंत्रण होगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : तुरन्त नहीं । राज्यों को पर्याप्त कोटे दिये जा रहे हैं । किन्तु यदि स्थिति काबू से बाहर हो गई, तो कुछ भी किया जा सकता है ।

श्री यशपाल सिंह : (कैराना) : क्या यह सही है कि मिलें पिछले साल की बनिस्बत इस साल दो महीने पहले ही बन्द हो गई है और इस से २१ करोड़ का घाटा हम को एक्साइज़ ड्यूटी की शकल में सहन करना पड़ रहा है ? ऐसी हालत में हम किस तरह से साल भर अपनी चीनी को चालू रख सकेंगे किस तरह से डिमांड को मीट कर सकेंगे जबकि हम ने एक्सपोर्ट आर्डर भी मिले हुए हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल** : हमारे पास काफ़ी चीनी है, कोई घाटा नहीं होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र ने कोई मूल्य निर्धारित किया है और क्या भारत रक्षा नियमों के अधीन मुनाफ़ाखोरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इसी प्रयोजनों के लिए ये विनियम बनाये गये हैं । मूल्य कम होने चाहियें । मुनाफ़ाखोरी एक या दो व्यक्तियों की ओर से नहीं है जबकि कमी होती है, तो मूल्य कई बार बढ़ जाते हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : उचित मूल्य की दुकानें खोलने का काम भारतीय चीनी मिल संस्था को क्यों दिया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह उन्हों ने हमारे निदेश के अधीन नहीं किया । यह उन के अपने हित में है कि वे देखें कि मूल्य बढ़ने न पायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : क्या यह सही है कि सरकार सोच रही है कि कम दिनों तक चलने के कारण जिस तरह से वह मिल वालों को सहूलियत दे रही है उसी तरह वह किसानों के लिए भी सहूलियत दें ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह संभव नहीं है कि गन्ने का प्रयोग चीनी के बजाये गुड़ के लिए किया गया है, क्योंकि इस से अधिक पैसा मिलता है । बिहार में भी गन्ना ४० प्रतिशत कम हुआ है ।

†**श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** (कोप्पल) : क्या सहकारी चीनी मिलों के प्रार्थनापत्रों पर पुनर्विचार किया जायगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हम उन को तेज़ी से जांच कर रहे हैं और माननीय सदस्य के राज्य को वे मिलें मिल जायेंगी ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि एक्स मिल प्राइस फिक्स करने के लिए कास्ट आफ़ प्रोडक्शन का लिहाज़ रखा जायेगा । तो क्या हम यह समझें कि गवर्नमेंट ने अभी तक न एक्स मिल प्राइस फिक्स की है और न रिटेल प्राइस फिक्स की है ? दूसरी बात यह कि कास्ट आफ प्रोडक्शन फिक्स करने में क्या गवर्नमेंट यह खयाल भी करेगी कि केन की जो रिकवरी हुई है उस के लिये मिल वालों ने पार साल से कम दाम दिये हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इन सब सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या ६९४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वृद्धि

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मैया)** : कोत्तागुडम के निम्नतापमान कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ६९४ पर श्री ईश्वर रेड्डी के ३-४-६३ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं ने कहा था कि यह १९६४ तक होगा । मैं इस में यह शुद्धि करता हूं :

"परियोजना की समय सूची के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है"

सदस्य द्वारा वक्तव्य के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य सूची की मद ६ को कल लिया जायगा ।

समितियों के लिये निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

†**श्री दासप्पा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उपनियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से १ मई, १९६३ से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीस सदस्य चुने ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उपनियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से १ मई, १९६३ से आरम्भ होने वाली तथा ३० अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से तीस सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक-लेखा समिति

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०९ के उपनियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से १ मई, १९६३ से आरम्भ होने वाली तथा ३० अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक-लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें" ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा निवेदन है कि लोक-लेखा समिति का सभापति विरोधी पक्ष से होना चाहिये । इस मामले पर विचार किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे आपस में सलाह कर सकते हैं । प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०९ के उपनियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से १ मई, १९६३ से आरम्भ होने वाली तथा ३० अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक-लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक-लेखा समिति से राज्य-सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव

†**श्री त्यागी :** (देहरादून) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह १ मई, १९६३ से आरम्भ होने वाली तथा ३० अप्रैल, १९६३ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इस सभा को लोक लेखा समिति के साथ सम्बद्ध करने के लिये राज्य-सभा के सात सदस्य मनोनीत करने के लिये सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह १ मई, १९६३ से आरम्भ होने वाली तथा ३० अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इस सभा को लोक लेखा समिति के साथ सम्बद्ध करने के लिये राज्य-सभा के सात सदस्य मनोनीत करने के लिये सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के पश्चात् लोक सभा १८ अप्रैल, १९६२/२८ चैत्र, १८८५ (शक) के लिए स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, १७ अप्रैल, १९६३
२७ चैत्र १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		४४१३–१३५
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९९	पाइपों द्वारा कोयले का परिवहन .	४४१३–१४
९००	दिल्ली में मद्य निषेध .	४४१४—१६
९०१	पेन्शन	४४१६—१८
९०३	अनाथों के लिये 'आश्रय ग्राम' . . .	४४१८–१९
९०४	जल विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	४४१९—२१
९०५	डिजाइन और इंजीनियरिंग यूनिट .	४४२१–२२
९०६	मध्य प्रदेश में कोयले और बाक्साइट के निक्षेप	४४२२—२४
९०७	न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना . .	४४२४—२७
९०८	अशोधित तेल संवाहन संयंत्र .	४४२७
९०९	राजकोट के निकट प्रागैतिहासिक अवशेष . .	४४२८–२९
९१२	मैगनीज़ तथा क्रोम अयस्क के लिए खनन पट्टे का दिया जाना .	४४२९—३१
९१३	बेला रोड, दिल्ली में क्वार्टरों का गिराया जाना	४४३२–३३
९१४	पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिये आर्थिक कसौटी . .	४४३३—३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	. .	४४३५—६०
तारांकित प्रश्न संख्या		
९०२	अधिकारियों की भर्ती .	४४३५–३६
९११	पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम .	४४३६
९१५	दिल्ली में यातायात की समस्या	४४३६
९१६	सरकारी कर्मचारियों की काम की दशा . .	४४३६
९१७	कोयला खानों के लिए राजसहायता . . .	४४३७

	विषय	पृष्ठ
९१८	कोयले की कीमत	४४३७
९१९	रेंड बांध	४४३७

अतारांकित प्रश्न संख्या

१९७८	आन्ध्र प्रदेश में छात्रवृत्तियां . .	४४३८
१९७९	उड़ीसा में हिन्दी का विकास	४४३८
१९८०	भारत सेवक समाज को दी गई सहायता . .	४४३८
१९८१	उत्कल विश्वविद्यालय को सहायता	४४३८–३९
१९८२	विभागों में छंटनी . . .	४४३९
१९८३	पेंशन पाने वाले बच्चों को शिक्षा रियायतें . .	४४३९
१९८४	स्त्री शिक्षा के लिये धन	४४३९–४०
१९८५	रूस से इस्पात का आयात . .	४४४०
१९८६	गृह कार्य मंत्रालय द्वारा गठित समिति . .	४४४०
१९८७	भूमिगत जल खोज प्रशिक्षण	४४४०–४१
१९८८	उत्कल विश्वविद्यालय का महिला छात्रावास	४४४१
१९८९	उड़ीसा में स्कूल छात्रावासों के लिए अनुदान . .	४४४१
१९९०	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण . .	४४४१–४२
१९९१	उड़िया भाषा का विकास	४४४२
१९९२	उत्कल विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह .	४४४२
१९९३	दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें . .	४४४३
१९९४	इराक में भारतीय तेल टेक्निशियनों का प्रशिक्षण . .	४४४३
१९९५	केन्द्रीय मद्य निषेध समिति .	४४४३
१९९६	टेक्निकल योग्यता	४४४४
१९९७	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विस्थापित व्यक्ति .	४४४४
१९९८	इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद . .	४४४४–४५
१९९९	कोयला उत्पादक संघ	४४४५
२०००	आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अफसर .	४४४५–४६
२००१	तृतीय श्रेणी के पदों के की नई भरती का रोका जाना . .	४४४६

विषय पृष्ठ

२००२	अमेरिका में भारतीय विद्यार्थी . . .	४४४६–४७
२००३	दिल्ली के स्कूलों के विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा .	४४४७
२००४	विद्यार्थियों के आदान प्रदान की योजना .	४४४७
२००५	मध्य प्रदेश में पथारखेड़ा कोयला खानें	४४४७–४८
२००६	अनुसूचित जातियों के अफसर	४४४८
२००७	दिल्ली में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण . . .	४४४८
२००८	आदिम जाति की स्त्रियों का अनैतिक पण्य .	४४४८–४९
२००९	दिल्ली और नई दिल्ली में बस्तियां .	४४४९
२०१०	कुतुब मीनार, दिल्ली . . .	४४४९
२०११	मनीपुर के लिए संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां .	४४४९–५०
२०१२	पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रविधिक संस्थायें	४४५०
२०१३	पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये छात्रावास .	४४५०
२०१४	पंजाब में पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग .	४४५०–५१
२०१५	गृह रक्षकों के लिये अनिवार्य बीमा .	४४५१
२०१६	भारतीय खनन संघ . . .	४४५१
२०१७	खनन उद्योग के लिये विस्फोटकों की कमी .	४४५१–५२
२०१८	अपर डिवीजन क्लर्कों को स्थायी बनाना .	४४५२
२०१९	नाहन में राजकीय डिग्री कालेज .	४४५३
२०२०	अखिल भारतीय सेवाओं में विभागीय उम्मीदवार . .	४४५३
२०२१	सीमेंट की जगह काम आने वाली वस्तु . .	४४५३–५४
२०२२	हायर सैकेंडरी स्कूल, मालवीय नगर .	४४५४
२०२३	'एशिया सीन' मैगज़ीन	४४५४
२०२४	साहित्य अकादमी पुरस्कार .	४४५५
२०२५	आंध्र प्रदेश में ऐस्बेस्टास	४४५५–५६
२०२६	बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल का विक्रय .	४४५६
२०२७	बस्तर जिले में पोलिटेकनिक . . .	४४५६–५७
२०२८	'गैस ग्रिड्स' की स्थापना . .	४४५७

विषय पृष्ठ

२०३० झरिया कोयला खान में रोपवे . ४४५७
२०३१ रूस से मिट्टी के तेल का आयात . ४४५८
२०३२ श्रीलंका को पेट्रोलियम की चीजों का सम्भरण ४४५८
२०३३ लक्कदीव में मछुओं के लिए सुविधायें . . ४४५८–५९
२०३४ लक्कदीव में न्याय प्रशासन ४४५९
२०३५ बुनियादी शिक्षा . . ४४५
२०३६ दिल्ली में एक सिनेमाघर को लाइसेन्स . . ४४६
२०३७ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति . ४४६०

अनुदानों की मांगें . . ४४६०

(१) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(२) लोक सभा, राज्य सभा और उपराष्ट्रपति के सचिवालय की अनुदानों की मांगें भी पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ४५०५–०६

श्री प्र० र० चक्रवर्ती ने ७ अप्रैल, १९६३ को सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा कालिन्दी नदी के भारतीय क्षेत्र के पानी में से ७ भारतीय राष्ट्रजनों के कथित अपहरण की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४५०६

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ९ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४२ की एक प्रति ।

(२) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या

विषय पृष्ठ

(दो) दिनांक १६ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४३४ ।

(तीन) दिनांक १६ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४३३ ।

(चार) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४६७ ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित

अट्ठारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया । ४५०७

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ४५०७–१०

(१) खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने चीनी की स्थिति और उस से निबटने के लिए किये गये उपायों के बारे में एक वक्तव्य दिया और चीनी (नियंत्रण) आदेश, १९६३ की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखी ।

(२) खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) ने कोत्तागुडम के निम्न तापमान कार्बनीकरण संयंत्र के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ पर श्री वाई० ईश्वर रेड्डी के एक अनुपूरक प्रश्न के ३ अप्रैल, १९६३ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य दिया ।

समितियों के लिये निर्वाचन ४५१०–११

(१) श्री दासप्पा ने यह प्रस्ताव किया कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए लोक सभा अपने में से तीस सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) श्री महावीर त्यागी ने यह प्रस्ताव किया कि लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये लोक सभा अपने में से पन्द्रह सदस्यों चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक लेखा समिति से राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव ४५११–१२

श्री महावीर त्यागी ने प्रस्ताव किया कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सम्बद्ध करने के लिये राज्य सभा के साथ सदस्यों को मनोनीत करने के लिये सहमत हो । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६३ [२८ चैत्र, १८८५ (शक)] के लिए कार्यावलि

वित्त विधेयक, १९६३ पर विचार तथा उस का पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—415 (ai) LSD—8-6-63—160